राजस्थान विधान सभा

२६ वीं बैठक, सोमवार, दिनांक ६ अप्रेल, सन् १६५६

विधान सभा की बैठक सभा भवन, जयपुर, में सायं ३-१० बजे प्रारम्भ हुई।

(श्री नरोत्तमलाल जोशी, अध्यक्ष, पदासीन)

तारांकित प्रश्नोत्तर

श्री अध्यक्ष—प्रश्न, श्री चांदमल मेहता।

प्रश्न संख्या ३५८

जनवरी, १६५५ के पश्चात् प्रोमोशन से बनाये गये डिप्टी इन्सपेक्टर एवं एस०डी०आई०

श्री चांदमल मेहता—क्या शिक्षा मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :—

(क) १ जनवरी, १६५५ के बाद किन किन कर्मचारियों को प्रोमोशन दिया जाकर डिप्टी इन्सपेक्टर और एस०डी० आई० बनाया गया है ?

(ख) उक्त कर्मचारियों के नाम, योग्यता व लैंग्थ ऑफ सर्विस क्या है

श्री दामोदरलाल व्यास (श्री शिक्षा मन्त्री की ओर से)—(क) सब डिप्टी इन्सपेक्टर ऑफ स्कूल्स की पोस्टों के लिये अध्यापकों को प्रोमोशन नहीं दिया जाता, क्योंकि सब डिप्टी इन्सपेक्टर के पद पर भी वही वेतन और ग्रेड मिलता है जो उसे अध्यापक के पद पर मिलता है। चूंकि सब डिप्टी इन्सपेक्टर के पद पर उसे परिश्रम विशेष करना पड़ता है जिसके लिए उसे ३० रु० मासिक स्पेशल पे दी जाती है। १ जनवरी, ५५ के बाद जिन अध्यापकों को स्थानान्तर किया गया है उनकी सूची सदन की मेज पर रखदी गई है और उनकी वेतन और योग्यता के बारे में भी उस सूची में जिक्र कर दिया गया है।

(कृपया परिशिष्ट १ देखिये)

श्री चांदमल मेहता—सूची अपूर्ण मिली है। सिर्फ डिप्टी इन्सपेक्टर्स की मिली और एस० डी० आई० की नहीं मिली है ?

श्री दामोदरलाल व्यास—सुना नहीं।

श्री चांदमल मेहता—सूची डिप्टी इन्सपेक्टर्स की तो मिली है लेकिन एस० डी० आई० की नहीं मिली है ?

श्री दामोदरलाल व्यास—माननीय अध्यक्ष, एस०डी० आई की सूची गलती से रह गई है वह मैं माननीय सदस्य को भेज दूंगा।

विराम)

श्री अध्यक्ष—और सप्लीमेन्टरी।

श्री चांदमल मेहता—अध्यापकों को डिप्टी इन्स्पेक्टर या एस०डी०आई० बनाते वक्त क्या क्राइटेरिया सामने रखते हैं ?

श्री दामोदरलाल व्यास—उनकी इस काम को करने की योग्यता।

श्री चांदमल मेहता—क्या यह सही है कि डिप्टी इन्स्पेक्टर और एस० डी० आई की कोई पोस्ट खाली होने पर आवेदन पत्र नहीं मांगे गये और कम्पीटीटिव एग्जामीनेशन नहीं लिये गये?

श्री दामोदरलाल व्यास—कम्पीटिटीव ऐग्जामिनेशन तो कोई नहीं लिया जाता।

श्री चांदमल मेहता—फिर योग्यता की परीक्षा किस प्रकार से होती है ?

श्री दामोदरलाल व्यास—डिपार्टमेंट के मुलाजिम हैं और उनकी योग्यता से डाइरेक्टर और डिप्टी डाइरेक्टर परिचित रहते हैं।

श्री चांदमल मेहता—योग्यता किस प्रकार निश्चित करते हैं, मिसाल के तौर पर कोई बी.ए.,बी.टी. है और कोई एम०ए०,बी०टी० है ?

श्री दामोदरलाल व्यास—यह उनको अख्यार तमीजी काम में लेनी पड़ती है।

श्री चांदमल मेहता—क्या यह सही है कि कई व्यक्ति इस तरह के हैं जो जिन व्यक्तियों को प्रोमोशन दिया गया उनसे ज्यादा क्वालीफाइड हैं और उनको न्याय नहीं मिलता ?

श्री दामोदरलाल व्यास—मैंने अर्ज किया था कि उनकी पे वगैरा तो वही है और यह कोई प्रोमोशन की पोस्ट नहीं है। अध्यापक रहा तो भी वही वेतन मिलेगा और डिप्टी इन्स्पेक्टर रहे तो भी वही मिलेगा।

श्री चांदमल मेहता—क्या यह सही है कि उनको इन्सपेक्शन करने के अधिकार होते हैं और आगे बढ़ने के चांसेज़ होते हैं ?

श्री दामोदरलाल व्यास—यह बात नहीं है। इन्सपेक्टर हैं तो इन्सपेक्शन तो करते ही हैं।

श्री चांदमल मेहता—और अलाउन्स मिलता है उसका भी उनको फायदा ही है।

श्री दामोदरलाल व्यास—वह तो हार्ड ड्यूटी अलाउन्स है; हार्ड ड्यूटी करनी पड़ती है इसलिये ३०) माहवार पारिश्रमिक दिया जाता है।

श्री चांदमल मेहता—फिर जब इस तरह का फायदा हो तो किसी निश्चित आधार को नहीं माना जावे ?

श्री दामोदरलाल व्यास—मैंने निश्चत आधार बता दिया कि उनके काम को देखकर योग्यता के आधार पर नियुक्त करते हैं।

श्री चांदमल मेहता—योग्यता में कौन आगे पीछे रह जाता है ?

श्री दामोदरलाल व्यास—यह भी मैंने बता दिया कि वे अपना डिस्क्रेशन सिस्क्रिशन में एक्सरसाइज़ करते हैं।

श्री चांदमल मेहता—क्या यह माना जाय कि उनका सिलेक्शन होता है ?

(घंटी)

श्री अध्यक्ष—नेक्स्ट।

श्री चांदमल मेहता—एक और पूछ लूं, साहब ! क्या यह सही है कि अब तक कोई सिलेक्शन नहीं हुआ ?

श्री अध्यक्ष—नेक्स्ट। सिलेक्शन की बात नहीं है। It is a discretionary matter

श्री चांदमल मेहता—आपने सिलेक्शन की बात कहदी इस लिए मैंने पूछा।

प्रश्न संख्या ३५६

इन्स्पेक्टर ऑफ स्कूल्स, किशनगढ़ व जयपुर के अधीन वर्तमान वर्ष में ग्रेजुएट ग्रेड में नये अध्यापकों की नियुक्तियां

श्री चांदमल मेहता—क्या शिक्षा मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

[श्री चांदमल मेहता]

(क) इन्सपेक्टर ऑफ स्कूल्स, किशनगढ़ और जयपुर के मातहत चालू वर्ष ग्रेजुएट ग्रेड के कितने नये अध्यापकों की नियुक्तियां की गईं ?

(ख) उक्त नियुक्तियों के लिए कब कब आवेदन पत्र मांगे गये, किस किस इन्सपेक्टर के मातहत कितने कितने आवेदन पत्र आये ?

(ग) अध्यापकों का सलेक्शन किसके द्वारा किया गया ?

(घ) उक्त इन्सपेक्टर्स के मातहत ऐसे कितने कर्मचारी हैं जो ट्रेंड ग्रेजुएट अथवा ग्रेजुएट हैं लेकिन उन्हें ग्रेजुएट का वेतन नहीं मिल रहा है ?

(ङ) उक्त अध्यापकों को ग्रेजुएट की ग्रेड नहीं देने के क्या कारण हैं ?

श्री दामोदरलाल व्यास (शिक्षा मन्त्री की ओर से)— (क) चालू वर्ष में जयपुर एवं किशनगढ़ इन्सपेक्टोरेट में ग्रेजुएट ग्रेड की क्रमशः १० व ८ स्थाई और ६ व ६ अस्थाई तौर पर नियुक्तियां की गईं ।

(ख) इस ग्रेड की नियुक्ति के लिये आवेदन पत्र पी०एस०सी० द्वारा मांगे जाते हैं ।

(ग) ग्रेजुएट ग्रेड में जितनी स्थाई नियुक्तियां की गई हैं उन अध्यापकों का सिलेक्शन पी० एस० सी० द्वारा किया गया ?

(घ) किशनगढ़ इन्सपेक्टोरेट के ३६ एवं जयपुर इन्सपेक्टोरेट के १४ हैं ।

(ङ) जब तक इन अध्यापकों का पी० एस० सी० द्वारा स्थायी रूप से चुनाव नहीं हो जाता तब तक यह ग्रेजुएट ग्रेड के हकदार नहीं होते ।

श्री चांदमल मेहता—क्या यह सही है कि अस्थाई नियुक्तियां बगैर आवेदन पत्र मांगे ही की गईं ?

श्री दामोदरलाल व्यास—जी हां ।

श्री चांदमल मेहता—क्या यह सही है कि जो अस्थाई नियुक्तियां की गईं उनके अगेन्स्ट में क्लीयर वेकेंसीज़ थीं ?

श्री दामोदरलाल व्यास—क्योंकि पी० एस० सी० में सिलेक्शन करने में देर होती है, तो टेम्पोरेरी तौर पर भर्ती करली जाती है और बाद में पी. एस. सी. को लिख दिया जाता है ।

श्री चांदमल मेहता—जो नियुक्तियां की गई तो अगेन्स्ट क्लीयर वेकेन्सीज के की गई या सब्सटीट्यूट किये गये।

श्री दामोदरलाल व्यास—मैंने निवेदन किया कि अगेन्स्ट क्लीयर वेकेन्सीज के भी थीं और सब्स्टीट्यूट भी थीं; दोनों थीं।

श्री चांदमल मेहता—अगेन्स्ट नई नियुक्तियों के पुराने ग्रेजुएट ट्रेण्ड हैं, पुराने अध्यापक हैं उनको क्यों नहीं किया गया ?

श्री दामोदरलाल व्यास—आलरेडी डिपार्टमेंट में थे, अवेलेबल थे, उनको भी जगह दी गई और आज़री तौर पर भी एपोइन्ट किये गये।

श्री चांदमल मेहता—क्या यह सही है कि नई नियुक्तियां जो की गई हैं उनमें पुराने आदमियों को नहीं लिया जाकर सब के सब नये लिये गये हैं ?

श्री दामोदरलाल व्यास—आपका किस नियुक्ति से मतलब है ?

श्री चांदमल मेहता—जो आपने जबाब दिया है, पब्लिक सर्विस कमीशन द्वारा जो हुई हैं उनको छोड़कर दूसरी नियुक्तियें की गई हैं उनसे मेरा मतलब है।

श्री दामोदरलाल व्यास—कुछ ऐसे अध्यापक हैं इस विभाग में जिस वक्त नियुक्तियें की गई उस वक्त उनकी वही क्वालिफिकेशन नहीं थीं, बाद में ग्रेज्युएट हुए हैं इसलिए उनको नहीं लिया गया।

श्री चांदमल मेहता—क्या यह सही है कि जितने अध्यापक बाहर से भर्ती किये गये हैं उनसे कहीं अधिक ग्रेज्यूएट और ट्रेन्ड ग्रेज्यूएट अध्यापक यहां मौजूद थे जिनको मौका नहीं दिया जाकर दूसरों को लिया गया है ?

श्री दामोदरलाल व्यास—यह बात मेरी जानकारी में नहीं है।

श्री चांदमल मेहता—क्या आप जानकारी करने को तैयार हैं ?

श्री दामोदरलाल व्यास—आप कोई स्पेसिफिक इन्सटान्स देंगे तो जानकारी करालेंगे।

श्री चांदमल मेहता—जितनी नियुक्तियां हुई हैं सारी स्थायी ही हुई हैं क्या ?

श्री दामोदरलाल व्यास—मैंने अभी जवाब में बताया था कि जयपुर इन्सपेक्टोरेट में १० और किशनगढ़ में ८ स्थाई और ६ व ६ अस्थाई तौर पर नियुक्तियां की गई हैं।

श्री चांदमल मेहता—और किशनगढ़ इन्सपेक्टोरेट में कितने लिये गये ?

श्री दामोदरलाल व्यास—किशनगढ़ में ५ जन सेवा आयोग द्वारा और २ अध्यापक अध्यक्ष, शिक्षा विभाग द्वारा लिये गये।

श्री चांदमल मेहता—जनसेवा आयोग के अलावा मुकर्रर किये गये उनका सवाल चल रहा है ?

श्री दामोदरलाल व्यास—जनसेवा आयोग के अलावा अस्थाई नियुक्तियां हैं।

श्री चांदमल मेहता—इसी बात का तो साफ उत्तर नहीं मिला कि क्लीयेर वेकेन्सी हैं और उनके अगेन्स्ट में अस्थाई नियुक्तियां की गई हैं, तो फिर डिपार्टमेंट में ट्रेन्ड ग्रेज्युएट मौजूद होते हुए भी उनको मौका न देकर दूसरों को क्यों मौका दिया गया।

श्री दामोदरलाल व्यास—आपने अभी कहा था उसका उत्तर मैंने दिया कि मुझे इसकी जानकारी नहीं है। आप सूचना दे रहे हैं।

श्री चांदमल मेहता—मैंने यह प्रश्न पूछा है कि इन्सपेक्टर ऑफ स्कूल्स किशनगढ़ और जयपुर के मातहत चालू वर्ष में ग्रेजुएट ग्रेड के कितने नये अध्यापकों की नियुक्तियां की गई हैं। इसके उत्तर में आपने संख्या बताई है फिर भी आप कह रहें हैं कि आप सूचना दे रहे हैं।

श्री दामोदरलाल व्यास—मैंने अभी आपको बतलाया था कि जिस समय नियुक्तियां की गई उस समय ग्रेज्युएट टीचर्स मौजूद नहीं थे, उन्होंने बाद में क्वालीफिकेशन हांसिल की है। There were neither qualified nor trained graduates.

श्री चांदमल मेहता—मैं आपके स्टेटमेन्ट को चेलेन्ज करता हूं।

श्री अध्यक्ष—Next question.

प्रश्न संख्या ३६०

जागीर पुनर्ग्रहण अधिनियम के अन्तर्गत पुनर्ग्रहीत जागीरदारों को अन्तरिम मुआवजा

श्री भैरूंसिंह (१६)—क्या मुख्य मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(क) जागीर पुनर्ग्रहण कानून के अन्तर्गत कितनी जागीरों का अब तक पुनर्ग्रहण हुआ है और कितने जागीरदारों को अन्तरिम मुआवजा मिल चुका है ?

[श्री भैंरू सिंह]

(ख) जिनको अन्तरिम मुआवजा मिला है उनमें ५००० रुपया से ऊपर की आय तथा उनमें कम आय वाले कितने जागीरदार हैं ?

(ग) किन किन जागीरों का मुआवजा अब तक अन्तिम रूप से तय हो चुका है और उनका भुगतान करने की क्या व्यवस्था की गई है ?

श्री **दामोदरलाल व्यास** (राजस्व मंत्री)—(क) राजस्थान में जागीर पुनर्ग्रहण कानून के अन्तर्गत फरवरी सन् १९५६ तक ४४४३ जागीरों का पुनर्ग्रहण हो चुका है ।

(ख) दिनांक ७–३–५६ तक ११८४ जागीरदारों को अन्तरिम मुआवजा मिल चुका है ।

(ग) जिनको अन्तरिम मुआवजा मिल चुका है उनमें से ५००० रुपये से ऊपर की आय वाले जागीरदारों की संख्या ३२७ और ५००० रुपये से कम आयवाले जागीरदारों की संख्या ८५७ है । अन्तिम रूप से अभी तक किसी भी जागीरदार को मुआवजा तय नहीं हुआ है । बोंड लेनेवालों के लिये बोंड छपवाये जा रहे हैं ।

श्री भैंरू सिंह—सरकार की ओर से अन्तिम रूप में मुआवजा तय करने की क्या व्यवस्था है ?

श्री दामोदरलाल व्यास—क्लेम्स एग्जामिन कर रहे हैं । क्लेम्स फाइनल होने पर तय हो जायगा ।

श्री **भैंरू सिंह**—क्या यह सही है कि जागीरदारों ने क्लेम्स अन्तिम रूप में पेश किये और सरकार के सचिवालय में उनकी जांच नहीं हो रही है ?

श्री **दामोदरलाल व्यास**—सब की जांच हो रही है । ऐतराज तय होने पर मामला तय होगा ।

श्री **भैंरू सिंह**—क्या यह सही है कि जागीरदारों के क्लेम्स पर ऐतराज होने के बाद फाइनल रूप में जागीर कमिश्नर के ऑफिस में पहुँच चुके हैं, जहां पर कंपेशेसन किस रूप में दिया जाय इसका तय होने के लिये अभी तक पड़े हुए हैं ?

श्री दामोदरलाल व्यास—कंपेनसेशन देने का तरीका जागीर पुनर्ग्रहण एक्ट और रूल्स में दिया हुआ है, इसलिये तरीका जानने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन क्लेम्स पहले तय करने पड़ेंगे ।

एक माननीय सदस्य—क्या यह सही है कि जागीरदारों के पट्टा बहियों को नहीं देख पाने के कारण क्लेम्स तय नहीं किये हैं ?

श्री दामोदरलाल व्यास—इसका उससे कोई सम्बन्ध नहीं है। क्लेम्स तय करने से पहले उनका अकाउन्ट देखना जरूरी होता है।

श्री भैंरूं सिंह—क्या कंपेन्सेशन बोन्ड्स में दिया जायगा या कैश में ?

श्री दामोदरलाल व्यास—बोन्डस में दिया जायगा।

श्री भैंरूं सिंह—क्या बोन्डस के बारे में अन्तिम नीति सरकार ने निश्चित करली है ?

श्री दामोदरलाल व्यास—बोन्ड्स के लिये तय किया गया है कि बोन्ड्स में ही दिया जाय।

श्री भैंरूं सिंह—अब तक नहीं देने का क्या कारण है ?

श्री दामोदरलाल व्यास—पहले क्लेम्स तय करते हैं उसके बाद देने का प्रश्न उठता है।

श्री भैंरूसिंह—सरकार की तरफ से यह इत्तला बार २ दी जाती हैं कि बोन्ड्स तैयार नहीं हुए हैं इसलिये मुआवजा देने में देरी हो रही है ?

श्री दामोदरलाल व्यास—इसका इससे संबंध नहीं है बोन्ड्स तैयार होना दूसरी बात है, और क्लेम्स तय होना दूसरी बात है।

श्री भैंरूं सिंह—बोन्ड्स अब तैयार क्यों नहीं हुए ?

श्री दामोदरलाल व्यास—तैयार किये जा रहे हैं।

श्री भैंरूं सिंह—कब तक तैयार हो जायेंगे ?

श्री दामोदरलाल व्यास—जल्दी तैयार करने की कोशिश की जा रही है।

श्री हिम्मतसिंह—अध्यक्ष महोदय, मिनिस्टर महोदय ने कहा था कि कंपेनसेशन की जांच की जा रही है। ऐतराज हुए उसकी जांच होने के बाद कंपेनसेशन दिया जायगा। मैं दर्याफ्त करना चाहता हूँ कि जो ऐतराज हुए हैं उनकी जांच किस तरह की जायगी ?

श्री दामोदरलाल व्यास—यदि आप जागीर रिजेम्पशन एक्ट को देखेंगे तो सारा प्रोसिजर उस एक्ट में या रूल्स में मिल जायगा। मैंने यह नहीं कहा कि कंपेनसेशन कब दिया जायगा। पहले क्लेम्स की जांच होगी तब दिया जायगा।

श्री भैंरूं सिंह—क्या रिजर्व बैंक ऑफ इण्डिया को बोन्ड्स के बारे में लिखा गया था ?

श्री दामोदरलाल व्यास—हां, औरों को भी लिखा था।

श्री भैंरूसिंह—रिजर्व बैंक ऑफ इण्डिया की क्या रुख आई ?

श्री अध्यक्ष—नेक्स्ट क्वश्चन।

प्रश्न संख्या ३६१

जिला चित्तौड़गढ़ की विभिन्न तहसीलों में अब तक खोली गई विभिन्न पाठशालाएं एवं उनके खोलने के आधार

श्री जगतसिंह झाला—क्या शिक्षा मंत्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे:—

(क) जिला चित्तौड़गढ़ की किन किन तहसीलों में अब तक कितनी प्रारम्भिक पाठशाला खोली गई हैं ?

(ख) क्या यह सच है कि इस जिले में प्रारंभिक पाठशालायें और तहसीलों के मुकाबले में बड़ी सादड़ी तहसील में बहुत कम हैं ?

(ग) सरकार किन आधारों को मन्देनजर रख कर यह पाठशालायें खोलती है ?

श्री दामोदरलाल व्यास—(क) २ अक्टूबर, १९५५ तक जितनी खोली गई हैं उनकी सूची सदस्य महोदय की जानकारी के लिये सदन की मेज पर रखदी गई है।

(ख) जी नहीं, सबसे कम स्कूलें तो कनेरा में हैं।

(ग) नये स्कूल निम्न आधारों पर खोले जाते हैं :—

१. भवन की सुविधा।

२. यदि तीन मील के अन्दर कई ग्राम मिल जाने से आबादी ५०० हो जाय।

३. ५०० से कम आबादी नहीं होनी चाहिये।

४. जैसलमेर वाले कम बस्तीवाले क्षेत्रों में और पिछड़े हुए क्षेत्रों को उपरोक्त आधारों से छूट दी जा सकती है।

(कृपया परिशिष्ट २ देखिये)

श्री जगतसिंह झाला—क्या सरकार को पता है कि कनेड़ा की आबादी छोटी सादड़ी की आबादी का १।४ भाग है और वहां पर इतनी स्कूल्स हैं ?

Page No 10

श्री दामोदरलाल व्यास--आबादी का सवाल नहीं है, आपने प्रश्न में पूछा कि क्या बड़ी सादड़ी में सबसे कम प्राथमिक पाठशालायें हैं तो मैंने बताया कि कनेडा तहसील में सब से कम हैं।

श्री जगतसिंह झाला—बड़ी सादड़ी में सबसे कम पाठशामाए होने का क्या कारण है?

श्री दामोदरलाल व्यास—बड़ी सादड़ी का जहां तक संबंध है वहां सिर्फ ३ गांव ऐसे हैं जिनकी आबादी ५०० की हैं। इसलिए दूसरे गांवों में खोलने का प्रश्न ही नहीं उठता।

श्री जगतसिंह झाला—३ गांव रह गये हैं वहां स्कूलें कब खोली जायेंगी ?

श्री दामोदरलाल व्यास—अगले साल।

प्रश्न संख्या ३६२

१ जनवरी, १६५५ के पश्चात् जयपुर जिले की विभिन्न तकावी वितरण हेतु दी गई धन राशि

श्री चांदमल मेहता—क्या राजस्व मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे—

(क) १ जनवरी, १६५५ के बाद जयपुर जिले की किन किन तहसीलों को कितने कितने रुपये तकावी वितरण के लिये सरकार द्वारा दिये गये ?

(ख) किशनगढ़ तहसील को किस किस तारीख को कितने कितने रुपये सरकार द्वारा तकावी वितरण हेतु दिये गये हैं ?

(ग) किशनगढ़ तहसील में १ जनवरी, १६५५ के बाद कितने प्रार्थना पत्र तकावी के पेश हुए और उनमें किन किन के आवेदन पत्र अस्वीकार किये गये हैं ?

(घ) उपरोक्त तहसील में किन किन को कितनी कितनी तकावी दी गई है ?

श्री दामोदरलाल व्यास—१ जनवरी, १६५५ के बाद जिन जिनको तकावी दी गई उसकी सूची आपको मिल गई होगी ?........

श्री चांदमल मेहता—सूची आज तक भी नहीं मिली।

श्री दामोदरलाल व्यास—सूची पढ़कर सुना देता हूं।....

श्री चांदमल मेहता—अध्यक्ष महोदय, सूची काफी लम्बी होगी, क्योंकि सवाल काफी पढ़ने से सभा का वक्त जाया होगा। एक बार ही हल ऐसा निकाल दीजिये कि सूची समय पर मिला करे।

Page No 11

श्री दामोदरलाल व्यास—इसका हल यही है कि अनस्टार्ड क्वेश्चन करें इससे सूची मिल सकती है। As regards starred questions, I must read if out in the House.

श्री चांदमल मेहता—इस बारे में फैसला कर दिया गया है। अध्यक्ष महोदय ने निर्णय दे दिया है उसको मन्त्रीजी मानना नहीं चाहते हैं।

श्री दामोदरलाल व्यास—मुझे निर्णय की जानकारी नहीं है। यह लिस्ट छोटी है। पढ़कर सुना दूं? It is not a very long list. Moreover, Sir, I am not aware of any ruling that we are bound to give such in every case.

श्री चांदमल मेहता—आपको अगर जानकारी नहीं है तो रूल्स ऑफ प्रोसीजर देख लीजिये, उसमें साफ लिखा है। इसके अलावा सूचियें देने के लिये स्पीकर साहब ने भी कई बार रूलिंग दिया है।

श्री अध्यक्ष–The hon'ble member should address the Treasury Benches through the Speaker.

श्री दामोदरलाल व्यास (राजस्व-मन्त्री)—(क) तकावी वितरण के लिये ग्रान्ट वित्तीय वर्ष से होती है। इसलिये माह अप्रेल, सन् १६५५ से जो तकावी, जिला जयपुर की तहसीलों को दी गई है उसके वितरण की सूचि सदन की मेज पर रखदी गई है।

(ख) उक्त वर्ष में किशनगढ़ तहसील को ४,०००) रूपये रेवेन्यू तकावी व ६,०००) रूपये कृषि विभाग से ग्रो मोर फूड तकावी दी गई।

(ग) किशनगढ़ तहसील में १ जनवरी, १६५५ के पश्चात कुल १३५ प्रार्थना पत्र प्रस्तुत हुये। इनमें से ५८ को तकावी दी गई, ७४ प्रार्थना पत्र विचाराधीन हैं, तथा निम्नलिखित ३ व्यक्तियों के प्रार्थना पत्र अस्वीकार हुये हैं:—

(१) श्री अलादीन पुत्र गफूरखां।
(२) श्री अलीखां पुत्र मोहम्मदखां
(३) मल्लूराम शर्मा।
(घ) सम्बन्धित सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(कृपया परिशिष्ट ३ देखिये)

श्री चांदमल मेहता—किशनगढ़ को किस किस तारीख को कितना २ रुपया तकावी का दिया गया, तारीख और बता दीजिये?

Page No 12

श्री दामोदरलाल व्यास—तरीख तो अभी मैं नहीं बता सकता लेकिन द्वितीय वर्ष के शुरू हो जाने पर मई के महिने में यह रुपया एलोट कर दिया गया था।

श्री चांदमल मेहता—क्या यह सही है कि तकावी का रुपया अलोट होने के बाद कोई आवेदन पत्र नहीं मांगे गये?

श्री दामोदरलाल व्यास—आवेदनपत्र मांगे नहीं जाते, किसान खुद अपनी आवश्यकतानुसार देते हैं।

श्री चांदमल मेहता—क्या यह सही है कि तकावी पहुंचती है तो किसानों को मालूम ही नहीं होता है कि तकावी उनको मिलने वाली है और इस तरह जिन लोगों को तकावी मिलनी चाहिये उनको नहीं मिलती और दूसरे ही लोगों को दे दी जाती है?

श्री दामोदरलाल व्यास—प्रत्येक किसान जानता है कि फाईनेन्शियल ईयर शुरू होते ही तकावी देते हैं, इसके लिये रूल्स बने हुए हैं, किशनगढ़ के किसानों का मुझे पता नहीं शायद उनको यह मालूम है कि नहीं, वैसे होना तो चाहिये।

श्री चांदमल मेहता—क्या यह सही है कि किशनगढ की तरफ से बराबर शिकायतें होती हैं कि जिन खास खास लोगों को जानकारी रहती है उन्हीं को तकावी मिलती है, आम किसानों को मालूम ही नहीं होता कि उन्हें तकावी मिलने वाली है?

श्री दामोदरलाल व्यास—और लोगों की तो शिकायत नहीं है, माननीय सदस्य जरूर करते हैं।

(हंसी)

श्री चांदमल मेहता—क्या इस शिकायत पर माननीय मंत्री महोदय ने जांच की है?

श्री दामोदरलाल व्यास—जी हां, जांच की है।

श्री चांदमल मेहता—क्या स्वयं ने?

श्री दामोदरलाल व्यास—स्वयं नहीं, अफसरों के द्वारा।

श्री चांदमल मेहता—किस अफसर द्वारा कब की गई?

श्री दामोदरलाल व्यास—आपकी शिकायत आने पर कि उन लोगों को मालूम ही नहीं और वक्त पर वितरण नहीं हुई, इस पर जांच की गई तो मालूम हुआ कि यह सही नहीं है। तकावी का रुपया वक्त पर वितरण हुआ है

श्री चांदमल मेहता—आप अफसर और दफ्तर का नाम बता दीजिये जिसके द्वारा जांच करवाई गई है ?

श्री दामोदरलाल व्यास—आपने पूछा कि वक्त पर तकावी पहुंची कि नहीं, इसकी जांच की गई तो पता चला कि पहुंच गई।

श्री चांदमल मेहता—इसकी भी जांच हुई कि नहीं कि लोगों को मालूम ही नहीं रहता है कि उनको तकावी मिलने वाली है ?

श्री दामोदरलाल व्यास—इसकी जांच की जरूरत नहीं क्योंकि आम लोगों को मालूम है कि एक वर्ष खत्म होकर दूसरा वर्ष शुरू होता है तो उस समय तकावी दी जाती है।

श्री अध्यक्ष—नेक्स्ट।

तकावी सारी बंट जाती है और लोगों को पता ही नहीं लगता, बिना पता ही तकावी बंट जाती है क्या ?

(हंसी)

प्रश्न संख्या ३६३

सीकर में सिल्वर जुबिली रोड़ पर स्थित बोर्डिंग हाउस को निजी सम्पत्ति में लेकर छात्रों से किराया

श्री भैरूंसिंह (दांता रामगढ़)—क्या मुख्य मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे—

(क) क्या सीकर में सिलवर जुबिली रोड़ पर स्थित बोर्डिंग हाउस की एक विंग राजपूत छात्रों के लिये बना कर दिनांक ६—४—४८ को उसका पट्टा वहां के राव राजा ने कर दिया था ?

(ख) क्या यह सही है कि रावराजा साहब सीकर ने इस बोर्डिंग को अपनी निजी सम्पत्ति में दर्ज कर छात्रों से उसका किराया लेना शुरू कर दिया है ?

(ग) सरकार इस विषय में क्या कदम उठाने का विचार कर रही है ?

श्री दामोदरलाल व्यास (राजस्व मंत्री)—I am sorry, sir. The reply is not available today.

श्री मोहनलाल सुखाड़िया (मुख्य मंत्री)—जबाब मिला नहीं है परन्तु मैं जुबानी ही जवाब बता देता हूँ।

Page No 14

[श्री मोहनलाल सुखाड़िया]

(क) सीकर में जैसा कि इसमें बताया गया है इस प्रकार का छात्रावास बनाया गया है ।

(ख) क्या निजी सम्पत्ति में ले लिया गया है, इसकी भी जानकारी प्राप्त हुई है कि यह ठीक है, उन्होंने निजी सम्पत्ति में शो किया है ।

(ग) इस वक्त इसका कोई किराया नहीं दिया जा रहा है और जिस प्रकार पहले पट्टा दिया गया था उसी प्रकार किया जाय, इस प्रकार की कार्यवाही सरकार कर रही है ।

श्री भैरूं सिंह—यह कार्यवाही कब तक खत्म हो जायगी ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—जल्दी से जल्दी फैसला किया जायगा, किराया नहीं देंगे ।

श्री भैरूं सिंह—रावराजा साहब ने इस छात्रावास को निजी संपत्ति में दिखा रखा है, यह जानकारी सरकार को कब प्राप्त हुई ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—आपके प्रश्न पूछने के बाद ।

श्री भैरूं सिंह—आपको जानकारी होने के बाद क्या कार्यवाही की गई ?

श्री अध्यक्ष—The purpose of the question is served.

प्रश्न संख्या ३६४

असिस्टेन्ट सेटलमेंट ओफीसर्स एवं आई. ए. एस., आर. ए. एस. तथा आर. टी. एस. केडर के सेटलमेंट ऑफिसर्स

श्री चांदमल मेहता—क्या राजस्व मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे:—

(क) राजस्थान में असिस्टेन्ट सेटिलमेंट अफसरों की संख्या कितनी है ?

(ख) आई. ए. एस., आर. ए. एस. और आर. टी. एस. केडर के कितने कितने कर्मचारी सेटिलमेंट ऑफीसर के स्थान पर काम कर रहे हैं ?

श्री दामोदरलाल व्यास—(क) राजस्थान में असिस्टेन्ट सेटलमेंट ऑफीसर्स की संख्या ७२ है ।

[श्री दामोदरलाल व्यास]

(ख) ९ कर्मचारी असिस्टेन्ट सेटलमेंट ऑफीसर के स्थान पर काम कर रहे हैं उनमें से २ आई. ए. एस. और ७ आर. ए. एस. । आर. टी. एस. के केडर का कोई ऑफीसर काम नहीं कर रहा है ।

श्री चांदमल मेहता—क्या यह सही है कि ९ में से सभी आई. ए. एस. और आर. ए. एस. हैं ।

श्री दामोदरलाल व्यास—जी हां ।

प्रश्न संख्या ३६५

श्री अध्यक्ष—श्री श्रीदास गोयल ।

(प्रश्नकर्ता अनुपस्थित, कृपया परिशिष्ट ६ देखिये)

प्रश्न संख्या ३६६

अप्रेल १९४८ के पश्चात सहकारी फार्मिंग के नाम पर जयपुर शहर से १० मील के क्षेत्र में काश्त हेतु दी गई भूमि

श्री भैरूं सिंह (दांता रामगढ़)—क्या राजस्व मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे ।

(क) अप्रेल, सन् ४८ के बाद से अब तक कोऑपरेटिव फार्मिंग के नाम पर जयपुर शहर से १० मील के एरिया में किस किस को कितनी कितनी जमीन काश्त के लिए दी गई है ?

(ख) जिन सहकारी समितियों को यह जमीन दी गई उनके सदस्य कौन कौन हैं ?

(ग) इन समितियों का रजिस्ट्रेशन हुआ या नहीं ?

(घ) क्या उपरोक्त समितियों के हिसाब का कभी ऑडिट भी हुआ है ? यदि नहीं तो क्यों ?

(ङ) क्या यह सही है कि उन समितियों में सरकार की कुछ बकाया है ? यदि हां, तो किन किन में कितनी कितनी और कब कब से व उनकी वसूली की क्या कार्यवाही की जा रही है ?

श्री दामोदरलाल व्यास (राजस्व मंत्री)—(क) अप्रैल, सन् ४८ के बाद कोऑपरेटिव फार्मिंग के लिये निम्नलिखित को जयपुर शहर के १० मील के एरिया में भूमि दी गई :

[श्री दामोदरलाल व्यास]

(१) किसान सामूहिक कृषि सहकारी समिति ३४६।। बीघा

(२) श्री मोतीलाल भीकाराम आदि को १५० बीघा

(ख) क(१)

१ श्री नाहर सिंह	५ श्री सुखदेव सिंह	६ श्री रामदेव सिंह	१३ श्री दौलत राम
२ ,, लेखराम	६ ,, भैंरू सिंह	१० ,, बालाराम	१४ ,, ईसर सिंह
३ ,, तेन सिंह	७ ,, रेख सिंह	११ ,, हरी सिंह	१५ ,, राजेन्द्र सिंह
४ ,, बीरबल सिंह	८ ,, फतह सिंह	१२ ,, राधाकृष्ण	१६ ,, मेघराज

क(२)

१ श्री भीखाराम	४ श्री कालूराम	७ श्री चुन्नीलाल
२ ,, मोतीलाल	५ ,, जेठाराम	
३ ,, हीरालाल चौधरी	६ ,, हीराराम	

(ग) एक का। क(१) का रजिस्ट्रेशन दिनांक १३. २. ५३ को हो चुका है।

(घ) ओडिट दिनांक ३०-६-५४ तक का हो चुका है।

(ङ) जी हां। कृषि विभाग की बकाया निम्न प्रकार है :

क(१) ट्रेक्टर के लिए ६८,००) रुपया।

कुओं के निर्माण के लिये ३,०००) रुपया।

क (२) कोई बकाया नहीं है।

वसूली की कार्यवाही जारी है।

श्री भैंरू सिंह—क्या यह सही है कि एक सोसायटी के पास जो जमीन है उसमें पेड़ खड़े थे, उन पेड़ों की कीमत की रकम अभी तक बाकी है ?

श्री दामोदरलाल व्यास—यह मेरी जानकारी में नहीं हैं।

श्री भैंरू सिंह—क्या इन्क्वायरी करने से यह मान लिया गया है कि कोई बकाया इस किस्म की नहीं है ?

श्री दामोदरलाल व्यास—पेड़ों के लिये सूचना माननीय सदस्य ने दी है उसकी जांच करूंगा।

श्री भैंरू सिंह—एक सोसायटी का ऑडिट हुआ और दूसरी का नहीं हुआ, इसका क्या कारण है ?

श्री दामोदरलाल व्यास—दूसरी समिति का ऑडिट नहीं हुआ, अभी उसका रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है।

श्री भैंरू सिंह—अगर उस सोसायटी का रजिस्ट्रेशन ही नहीं हुआ है तो फिर उसको कोऑपरेटिव फार्मिंग पर जमीन कैसे दी गई है?

श्री दामोदरलाल व्यास—उन्हें नोटिस दे दिया गया है कि तुम्हारी जमीन क्यों नहीं ले ली जाय।

श्री भैंरू सिंह—क्या रूल्स में यह प्रोविजन नहीं है कि जब तक रजिस्ट्रेशन नहीं हो जाय तब तक किसी भी समिति को कोऑपरेटिव फार्मिंग के लिये जमीन नहीं दी जाय?

श्री दामोदरलाल व्यास—रूल्स में यह जरूरी है कि उसका रजिस्ट्रेशन हुए बगैर कोऑपरेटिव फार्मिंग के लिये जमीन अलोट न की जाय। पर यह सरकार के ध्यान में बाद में आया है कि उस समिति का रजिस्ट्रेशन अभी तक नहीं हुआ है।

श्री भैंरू सिंह—यह सरकार के ध्यान में कब आया कि उस समिति का रजिस्ट्रेशन अभी तक नहीं हुआ है?

श्री दामोदर लाल व्यास—जब यह प्रश्न आया और रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव सोसायिटीज़ को पूछा तो मालूम हुआ कि अभी तक इस समिति का रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है।

श्री भैंरू सिंह—५ वर्ष बाद तक सरकार के ध्यान में नहीं आया कि इस समिति का रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है?

श्री दामोदरलाल व्यास—५३-५४ के बाद में यह जमीन एलोट की है।

श्री भैंरू सिंह—तो क्या इतने अर्से तक सरकार को सूचना नहीं मिली कि इस सोसाइटी का रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है?

श्री दामोदरलाल व्यास—नहीं मिली, उन्हें नोटिस दिया गया है कि तुम्हारी यह जमीन वापिस क्यों न ले ली जाय।

श्री भैंरू सिंह—इस सदन में भी इस विषय की तो पूरी चर्चा चली थी....

श्री अध्यक्ष—नेक्स्ट।

श्री भैंरू सिंह—क्या जमीन एलोट करने के सम्बन्ध में ऐसा नियम है कि जयपुर में १० मील के बाहर १५ बीघा से अधिक जमीन एलोट नहीं की जावे?

श्री दामोदरलाल व्यास—यह नियम एलोटमेंट होने के बाद बना है।

श्री भैंरू सिंह—भूतपूर्व जयपुरमें पहले ऐसा नियम था कि १० मील के बाहर १५ बीघा से ज्यादा जमीन एलोट नहीं की जावे ?

श्री दामोदरलाल व्यास—ऐसा कोई प्रोविजन नहीं था।

श्री भैंरू सिंह—क्या जमीन देने से पहले सब लोगोंको तकसीम करने के लिए एप्लीकेशन इन्वाइट करने की व्यवस्था की गई थी ?

श्री दामोदरलाल व्यास—मैंने जैसा कहा कि रूल्स भी बाद में बने हैं। यह जमीनें पहले एलोट हुई हैं।

श्री भैंरू सिंह—क्या यह सही है कि जिन व्यक्तियों को जमीन १० मील के अन्दर दी गई है वे उस सोसाइटी के सदस्य नहीं हैं, इस प्रकार की सूचना सरकार के पास आई है ?

श्री दामोदरलाल व्यास—ऐसी कोई दरख्वास्त सरकार के पास नहीं आई है।

श्री भैंरू सिंह—क्या सरकार ने इसकी जानकारी की है ?

श्री दामोदरलाल व्यास—आपका कौन सी सोसाइटी से मतलब है ?

श्री भैंरू सिंह—पहली।

श्री दामोदरलाल व्यास—यह बकायदा सोसाइटी है।

श्री भैंरू सिंह—यह कब कायम हुई ?

श्री दामोदरलाल व्यास—यह १३-२-५३ को रजिस्टर्ड हुई।

श्री भैंरू सिंह—क्या सरकार ने इस सम्बन्ध में जांच की कि वे लोग वाकई में उस कमेटी के सदस्य हैं ?

श्री दामोदरलाल व्यास—उसका नाम मौजूद है। इससे ज्यादा क्या सबूत हो सकता है ?

श्री भैंरू सिंह—वे लोग सदस्य हैं या नहीं, इस बात की जांच की है या नहीं ?

श्री दामोदरलाल व्यास—उसको रजिस्टर्ड किया गया है जब है जब किया गया है किसी ने शिकायत भी आज तक नहीं की। जितने सदस्य हैं उनके कब्जे में जमीनें हैं।

श्री भैंरू सिंह—उनको नोटिस किस तारीख को दिया गया ?

Page No 19

श्री दामोदरलाल व्यास—तारीख याद नहीं।

श्री भैंरू सिंह—किस वर्ष में और किस महीने में दिया गया ?

श्री दामोदरलाल व्यास—मालूम हुआ तभी दिया गया।

श्री भैंरू सिंह—कोई नोटिस नहीं दिया गया बल्कि कोओपरेटिव सोसाइटी के रजिस्ट्रार को लिख दिया गया।

श्री दामोदरलाल व्यास—यह सही नहीं है।

श्री अध्यक्ष—नेक्स्ट।

प्रश्न संख्या ३६७

विद्यार्थी आश्रम, राजगढ़ (जिला चूरू) को आर्थिक शासकीय सहायता

श्री प्रभुदयाल—क्या शिक्षा मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

१. क्या विद्यार्थी आश्रम, राजगढ़, जिला चूरू ने सरकार के पास सहायता लेने की मांग की है ?

२. यदि हां, तो कब और अब तक सहायता न मिलने का क्या कारण है ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—(क) जी हां।

(ख) यह मांग २४-६-५५ को प्राप्त हो गई थी।

(ग) इस संस्था को ६१६ रु० की सहायता देने के लिए स्वीकृति दे दी गई है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

श्री प्रभुदयाल—स्वीकृति कौनसी तारीख को दी ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—तारीख याद नहीं, लेकिन इस साल में स्वीकार हुआ ऐसा मान कर चलना चाहिये।

श्री प्रभुदयाल—क्या यह १९५५ में मिल गई थी ?

श्रीमोहनलाल सुखाड़िया—१९५६ के ३१ मार्च तक मिल सकती है और वह इसी साल आ जाती है।

श्री अध्यक्ष—नेक्स्ट।

Page No 20

प्रश्न संख्या ३६८

ग्राम निकूम (त० बड़ी सादड़ी) के माध्यमिक शाला भवन निर्माण हेतु भूमि

श्री जगतसिंह झाला—क्या राजस्व मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :—

(क) क्या यह सच है कि ग्राम निकूम तहसील बड़ी सादड़ी के माध्यमिक शाला भवन निर्माण के लिए जमीन के कागजात करीब एक वर्ष से मंजूरी के लिये राजस्व विभाग में पड़े हुए हैं ?

(ख) इतने समय तक मंजूरी नहीं रहने के क्या कारण हैं ?

(ग) क्या यह सच है कि इस जमीन की मंजूरी नहीं होने के कारण चूना वगैरा सामान खराब हो गया है ?

(घ) अब कब तक इसकी मंजूरी होने की आशा है ?

श्री दामोदरलाल व्यास (राजस्व मंत्री)—(क) यह बात बिल्कुल गलत है कि ग्राम निकूम तहसील, बड़ी सादड़ी के माध्यमिक शाला भवन निर्माण के लिए जमीन के कागजात करीब एक साल से राजस्व विभाग में मंजूरी के लिए पड़े हुये हैं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) इसकी इस विभाग को कोई सूचना नहीं।

(घ) मंजूरी हो चुकी है।

श्री जगतसिंह झाला—वहां पर मंजूरी नहीं पहुँचने का क्या कारण है ?

श्री दामोदरलाल व्यास—१७-१-५६ को सूचना दे दी गई है।

श्री जगतसिंह झाला—नहीं पहुँचने का क्या कारण है, आप इसकी जांच करेंगे ?

श्री दामोदरलाल व्यास—मैं जानकारी करूंगा कि क्यों नहीं पहुँची है।

श्री अध्यक्ष—नेक्स्ट।

प्रश्न संख्या ३६६

जनवरी, १६५५ के पश्चात राजस्थान सरकार द्वारा लीज़ पर दिये गये कारखाने

श्री चांदमल मेहता—क्या उद्योग मंत्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

१. १ जनवरी, १६५५ के बाद राजस्थान सरकार द्वारा किन किन कारखानों को कितने समय के लिये कितने रुपये प्रतिवर्ष के हिसाब से लीज़ पर दिया गया है ?

२. उक्त कारखानों से पिछले पांच वर्ष में कितनी कितनी आमदनी हुई है व उनको लीज़ पर लेने के लिये किन किन के प्रार्थना पत्र किस किस ओफर के साथ आये ?

श्री रामकिशोर व्यास—

१. केवल जीनिंग प्रेसिंग व आइस फेक्ट्री टोंक को लीज़ पर दिया गया। इनको पांच हज़ार रुपये वार्षिक पर २० वर्ष के लिये दिया गया है।

२. उक्त कारखाना वर्षों से बन्द था अतः इससे कोई मुनाफा नहीं रहा।

टोंक फेक्ट्री को लीज़ पर लेने के निम्न लिखित ओफर आये :

१. मेसर्स कुन्दनलाल नरेन्द्रकुमार, उदयपुर; १५०२) प्रतिवर्ष ।

२. मेसर्स गोविन्दसिंह ढीलीवाल एण्ड सं०, चितौड़; ५०००) प्रतिवर्ष ।

३. मेसर्स राजस्थान कोमर्सियल ट्रेडर्स, उदयपुर; २१७५) प्रतिवर्ष।

४. मेसर्स रामलाल एण्ड सन्स, आगरा; १००१) प्रतिवर्ष।

श्री चांदमल मेहता—किसको लीज़ पर दिया गया ?

श्री रामकिशोर व्यास—(अश्रव्य)

श्री अध्यक्ष—नेक्स्ट।

प्रश्न संख्या ३७०

लगत पटवारी नामक कर की वसूली

महाराज श्री केशरीसिंह—क्या राजस्व मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(अ) लगत पटवारी नामक कर किन लोगों से वसूल किया जाता है और किस हिसाब से लिया जाता है ?

Page No 22

[महाराज श्री केशरीसिंह]

(ब) कौन कौनसे जिले में यह कर सालाना कितना वसूल होता है ?

(द) क्या सरकार इस कर को जारी रखेगी ?

श्री दामोदरलाल व्यास [राजस्व मन्त्री]—(अ) व (ब) विवरण-पत्र सदन की मेज पर रक्खा गया है।

(द) यह मामला अभी विचाराधीन है।

(कृपया परिशिष्ट ४ देखिये)

महाराज श्री केशरीसिंह—इसके लिये एक नियम क्यों नहीं है ?

श्री दामोदरलाल व्यास—अलग अलग इन्टीग्रेटिंग युनिट्स के रिवाज थे उसके माफिक वसूल होती है।

श्री केशरीसिंह—क्या टीनेन्सी एक्ट के लागू होने के बाद यह सारे राजस्थान में एक करदी जावेगी ?

श्री दामोदरलाल व्यास—इसका इससे कोई सम्बन्ध नहीं है।

श्री अध्यक्ष—नेक्स्ट।

प्रश्न संख्या ३७१

विभिन्न जिलों में कोयला बेचने के डीलर मुकर्रर करने के आधार

श्री चांदमल मेहता—क्या रसद व उद्योग मन्त्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :—

(क) राजस्थान के किन किन जिलों में पब्लिक में कोयला बेचने के लिये किस किस को डीलर मुकर्रिर किया गया है ?

(ख) उक्त डीलर किस आधार पर मुकर्रिर किये गये हैं और किस किस जिले में क्या २ रेट मुकर्रिर की गई है ?

(ग) जयपुर जिले में किन किन स्थानों की जनता ने कोयला नहीं मिलने के बाबत शिकायतें पेश की हैं ?

(घ) कोल कमिश्नर ने पुराने डीलर को जारी रखने के सम्बन्ध में क्या कोई सक्यूलर जारी किया है ?

श्री रामकिशोर व्यास—(क) राजस्थान के निम्नलिखित जिलों में कोयला वितरण करने के लिये उनके सामने बताये हुए व्यापारी १ साल के लिये मुकरिर हुये हैं :

न म जिला	नाम व्यापारी	व्यापारी की अवधि	आधार किस पर मुकर्रर किये	कमीशन जिस पर व्यापारी की नियुक्ति की गई है।
जयपुर सिटी	मेर्सस कोल एण्ड कोक मर्चेन्टस एसोसियेशन लि०, जयपुर.	१-१-५५ से ३१-३-५६.	टेन्डर के आधार पर	२ आना
,,	मे० वासुदेवप्रसाद एण्ड संस, जयपुर	,,	,,	,,
,,	मे० एस. एन. सुदर्शन एण्ड कं०, जयपुर	,,	,,	,,
बीकानेर सिटी	मे० विजयनारायण प्रह्लाददास,	१-४-५५ से ३१-३-५६..	,, हार्ड सोफ्ट कोक	६ आना
जयपुर डि०	मे० रूघलाल व सवालिया, जयपुर	,,	,,	२ आना ३ आना २ आना ६ पा०
कोटा	श्री गंगाराम अग्रवाल, कोटा	,,	,,	२ आना
भरतपुर, धोलपुर, बाड़ी	श्री गिरराज प्रसाद बाबूलाल, भरतपुर	,,	,,	६ आ० ६ पा०
अलवर	श्री शान्तिकुमार एण्ड संस, अलवर	,,	,, ,,	१ आ० ६ पा० १ आ० ६ पा० १ आना ।
सीकर, श्री माधोपुर, रींगस	श्री भंवरलाल टांक, रींगस	,,	,, ,,	६ आ० १० पा० । ६ आ० ११ पा० । ७ आना ।
उदयपुर	मे० बी. एस. अरोरा, उदयपुर.	१-१०-५५ से ३०-६-५६ तक	,,	६ आना

[श्री रामकिशोर व्यास]

झुंझुनु, महेन्द्रगढ़, नवलगढ़.	मे० विजयनारायण प्रह्लाददास मुंदडा जयपुर	१-१०-५५ से ३०-६-५६तक	,,	६ आना
भीलवाड़ा	श्री रामेश्वरलाल भंवरलाल भीलवाड़ा,	१-४-५५ से ३१-३-५६तक	,,	२ आना ३ पा०
सवाईमाधोपुर	मे० पिन्दरीलाल मदनगोपाल, हिन्डोन	,,	,,	२ आ० ६ पा० । ३ आना । ३ आ० ६ पा० ।
टोंक डि०	मे० डासोट ब्रादर्स, टोंक	,,	डिपो बेसिस	
	मे० रहमदुला । मे० लालचन्द सोनी	,,	,,	
श्री गंगानगर	मे० जगन्नाथ रोशनदास, श्री गंगानगर	१-१०-५५ से ३०-६-५६	टेन्डर बेसिस साइट स्टीम हार्ग	२ आ० ३ पा०
चूरू डि०	मे० मेघराज डीडवाना, चूरू	,,	,,	३ आ० ३ पा०
जोधपुर	मे० गोविन्द्राम रामरख, जोधपुर	,,	,,	१ आना

(क) जिस आधार पर उक्त डिलर्स को मुकर्रर किये हुये हैं वह ऊपर आ चुका है। रेट के विषय में भी उक्त जवाब में व्यापारी का कमीशन बता दिया गया है जो उसे कोयले की कीमत (बीजक के माफिक) रेल भाड़ा, सेल्स टेक्स, मिडिलमेन कमीशन (भारत सरकार द्वारा स्वीकृत) के अलावा दिया जाकर नियुक्त किया।

(ग) जयपुर के कुछ छोटे स्थानों, फुलेरा, नरायणा—से कोयला के डिपो खोलने की मांग आई है जो विचाराधीन है किन्तु कोयला राज्य को इतनी अधिक तादाद में नहीं मिलता है कि छोटे छोटे स्थानों पर भी डिपो खोले जा सकें।

(घ) कोल कमिश्नर ने पुराने डीलर्स को जारी रखने के सम्बन्ध में कोई सक्यूलर जारी किया गया हो ऐसा नहीं पाया जाता।

श्री चांदमल मेहता—जो टेन्डर मांगे गये हैं क्या जिले के आधार पर मांगे गये हैं या और दूसरे ढंग से अलग अलग यूनिट मुकर्रर किये गये हैं ?

श्री रामकिशोर व्यास—अलग अलग जगह के हैं।

श्री चांदमल मेहता—क्या यह सही है कि एक जिले का एक डीलर मुकर्रर होने की वजह से कई स्थानों पर कोयला मिलता नहीं है ?

श्री रामकिशोर व्यास—जिलेवार कई जगह मुकर्रर हैं, कई जगह नहीं।

प्रश्न संख्या ३७२

सन् १९५४-५५ में चित्तौड़गढ़ जिले के लिये तकावी ऋण की स्वीकृति

श्री जयचन्द मोहिल—क्या राजस्व मंत्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(क) गत सन् १९५४. ५५ में चित्तौड़गढ़ जिले के लिये कितना तकावी ऋण स्वीकृत हुआ था ?

(ख) इस स्वीकृत ऋण में से किस किस तहसील को कितना कितना दिया गया और किस किस तहसील में कितना कितना लेप्स हुआ ? लेप्स होने का क्या कारण है ?

(ग) क्या तकावी ऋण वितरण करने के विषय में सम्बंधित अधिकारियों के पक्षपात, रिश्वत और मनमानी की कोई शिकायतें हुई हैं ? अगर हां, तो किस किस तहसील में किस किस अधिकारी के बारे में ?

श्री दामोदरलाल व्यास (राजस्व मंत्री)—(क) सन् १९५४-५५ में चित्तौड जिले में राजस्व तकावी ४०,०००) रूपया और ग्रो मोर फूड ८०,०००) रूपये स्वीकृत हुये।

(ख) इसकी सूची सदन की मेज पर रख दी गई है। कोई रकम लेप्स नहीं हुई। ६३००) रूपया सरेन्डर किये गये हैं।

(ग) कोई शिकायत पेश नहीं हुई।

(कृपया परिशिष्ट ५ देखिये)

प्रश्न संख्या ३७३

. चं, सन् १९५४-५५ में समाज कल्याण विभाग में दस रू. से अधिक की राशि का समान खरीदने के टेन्डर.

श्री भैंरू सिंह—क्या समाज कल्याण मंत्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे:—

(क) मार्च, सन् १९५४ में समाज कल्याण विभाग ने १० रुपये की कीमत से ऊपर का क्या क्या सामान खरीदा था ?

(ख) क्या इस सामान की खरीद के टेन्डर्स मांगे गये थे ? यदि हां, तो किस किस सामान के, किस किस के टेन्डर्स मन्जूर हुए थे और किस आधार पर?

(ग) यह सामान इस विभाग में किस किस तारीख को आया और किस किस तारीख को दर्ज किया गया व किस किस तारीख को कीमत का पेमेन्ट हुआ ?

(घ) इस सामान के स्पेसिफिकेशन्स दिये गये थे या नहीं ? यदि हां, तो क्या सामान स्पेसिफिकेशन के अनुसार नहीं आया ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रामकिशोर व्यास—इसकी जानकारी इतने थोड़े समय में प्राप्त करना संभव नहीं था, इस वजह से इसका उत्तर देना संभव नहीं है?

श्री भैंरू सिंह—समय के अभाव में संभव नहीं या सार्वजनिक हित की दृष्टि से संभव नहीं ?

श्री रामकिशोर व्यास—इस प्रकार की सूचना एकत्र करने में बहुत लम्बा वक्त और ज्यादा मेहनत की जरूरत है आप किसी परटीक्युलर केस में जानना चाहें तो बताया जा सकता है दस रुपये से अधिक की परचेजेज़ तो मेरे ख्याल से हजारों से ऊपर की है।

श्री भैंरू सिंह—मार्च के महीने में कितनी खरीद हुई, यह पूछा गया है ?

श्री रामकिशोर व्यास—आपको कौनसी डिस्ट्रिक्ट की चाहिये आप स्पेसिफिकली बतावें तो मैं कह सकता हूं।

श्री भैंरू सिंह—मेरा प्रश्न यह था समाज कल्याण विभाग ने मार्च, सन् १९५४ में क्या क्या समान खरीदा, उसकी लिस्ट मैंने पूछी थी ?

श्री रामकिशोर व्यास—समाज कल्याण विभाग के सब जगह केन्द्र हैं, किस किस जगह क्या क्या खरीद की गई यह तो प्राप्त करना संभव नहीं है, अगर आप किसी परटीकुलर केन्द्र के बारे में पूछना चाहते हैं तो दरियाफत करके बताया जा सकता है ?

श्री भैंरू सिंह—जयपुर के मुत्तल्लिक।

श्री अध्यक्ष—जयपुर सेन्टर।

श्री रामकिशोर व्यास—यह आप अलग से पूछेंगे तो बता दिया जाएगा।

श्री भैंरूंसिंह—जयपुर हैड आफिस में कितनी परचेज़ेज हुई हैं उसमें १० रुपये से अधिक की कितनी है, यह बता दें।

प्रश्न संख्या ३७४

श्री अध्यक्ष—श्री मोहम्मद अब्दुल हादी।

(प्रश्नकर्ता अनुपस्थित—कृपया परिशिष्ट ६ देखिये)

प्रश्न संख्या ३७५

श्री श्रीदास गोयल

(प्रश्न कर्ता अनुपस्थित—कृपया परिशिष्ट ६ देखिये)

प्रश्न संख्या ३७६

श्री सज्जनसिंह

(प्रश्न कर्ता अनुपस्थित—कृपया परिशिष्ट ६ देखिये)

प्रश्न संख्या ३७७

प्रथम पंच वर्षीय योजना के अन्तर्गत नाथद्वारा तहसील मे हुए कार्य

महाराज श्री शिवदानसिंह—क्या योजना मंत्री निम्नांकित प्रश्नों के उत्तर देने की कृपा करेंगे:—

१. क्या प्रथम पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत श्री नाथद्वारा तहसील में कोई कार्य हुआ है ? अगर हां, तो कहां कहां और क्या क्या और कुल मिलाकर कितना खर्चा हुआ ?

२. उपरोक्त तहसील में जो काम शुरू किये गये उनमें अगर बाकी है तो कौन कौन से हैं और कब तक पूर्ण हो जावेंगे?

३. क्या श्री नाथद्वारा तहसील में आगामी वर्ष में विकास खंड चालू करने का सरकार ने निश्चय कर लिया है ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—१. प्रथम पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत श्री नाथद्वारा तहसील में जो कार्य हुए हैं उनकी सूची सदन की मेज पर रख दी गई है। इसमें कुल मिलाकर १०,२८,३८२ रु० खर्च हुये हैं।

२. सूची में दिये गये कार्यों में से नमानो कम मादरी योजना का काम बाकी है। यह कार्य करीब १ साल में पूरा हो जायेगा।

[श्री मोहनलाल सुखाड़िया]

३. इस वर्ष में राष्ट्रीय विस्तार सेवा खंड खोलने का प्रश्न अभी विचाराधीन है।

(कृपया परिशिष्ट ७ देखिये)

प्रश्न संख्या ३७८

श्री अध्यक्ष—श्री मोटाराम

(प्रश्नकर्त्ता अनुपस्थित—कृपया परिशिष्ट ६ देखिये)

प्रश्न संख्या ३७९

पाकिस्तान से नमक मंगाने के लिये भारत सरकार द्वारा राजस्थान के लिये कोटा

श्री घासीराम गुप्ता—क्या रसद मन्त्री यह बतलाने की कृपा करेंगे—(क) पाकिस्तान से नमक मंगाने के लिये भारत सरकार द्वारा राजस्थान के लिये कितना कोटा मंजूर किया गया और सरकार उसे मंगाने के लिये क्या व्यवस्था कर रही है ?

(ख) क्या सरकार ने पाकिस्तान से नमक मंगाने के लिये व्यापारियों से दरख्वास्तें मांगी हैं ? यदि हां, तो कब ?

(ग) क्या सरकार ने स्वयं भी किन्हीं के लिये सिफारिश की है ? अगर हां, तो किन किन व्यापारियों की की है और उनके क्या क्या नाम और पते हैं ?

श्री रामकिशोर व्यास— १. पचास हजार मन मांगा गया है, किन्तु कितना मिलेगा इसकी सूचना अभी भारत सरकार से नहीं आई है।

२. नमक के वितरण के लिये जिलेवार एसोशियेशन बने हुए हैं उन्हीं के द्वारा मंगाने की व्यवस्था की जायगी।

३. नहीं।

४. नहीं।

श्री घासीराम—क्या यह जिलेवार बांटा जायगा ?

श्री रामकिशोर व्यास—जिलेवार एसोसिएशन बने हुए हैं उन्हीं के मार्फत बांटा जायगा।

Page No 29

प्रश्न संख्या ३८०

श्री कुम्भाराम आर्य (अनुपस्थित)

प्रश्न संख्या ३८१

सन् ५५-५६ में शाहपुरा (जि० भीलवाड़ा) में तकावी ऋण हेतु सरकार द्वारा स्वीकृत धनराशि।

श्री कस्तूरचन्द—क्या राजस्व मन्त्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे:—

(क) सन् ५५-५६ में शाहपुरा, जिला भीलवाड़ा में तकावी ऋण के लिये कितनी रकम सरकार द्वारा स्वीकृत की गई थी?

(ख) क्या उपरोक्त रकम का वितरण करने के लिये एडवाइजरी कमेटी का निर्माण किया गया है?

(ग) यदि हां, तो क्या स्थानीय एम. एल. ए. को उक्त कमेटी का सदस्य बनाना आवश्यक माना गया है? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री दामोदरलाल व्यास (राजस्व मन्त्री)—(क) पांच हजार रेवेन्यू तकावी, पांच हजार ग्रो मोरफूड तकावी।

(ख) जी हां।

(ग) जी हां।

श्री कस्तूरचन्द—तकावी वितरण कमेटी के मेम्बर कौन कौन हैं?

श्री दामोदरलाल व्यास—स्थानीय तहसीलदार, उस क्षेत्र का एम. एल. ए., तहसील पंचायत का सरपंच, उस गांव का व्यक्ति जो तकावी की दरख्वास्त देने वाले व्यक्ति से वाकिफ हो, उस पंचायत का सरपंच।

श्री कस्तूरचन्द—एम. एल. ए. कब से हैं?

श्री अध्यक्ष—नेक्स्ट

श्री दामोदरलाल व्यास—आप नहीं हैं क्या?

प्रश्न संख्या ३८२

श्री अध्यक्ष—श्री श्रीदासगोयल (अनुपस्थित)

प्रश्न संख्या ३८३

श्री अध्यक्ष—श्री मोटाराम (अनुपस्थित)

प्रश्न संख्या ३८४

कन्या मिड़िल स्कूल, जहाजपुर के लिये भवन निर्माण सम्बन्धी

श्री रामदयाल उपाध्याय—क्या शिक्षा मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे— (अ) क्या यह सही है कि कन्या मिड़िल स्कूल, जहाजपुर के लिये उपयुक्त स्थान नहीं है जिसकी वजह से कन्याओं को बैठने का भी कष्ट है ?

(ब) क्या सरकार शीघ्र ही कन्या पाठशाला भवन बनवा रही है ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया— (अ) जी हां।

(ब) विचार किया जा रहा है।

प्रश्न संख्या ३८५

श्री अध्यक्ष—श्री बृजेन्द्रपाल।

(प्रश्नकर्ता अनुपस्थित-कृपया परिशिष्ट ६ देखिये)

प्रश्न संख्या ३८६

बनजी व रामजी ऊंट सवार, तहसील तारानगर, जि० चुरू की राजकीय सेवायें

श्री प्रभुदयाल—क्या राजस्व मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे:—

१. बनजी व रामजी ऊंट सवार, तहसील तारानगर, जिला चुरू में कब से नौकर हैं ?

२. क्या यह पहले जागीरों में नौकर थे ? यदि हां, तो किस किस जागीर में व,कितने कितने साल से ?

३. क्या यह सही है कि नौकरी लगने से पहले बनजी फैमिन के कार्य पर सरदारशहर तारानगर रोड पर मेट का क़ाम करता था ? यदि नहीं, तो क्या सरकार इसकी खुली जांच कराने के लिये तैयार है ? यदि हां, तो कब तक, नहीं, तो क्यों ?

४. क्या यह सही है कि रामजी तारानगर का रहने वाला है और करीब २० साल से यहीं रहता है और उसने कभी किसी जागीर में नौकरी नहीं की थी ? यदि नहीं, तो खुली जांच की जायगी और कबतक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री दामोदरलाल व्यास—

१. श्री ब्रनजी व श्री रामजी ऊंट सवार, तहसील तारानगर में क्रमश: ४ और ५ जनवरी, १६५५ से नौकर हैं।

२. ब्रनजी के लिये ठिकाना केसाल में १५ वर्ष नौकरी करना बताया गया तथा रामजी के लिये ठिकाना भिलाला ने ५ साल का नौकर होने की तसदीक की। परन्तु अब जांच करने पर ऐसा मालूम होता है कि यह तसदीक जो ठिकानों ने की है वह गलत है।

३. जी हां।

४. यह सही है कि रामजी तारानगर का रहने वाला है और यह भी तहसीलदार तारानगर की रिपोर्ट से पाया जाता है कि इसने किसी भी जागीर में नौकरी नहीं की थी।

श्री प्रभुदयाल—अब उनके लिये क्या कार्यवाही हो रही है ?

श्री दामोदरलाल व्यास—अब उनको अलहदा करने की कार्यवाही की जा रही है।

श्री प्रभुदयाल—जिसने यह फोरजरी की सरकार उसको सजा देगी ?

श्री दामोदरलाल व्यास—कानूनी कार्यवाही की जायगी।

श्री प्रभुदयाल—जिस अफसर ने फरजी दस्तखत किये क्या सरकार उस पर एक्शन लेगी ?

श्री दामोदरलाल व्यास—अफसर की गलती पाई गई तो।

श्री प्रभुदयाल—फरजी दरख्वास्त पाई गई तो क्या सरकार इसको गलती नहीं मानती; तो वह क्या थी ?

श्री अध्यक्ष—Too much enthusiasm is being shown.

प्रश्न संख्या ३८७

श्री अब्दुल हादी

(प्रश्नकर्ता अनुपस्थित-कृपया परिशिष्ट ६ देखिये)

प्रश्न सं० ३६८

सांगानेर तहसील में काश्तकारों की नीलाम की गई लकड़ी

श्री नारायण चतुर्वेदी—क्या राजस्व मंत्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे;—

(क) सांगानेर तहसील में कितने काश्तकारों की लकड़ी नीलाम की गई ?

(ख) इन काश्तकारों में खातेदार कितने थे ?

(ग) क्या लकड़ी के अलावा घास भी जब्त की गई और नीलाम की गई ?

(घ) जिन लोगों पर इस सिलसिले में जुर्माना किया गया उनकी फैसले की नकल की दरख्वासत कब कब आई ? नकल हुक्म कब दिया गया ?

श्री दामोदरलाल व्यास—चार आदमियों की लकड़ी नीलाम की गई।

(ख) इनमें खातेदार काश्तकार कोई नहीं था।

(ग) जी हां, केवल एक व्यक्ति की दरख्वासत् २४-२-५६ तहसील में नकल के लिये पेश हुई उसकी कापी दिनांक ५-३-५६ को देदी गई।

श्री नारायण चतुर्वेदी—क्या दरख्वास्त देने वाला खातेदार काश्तकार है ?

श्री दामोदरलाल व्यास—जिनकी लकड़ी नीलाम की गई वह खातेदार काश्तकार नहीं है।

श्री नारायण चतुर्वेदी—क्या यह जो आप सूचना दे रहे हैं, सच है ?

श्री दामोदरलाल व्यास—जी हां सच है।

श्री नारायण चतुर्वेदी—अगर सूचना गलत हो तो क्या करेंगे ?

श्री दामोदरलाल व्यास—गलत सूचना देने वाले के खिलाफ कार्यवाही की जायगी।

प्रश्न संख्या ३८६

श्री रामनाथ निवासी कुचेरा क्लर्क बीकानेर द्वारा एल० एल० बी परीक्षा में बिना आज्ञा के बैठना

रावत श्री शम्भूसिंह—क्या उद्योग व व्यवसाय मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :—

(क) क्या सरकार की जानकारी में यह है कि श्री रामनाथ वल्द लुग्गाराम निवासी कुचेरा, व्यापार विभाग में ब हैसियत क्लर्क बीकानेर तैनात है ?

Page No 33

(ख) क्या उपरोक्त सरकारी नौकर बिना इजाजत पढ़ाई कर रहा है और गई साल एल० एल० बी० प्रथम वर्ष पास कर इस साल फाइनल की परीक्षा बिना इजाजत देने वाला है?

(ग) यदि हां तो क्यों और उसके खिलाफ क्या कार्यवाही की जा रही है ?

श्री रामकिशोर व्यास—(क) हां।

(ख) नहीं उपरोक्त कर्मचारी ने परीक्षा में बैठने की आज्ञा प्राप्त की है।

(ग) इस वर्ष नहीं।

रावत श्री शम्भूसिंह—यह आज्ञा कब प्राप्त की ?

श्री रामकिशोर व्यास—६-८-५५ को प्राप्त की।

प्रश्न संख्या ३६०

सराफा बाजार भीलवाड़ा के व्यापारियों द्वारा सोना चांदी के आभूषणों में ७० प्रतिशत खोट डालना

श्री जयसिंह—क्या उद्योग व व्यवसाय मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

१. क्या यह सही है कि सराफा बाजार भीलवाड़ा के व्यापारियों द्वारा तैयार कराये गये सोने चांदी के जेवरों में ७० प्रतिशत खोट डाली जाती है जिससे स्वर्णकारों का धन्धा कतई लुप्त होता जा रहा है ?

२. यदि हां तो क्या सरकार इस विषय में कोई कार्यवाही करने का विचार रखती है ?

३. यदि हां तो क्या और कब तक ? यदि नहीं तो क्यों नहीं ?

श्री रामकिशोर व्यास—।१। सरकार के ध्यान में ऐसी कोई शिकायत नहीं है।

।२। सोने और चांदी के आभूषण व अन्य वस्तुओं में सम्मिश्रण रोकने के लिये राजस्थान सोना चांदी सम्मिश्रण निरोधक विधेयक १६५६ राजस्थान सरकार तैयार कर चुकी है जो सरकार के विचाराधीन है। उसके निर्णय के बाद शीघ्र ही राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिये भारत सरकार के पास भेजा जायगा।

प्रश्न संख्या ३६१

श्री विश्वंभरनाथ जोशी

(प्रश्नकर्ता अनुपस्थित—कृपयां परिशिष्ट ६ देखिये)

कु० श्री जसवंतसिंह द्वारा राज्य सभा में सदस्य निर्वाचित होने के कारण त्याग-पत्र

श्री अध्यक्ष—मैं माननीय सदस्यों को सूचित करता हूं कि कुंवर श्री जसवंत सिंहजी ने राजस्थान से राज सभा के लिये सदस्य निर्वाचित हो जाने के कारण राजस्थान विधान सभा की सदस्यता से दिनांक ६ अप्रैल, १९५५ से त्यागपत्र दे दिया है।

(विराम)

Presentation of the Select Committee Report.

श्री भैरू सिंह—(१६) अध्यक्ष महोदय, मेरा एक एडजोर्नमेंट मोशन भी मूव किया हुआ है।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया (मुख्य मंत्री) —Now who is the leader of fhe Opposition ?

श्री जवान सिंह—उपनेता काम कर रहे हैं।

राजस्थान डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स (संशोधन) विधेयक, १९५६
[प्रवर समिति के प्रतिवेदन की प्रस्तुति]

श्री बद्री लाल (श्री सभापति)—मैं डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स (संशोधन) विधेयक, १९५६ पर प्रवर समिति का प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूँ।

श्री भैरुसिंह व श्री शम्भूसिंह द्वारा भू-स्वामी संघ के आन्दोलन सम्बन्धी स्थगन प्रस्ताव

श्री अध्यक्ष—मेरे पास दो स्थगन प्रस्ताव एक ही विषय के आये हैं कि जिनमें सात व आठ अप्रैल, १९५६ को पुलिस द्वारा गिरिफ्तारियों के विषय में स्थगन प्रस्ताव रक्खे गये हैं। एक श्री भैरोंसिंहजी द्वारा और दूसरा श्री रावत शम्भूसिंह जी द्वारा।

इस विषय पर सदन में राजप्रमुख के भाषण पर और बजट के अवसर पर भी काफी वाद-विवाद हो गया है और इसके हर पहलू पर विरोधी पक्ष की ओर से और सरकारी पक्ष की ओर से भी प्रकाश डाला जा चुका है, और इस समय जो स्थिति उत्पन्न हुई है उस सम्बन्ध में

[श्री अध्यक्ष]

जब तक सरकारी पक्ष को सुन न लूं तब तक इस पर मैं अपना निर्णय नहीं देना चाहता । इसलिये मैं जानना चाहूँगा कि सरकारी पक्ष इस पर कुछ कहना चाहेगा क्या ?

श्री रामकिशोर व्यास (गृह मन्त्री)—यह जो स्थगन प्रस्ताव, प्रस्तुत किया गया है वह पब्लिक इम्पोर्टेन्स का नहीं है, पर इस सम्बन्ध में एक वक्तव्य देना मैं उचित समझूंगा कल ।

श्री भैंरू सिंह—(१६) मैं थोड़ा सा निवेदन करना चाहता हूं इसकी एडमिसिब्लिटी के सम्बन्ध में....

श्री अध्यक्ष—कल ये कुछ कह लें उससे जो स्थिति होगी उस पर निर्णय किया जा सकेगा । एडमिसिब्लिटी के बारे में कहने की आवश्यकता नहीं है । न इस पक्ष या उस पक्ष की तरफ से एडमिसिब्लिटी के बारे में जो तर्क दिये जावेंगे उनसे प्रभावित होने की मुझे आवश्यकता है । मैं समझता हूँ कि इस सम्बन्ध में स्थिति राजप्रमुख के भाषण के समय, उस सम्बन्ध में बहस के दौरान में और बजट की बहस के दौरान में भी जरूरत से ज्यादा स्पष्ट की जा चुकी है । अब जो लेटेस्ट डेवेलेपमेंट होनेकी बात कही जाती है उस पर सरकारी पक्ष का मन्तव्य मालूम हो जाने के बाद में ही मैं अपना निर्णय दूंगा ।

श्री भैंरू सिंह—(१६) मैं थोड़ा सा निवेदन करना चाहता हूं ।

श्री अध्यक्ष—Order please.

(घंटी)

If there is anything for the hon'ble member to say, I will give him hearing in my chamber and then will see about the admissibility.

श्री भैंरू सिंह—मैं माननीय मन्त्री जी की जानकारी के लिए कहना चाहता हूं कुछ ।

श्री अध्यक्ष—That hon'ble member could say to the hon'ble minister also outside the house. About the admissibility he should not be impatient. The question is being postponed only for tomorrow.

श्री भैंरू सिंह—(१६) मैं थोड़ा निवेदन करना चाहता हूँ कि कल वे किस बात पर प्रकाश डालें जिससे लोगों को सन्तोष हो ?

श्री अध्यक्ष—आपके स्थगन प्रस्ताव में वे सब बातें लिखी हैं । This tendency of interruption is not desirable. The hon'ble minister is not giving the Statement here and now. If the hon'ble member wants certain points to be attended to, he may direct my attention and I may call the attention of the Government on those points.

Page No 36

श्री भैरूं सिंह—मैं उसी विषय में एक आधा मिनिट ही कहना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष—But not on the floor of the House. The hon'ble member can approach me and I can ask the Government to clear those points.

श्री भैरूं सिंह—एक थोड़ा सा निवेदन यह करूंगा........

श्री अध्यक्ष—Order please ! This tendency of interruption is not desirable, I think the hon'ble member will cooperate with me in asking the Government to throw some light over the situation.

श्री शम्भूसिंह—माननीय अध्यक्ष महोदय, एक मिसअन्डरस्टेंडिंग हो सकती है।

(घन्टी)

श्री अध्यक्ष—Further discussion on the resolution of states Reorganization Bill, Shri Nathu Ram Mirdha.

राज्य पुनर्गठन विधेयक, १९५६ (अग्रेतर वाद-विवाद)

श्री नाथूराम मिर्धा—माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं एस. आर. सी. बिल पर यह कह रहा था कि राजस्थान में जो असर एस. आर. सी. बिल की वजह से हुआ है राजस्थान के सभी लोगों को इससे पूरा सन्तोष होना चाहिये। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं यह मानता हूं राजस्थान को जो हिस्सा मिलना चाहिये था वह पूरी तौर से मिल गया है। राजस्थान में आबू का वह हिस्सा जो पहले बम्बई में चला गया था वह वापिस उनको मिल गया है। अजमेर राजस्थान के करीब अब होगा।

राजस्थान में अजमेर का स्टेटस एक जिले का है। इसके बारे में इस बिल में जिक्र है। इस सम्बन्ध में अध्यक्ष महोदय बहुत से माननीय सदस्यों ने इस बात की चर्चा उठाई कि अजमेर जो एक पार्ट सी स्टेट थी अब हमारे राजस्थान में शरीक हो रही है तो अब राजस्थान की राजधानी कौनसी रहे ? इस मुद्दे पर इस सदन के बहुत से सदस्यों ने अपने विचार रक्खे। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं ऐसा मानता हूं कि इस मुद्दे की चर्चा इस वक्त करने की कोई आवश्यकता भी नहीं थी। राजस्थान आज से सात आठ वर्ष पहले बना। इसमें उसकी राजधानी कहां हो इस बारे में एक निर्णय लिया गया था। जयपुर राजस्थान की राजधानी बनी। जयपुर को इन वर्षों में बनाने के लिये सरकार की ओर और लोगों की ओर से भी बहुतसा खर्चा उठाना पड़ा और पहले से जयपुर को आज हम लोग इस स्तर पर ले आये हैं कि वह राजस्थान की राजधानी बनने के बिलकुल उपयुक्त हो गया है। इसके बाद भी यह चर्चा उठाना कि एक पार्ट सी स्टेट का शहर अजमेर राजस्थान की राजधानी बनाया जाय तो न यह इस बिल की मंशा है और न इसके राजस्थान में मिलने का यह मतलब है। इस बात पर विशेष चर्चा करने की भी इस समय आवश्यकता नही थी। फिर भी

[श्री नाथूराम मिर्धा]

जो चर्चा लोगों ने की वह अपने व्यक्तिगत भावना से जिसे वे महसूस करते हैं कीहै, या जिस इलाके का वे फायदा चाहते हैं उस अपने इलाके के फायदे के इरादे से जो कि विशेष दिलचस्पी उस इलाके में रखते हैं, चर्चा की है।

इसके बाद एक सवाल और उठाया गया और जिस पर काफी चर्चा भी हुई, वह है जोन का सवाल जिसका वर्णन इस बिल में है। इसके बारे में बहुत से माननीय सदस्यों ने अपने कई तरह के विचार भी रक्खे। कइयों ने यह महसूस किया कि जोन हिन्दुस्तान में बनाने की आवश्यकता नहीं है और इससे हिन्दुस्तान का विशेष फायदा नहीं होने वाला है। सदन में इधर बैठने वालों ने भी और उधर बैठने वालों ने भी इस मुद्दे पर अपने अपने विचार रक्खे। बहुतों ने पहले तो यह कहा कि ये जोन बनाने ही नहीं चाहिये और अगर बनाये जाएं तो फिर राजस्थान को अमुक जोन में ही रक्खा जावे इस पर भी सदस्यों ने अपने विचार प्रकट किये हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, जोनल कौन्सिलें और जोन जिस तरह से बनाये गये हैं उनके पीछे यह साफ इरादा है कि ये स्टेटें एक साथ बैठकर कुछ मुद्दों पर और विशेष कर हमारे मुल्क का जो डेवलपमेन्ट चल रहा है उन पर एक साथ बैठकर ज्यादा अच्छी तरह से चर्चा कर सकें और उन्हें ज्यादा अच्छी तरह से कार्यान्वित कर सकें और एक दूसरे की समस्या जिसमें एक प्रान्त का दूसरे में विशिष्ट इन्टरेस्ट हो उनको एक जगह बैठकर विचार करने का मौका मिले और प्लानिंग कमीशन जो हमारी केन्द्रीय सरकार का आरगेनाइजेशन है उसको भी और केन्द्र के प्लानिंग मिनिस्टर को भी ठीक से सलाह दे सकें तो इससे हम अपने कामों को और अच्छे तरीके से कर सकते हैं। इस इरादे से जितना कि इस बिल में लिखा हुआ है इस बात को देखते हुए यह चीज है कि, माननीय अध्यक्ष, मैं मानता हूँ कि बिल्कुल वाजिब है।

और इसके साथ में यह बात थी कि इस प्रान्त को इसी जोन में या दूसरे जोन में मिलना चाहिये। मौजूदा परिस्थिति को देखते हुए, और मौजूदा जो डेवलपमेंट के प्रोग्राम्स हैं उनको देखते हुए जिस हिसाब से राजस्थान को रखा गया है पंजाब के साथ में, काश्मीर के साथ में, हिमाचल के साथ में, मैं मानता हूँ माननीय अध्यक्ष, यह बिल्कुल उपयुक्त ही किया गया है, और यह वाजिब है कि राजस्थान का जिसका कि भाखरा नांगल से काफी सम्बन्ध है, उस सम्बन्ध को देखते हुए यह जो व्यवस्था इस बिल में की गई है वह बिल्कुल ठीक महसूस होती है। माननीय अध्यक्ष, जोधपुर से आने वाले एक माननीय सदस्य थे उन्होंने कहा कि उसकी फेस वेल्यू के यह बात ठीक है, परन्तु इसके बादमें अगर इसके अन्दर और कुछ इरादा है तो यह बिल्कुल दूसरी तरह सोचने का विषय बन जाता है। माननीय अध्यक्ष, जो चीज इस बिल में लगी हुई है वह सारी चीज इसमें देखते हुए उसकी वेल्यू के मुताबिक टेक ओवर करके जो कुछ व्यवस्था की गई है वह बिल्कुल सराहनीय है।

और जोकि दूसरे मुद्दे राजस्थान के विषय में हैं उनसे इस सदन के बहुतसे मेम्बरों की और मेरी भी पूर्णतया इसमें सहमति प्राप्त है। और इस बिल के पास होने के बादमें हमारे मुल्क का जो नक्शा, माननीय अध्यक्ष महोदय, बनेगा वह एक अच्छा नक्शा होगा जिसमें काफी बड़े बड़े

[श्री नाथूराम मिर्धा]

प्रान्त होंगे और जिसकी तरक्की हम जिस इरादे से करना चाहते हैं वह अच्छी तरह से हो सके, ऐसी मेरी मान्यता है।

इन शब्दों के साथ जो प्रस्ताव माननीय मुख्य मन्त्रीजी ने इस सदन के सामने प्रस्तुत किया है, उन पूरे प्रयत्नों का मैं समर्थन करता हूँ।

श्री जयनारायण व्यास—अध्यक्ष महोदय, मैं समझता हूं कि इस सदन में बहुत सारे विधेयक आये हैं उनमें यह विधेयक बहुत महत्व रखता है। सबसे बड़ी बात तो इस विधेयक के द्वारा हम स्वीकार कर रहे हैं वहयह हैं—कि हम एक छोटे से दायरे में नहीं रहे हैं, बल्कि शायद ढाई लाख वर्ग मील के दायरे में आ जाते हैं। विधेयक को कई पहलुओं से विचार किया जाना चाहिए, और एक दो पहलुओं के हिसाब से मैं विचार प्रकट करना पसन्द करूंगा।

सबसे पहले अभी जो नाथूरामजी मिर्धा जो कि मेड़ता से आ रहे हैं, ने जिक्र किया था कि राजधानी के बारे में काफी चर्चाएं चली हैं। अखबारों में भी देखा है। राजधानी का प्रश्न ऐसा है कि जिसको इसमें लाने की आवश्यकता नहीं थी। अजमेर बीच में पड़ता है, लेकिन अजमेर के चीफ कमिश्नर अभी तक किराये के मकानों में रहते हैं और जयपुर से अजमेर हम चले जायं तो इतनी दिक्कत हो सकती है, यह कल्पना करने की बात है। फिर भी अगर अजमेर राजधानी हो या हरनिया या हट्टूंडी हो तो कोई आपत्ति की बात नहीं है। यह बैठकर बातचीत करने की बात थी। अगर हमारे पास बहुत पैसा है तो नई राजधानी पैदा की जा सकती है जैसे चंडीगढ़ को पैदा किया गया है। इसलिये इस बात पर झगड़ने की आवश्यकता नहीं मालूम होती है। राजधानी के बारे में कुछ नहीं बोलना चाहते हैं कि कुछ लोगों को प्रसन्न करना है तो उस हालत में मुझे कहना चाहिये कि अजमेर के बजाय राजधानी किशनगढ़ को बनाई जाय। (हंसी) तो इस तरह से बातें करेंगे तो बहुत अच्छी बातें करेंगे तो बहुत अच्छी बात नहीं हैं।

यह जोनल आर्गेनाइजेशन्स जो हो रहे हैं उनका लक्ष्य क्या है? यह थोड़ा हमारे देखने की बात है। मैं समझता हूं कि उनका लक्ष्य एक ही है और वह यह है कि हमारे राज्यों का विकास होना चाहिए। हमारा दृष्टिकोण जो है वह विशाल होना चाहिए। हमारा व्यापार और हमारा उद्योग जो हैं उनका भी विकास होना चाहिए। उस दृष्टि से, हमारा ख्याल है, यह जो विस्तार हो रहा है उसके ऊपर मेरी सहमति है। लेकिन दूसरी तरफ भी विस्तार हो जाता तो मुझे आपत्ति नहीं होती। उदाहरण के तौर पर यह मेरी राय थी बहुत अरसे से कि मालवा और गुजरात सांस्कृतिक दृष्टि से और कई दूसरी दृष्टियों से हम से काफी मिलते जुलते हैं। नीमच चला जायगा मध्य प्रदेश में और जाकर देखेंगे तो आंध्र तक वह राज्य चला गया है इसलिये जो मुश्किलें उनको होतीं वे नहीं होतीं। पेप्सू भी हमसे लगा हुआ है। हमारे पास आता तो बड़ी खुशी की बात होती। अब हमारा जोन काश्मीर तक जाता है। ठीक है, विशालता जरूर आई है, लेकिन बड़ी

[श्री जय नारायण व्यास]

विभिन्नता आ जाती है। एक तरफ रेगिस्तान आ जाता है और दूसरी तरफ पर्वतिस्तान। मैंने बैठे २ इनकी दूरी देखने की कोशिश की। कुशलगढ़ हमारे दक्षिण में एक हिस्सा है और कुशलगढ़ यहां से करीब करीब २६७ मील पड़ता है और जयपुर से ३६७ मील पड़ता है तो ६०० मील से ज्यादा कुशलगढ़ पड़ता है और फिर काश्मीर के नार्थ में चले जायं तो वह ३३८ मील और हो जाता है। इस तरह से करीब करीब १ हजार मील की लम्बाई आ जाती है। एक हजार मील लम्बाई कोई बड़ी लम्बाई नहीं है अगर उससे बहुत लाभ हो जाता है। यह भाखरा नांगल की जो स्कीम्स हैं वह वास्तव में हमारी खुद की स्कीमस् हैं। उसका कन्ट्रोल जो है वह एक बोर्ड करेगा जिसमें हमारे आदमी भी होंगे। इसलिए उसमें तो बहुत बड़ा फर्क पड़ता नहीं मालूम होता है। चम्बल में हम इन्ट्रेस्टेड है और चम्बल में फर्क नहीं होने वाला है अगर मध्यभारत हमारे साथ में नहीं आये तो।

एक बात जो सोचने की थी वह यह कि राजस्थानियों के व्यापार और उद्योग की दृष्टि से अहमदाबाद में राजस्थानियों का उद्योग और व्यापार है वह उद्योग और व्यापार हमारे यहां पर चला आये तो वह अहमदाबाद से नजदीक आ सकता है और बम्बई से नजदीक आ सकता है और इधर की तरफ तो व्यापार व उद्योग राजस्थानियों का है नहीं। सी पोर्ट हमको नहीं मिल रहा है। इधर के जोन्स से सम्बन्ध रखते हैं तो एक दो बातें मिल जाती हैं। इस दृष्टि से अगर यह होता तो मैं इसको पसन्द करता, लेकिन नहीं हो तो नापसंद नहीं है, स्वागत करने का है, कम से कम विशालता तो हमारे अन्दर आयेगी।

एक से अधिक स्टेट्स का एक गवर्नर हो सकता है। अगर गवर्नर सारे जोन का एक हो तो कोई बात नहीं है। इस पर ज्यादा परेशान रहने की जरूरत नहीं है। गवर्नर का पद है वह आवश्यक नहीं है। किसी न किसी तरह रख दिया गया है। कोई बात नहीं है। एक रेस्ट्रिक्टेड कन्ट्रोल उनका है नहीं। मैं तो ऐसा मानता हूँ कि यह अच्छा हो कि गवर्नमेंट पर आगे जाकर फर्क पड़े यानी जिस जोन में हो उसका धीरे धीरे जोनल एडमिनिस्ट्रेशन भी बनाना पड़ेगा। अभी जोनल एडमिनिस्ट्रेशन कुछ है। असेम्बली भी जोनल हो जाय तो चिन्ता की बात नहीं है, क्योंकि जितने लोगों के सामने प्रलोभन के विषय होते हैं उतना ही लोभ ज्यादा बढ़ता रहता है और झगड़े ही होते रहते हैं। मेरा अनुमान है कि असेम्बली एक बन पाये तो ठीक है और न भी बन पाये तो कोई बात नहीं है। अलग अलग भी चलती रहेंगी तो कोई चिन्ता की बात नहीं है। सबसे बड़ा फायदा जो हमको मिलने वाला है वह यह है कि हमारा और केन्द्र का सीधा सम्बन्ध हो जायगा, क्योंकि एक मिनिस्टर केन्द्र की तरफ से जायेगा जोनल कौंसिल का हैड होकर और इधर से भी काफी लोग जायेंगे, यहां से भी चीफ मिनिस्टर जायेंगे और दूसरी जगह से भी जायेंगे तो हमारे बहुत से आवागमन और विचार विनिमय ठीक होंगे। मैं इस विशालता का जो नये विधेय के द्वारा हमको मिलती है उस विशालता का स्वागत करता हूं कि छोटे दायरे हैं उनके ऊपर

[श्री जयनारायण व्यास]

हम लोग विचारते हैं तो उस तरह के विचार और जगह पर प्रकट किये जायं, लेकिन इस विधेयक को जिस तरह से आ रहा है उसी तरह से स्वीकार कर लिया जाय।

श्री गोपीलाल यादव—माननीय अध्यक्ष, यह स्टेट्स रिआर्गेनाइजेशन बिल एक महत्वपूर्ण बिल है और इसका महत्व इस वजह से और भी बढ़ गया है कि इसके आने से पहले देश में अनेक प्रकार की प्रतिक्रियायें हुई हैं, कहीं कहीं झगड़े भी हुये हैं। इस वक्त हमारे सामने यह बिल है, यह प्रस्ताव है कि राजस्थान की एसेम्बली इसका स्वागत करती है इसमें तो कोई दो राय नहीं हो सकती है कि राजस्थान की असेम्बली और राजस्थान के लोग इस बिल का पूरे दिल से स्वागत करते हैं। लेकिन जहां तक इस बिल का सम्बन्ध है, हमको केवल राजस्थान से सम्बन्ध रखने वाली चीजों को ही देखना ही नहीं है बल्कि सारे भारतवर्ष से इसका सम्बन्ध है और और बिल जो सारी स्टेट्स में भेजे जाते हैं इसका मतलब यह है कि हर एक उस असेम्बली के लोग इस बिल के विषय में जिसका सम्बन्ध सारे देश से है, क्या राय रखते हैं? हमारी सेन्ट्रल पार्लियामेंट इस बिल को पास करेगी लेकिन इसमें यह भी देखा जाता है कि कितने सूबों की असेम्बलियां इसको पास करती हैं और उनकी मेजोरिटी जो होती है अंत में वही मानी जाती है। लेकिन असेम्बलियों को इस बिल को देखने का जहां तक सवाल है इस पोइन्ट ऑफ व्यू से ही इसको नहीं देखना है कि प्रत्येक असेम्बली के लिए चार लाइन है तो उन को ही देखने की बात है जो उस राज्य से सम्बन्धित हैं, मैं समझता हूँ कि यह है तो हम भूल करते हैं। हम इस बिल के सम्बन्ध में अपनी राय दें और दूसरी अपने नेता के जरिये से ऐसी राय सेन्टर को भेजनी चाहिये जो कि सारे देश के लिये लाभदायक हो। देश इस वक्त एक इकाई के रूप में है और अगर देश के एक हिस्से में गड़बड़ हो जाती है, जैसे मिसाल के तौर पर मेरा शरीर एक है लेकिन अगर पैर में कांटा लग जाता है तो सारे शरीर में उससे तकलीफ हो जायगी इसलिये मुझे देखना है कि एक जगह स्वस्थ है तो कहीं उसके दूसरी जगह पीड़ा नहीं प्रकट हो जाती है, तकलीफ नहीं हो जाती है, हमें उन तकलीफों को बताना जरूरी है। मैं पहले यह बात बताना चाहता हूँ कि जहां तक राजस्थान का सम्बन्ध है इस बिल से हम इसका पूरे दिलसे स्वागत करते हैं और स्वीकार करते हैं और नेता महोदय ने जो प्रस्ताव रखा है, उसका मैं समर्थन करता हूँ।

केपीटलके भविष्यमें वादविवाद क्या हुआ, अजमेर वालों की यह गलती थी। जब वे राजस्थान में मिल रहे हैं तो उस वक्त में अपने मुंह से ऐसी बात नहीं निकालनी थी। राजस्थान में आकर मिलना चाहते हैं और इस तरह से जो कुछ यहां खटाई पड़ी हुई है, जो फूट राजस्थान में आल रेडी है उसको तो और बढ़ावेंगे और इस गड़बड़ी का और बढ़ाने का फायदा करेंगे। अजमेर को केपीटल बनाने की बात जितनी भी कहें मूर्खता पूर्ण है। मद्रास को ले लीजिये, बम्बई को ले लीजिये, कलकत्ता को ले लीजिये, त्रिवेन्द्रम को ले लीजिये, जितने सूबे देश के हैं और बड़े बड़े हैं, उन सब की केपीटल्ज वे हैं, जो बड़े बड़े खूबसूरत सीटीज़ हैं कोई सेन्टर में नहीं है। कलकत्ता क्या बंगाल के सेन्टर में है? कोई कहे कि अजमेर राजस्थान के सेन्टर में है,

[श्री गोपीलाल यादव]

क्या पटना सेन्टर में है ? मद्रास सेन्टर में है । संयुक्त महाराष्ट्र ने हुल्लड़ किया और अब मांग कर रहे हैं कि बम्बई नहीं दे तो, बम्बई को महाराष्ट्र की केपीटल न बनाने दें तो कम से कम बंबई के एक कोने में केपीटल बना दें । गुजरात का केपीटल के लिये एक प्रकार का लगाव है । जयपुर एक इतना सुन्दर प्रोग्रेसिव शहर है कि जिसका मुकाबला अजमेर, अजमेर का मुकाबला तो भरतपुर और अलवर से किया जा सकता है, वहां पानी नहीं है, गलियां सड़ती हैं, कोई बढ़ने का तरक्की का नहीं है ।

(विरोध पक्ष द्वारा कई सदस्य, "जयपुर जैसी सड़ी गलियां नहीं हैं"

तो अजमेर के लिये कहा जाय कि उसको केपीटल बनाया जाय । अजमेर तो बनने की नहीं लेकिन जैसा मेरे मित्र जयनारायणजी ने कहा कि किशनगढ़ के पास या और कहीं चंडीगढ़ की तरह नया शहर बसाया जाय, इसलिये इस मौके पर विरोध नहीं करना चाहिये, केपीटल बन जायगी तबही शामिल होंगे, केपीटल वहां कभी बनने वाली नहीं है । वहां की असेम्बली की और पार्टी की बातों को देखना है, चीफ मिनिस्टर को लेटर जरूर लिखना चाहिये कि हम आपका राजस्थान में स्वागत करते हैं, आते वक्त छाती से लगावेंगे लेकिन गड़बडी पैदा न करें, गड़बड़ी की आवश्यकता नहीं अजमेर को समुद्र में डालें, सेन्ट्रली एडमिनिस्टर्ड एरिया है, अजमेर गड़बड़ी करे इसकी क्या आवश्यकता है ?

दूसरा जोन्स के सम्बन्ध में मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि इसके कई जोन्स हैं । ज़ोन्स का पंडित जी ने जिक्र किया । बम्बई से एक प्रस्ताव चला कि अजमेर, राजस्थान, सौराष्ट्र और बम्बई को मिलाकर एक पश्चिमी प्रदेश बना दिया जाय । जितने लोगों से बातचीत करने का मौका मिला, सब ने कहा कि इतना बड़ा प्रदेश बनाने की बात गलत है । जोन्स बनेंगे, राजस्थान पंजाब के साथ मिल सकता है, दूसरों के साथ नहीं मिल सकता है क्योंकि इन जोन्स का मतलब है, पानी और बिजली पावर से । खास तौर से इन दो चीजों को पैदा करना और प्रत्येक इलाके में बंटवारा करना कि जिससे उनकी तरक्की हो सके । इन जोन्स के मतलब मैं कभी नहीं लगाता हूं कि धीरे धीरे ये राज्य बन जावेंगे जैसा कि आज राजस्थान है और अगर इसका यह मतलब हो तो उसका जोरदार शब्दों में विरोध करना चाहिये और मैं चाहूँगा कि हमारे सदन के नेता इस चीज को साफ कर दें । मैं बधाई देना चाहता हूँ उन्हें कि जब एक लहर देश में उठी थी, बंगाल और बिहार की विलय की और लोगों ने सोचा कि अपने आपको मशहूर बनावें, हम भी बड़े प्रान्त बना सकते हैं, उस वक्त यह कहा कि राजस्थान दूसरों के साथ नहीं मिलेगा । इसके लिये मैं यह कहना चाहता हूं कि हम संकुचित विचार धारा के नहीं हैं कि राजस्थान दूसरों के साथ नहीं मिले, या हम हिन्दुस्तान को इकाई नहीं मानते हों। लेकिन वास्तविकता क्या है हमें देखना यह है। हम में से प्रत्येक का यह कर्तव्य है कि सेन्ट्रल गवर्नमेण्ट और कांग्रेस हाई कमाण्ड को वह बात बतावें जिसे हम ईमानदारी से महसूस

[श्री गोपी लाल यादव]

करते हैं और वह बात बतावें जिससे सारे देश का भला होने वाला है। केवल हां में हां नहीं मिलावें। मैं यह मानता हूं कि आज पण्डित नेहरू सारे हिन्दुस्तान के ही नेता नहीं हैं वरन सारी दुनियां के नेता हैं लेकिन यदि हम यह महसूस करते हैं कि वे गलत फैसला करने जा रहे हैं तो हम में से हरएक का यह कर्तव्य है कि वह निडर होकर उनको यह कहें कि पण्डित जी जो आप करने जा रहे हो वह गलत है और इससे देश का नुकसान होगा। तो मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि यदि इतनी बड़ी बड़ी स्टेट्स बनाई जांय, तो मेरा ख्याल है कि इससे देश की एकता छिन्न भिन्न होगी। उदाहरण के तौर पर मैं यह बताना चाहता हूं कि बम्बई, मद्रास और पंजाब को बाइलैंग्वल स्टेट्स बनाई गई तो वहां कई बखेड़े खड़े हो गये। बम्बई में गुजरात और महाराष्ट्र, मद्रास में आन्ध्र, तेलगू, तामिलनाड और उधर गुरुमुखी और पंजाबी ये तीन स्टेट्स थीं उन तीनों में एकता आज तक नहीं बन पाई, इसका कारण क्या है? इसका कारण यह है कि दो भाषा बोलने वाले एक सूबे में मिल गये नतीजा यह हुआ हर भाषा वाला चाहता है कि हमारी भाषावालों की उन्नति होनी चाहिये और इसी कारण से महाराष्ट्रियान्स और गुजरातियों में मतभेद बना रहा, उनका झगड़ा रहा। उधर पंजाबी बोलने वालों और हिन्दी बोलने वालों में झगडा चल रहा है। मद्रास से आन्ध्र अलग हुआ वह इसलिये कि वहां भी दो भाषाएं बोली जाती थीं। दो भाषाओं के कारण ही उड़ीसा बिहार से अलग हुआ जो पहले एक थे लेकिन उनको भी अलग होना पड़ा क्योंकि दो भाषाएं चलती थीं किसी प्रांत में यदि एक भाषा चलती है तो वहां आप झगड़ा नहीं पायेंगे। उस प्रान्त के लोग इसी तरह से रहे होंगे जैसे एक में रह रहे हों। लेकिन जहां तक सारे भारत का सवाल है। सारे भारत के लिये सभी लोग देश भक्त हैं। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि भारत की एकता के लिए छोटे छोटे लिंग्वेरिटक स्टेट्स निहायत जरूरी हैं और बड़े स्टेट्स जो कि बाइलैंग्वल होंगे देश की एकता को कभी स्थाई नहीं कर सकते। एक चीज हो सकती है और वह यह कि आप सारे देश में एक भाषा करदें। हिन्दी को हम सब ने राष्ट्र भाषा माना है। सारे देश में पूरब से पश्चिम और उत्तर से दक्षिण तक सभी लोगों को हिन्दी भाषा सिखावें, इसी भाषा में लिखना, पढ़ना, बोलना हरएक के लिये लाजिमी होगा चाहे वह मद्रास का रहने वाला हो या और कहीं का, यदि सभी लोग हिन्दी ही बोलेंगे, लिखेंगे तो कोई झगड़ा नहीं होगा चाहे आप युनिटरी सिस्टम आफ गवर्नमैण्ट बनालें या बाइलैंग्वल स्टेट्स बनालें या पांच टुकड़ों में देश को बांटलें तो कोई झगड़ा नहीं होगा। वरना बड़े बड़े प्रांत बनाने में खतरा ही खतरा है। मैं यह कह रहा हूँ कि बाई लैंग्वल स्टेट्स खतरनाक हैं इसलिये लिंग्वेस्टिक स्टेट्स बनाने चाहिये। लोगों की यही डिमान्ड है। संयुक्त महाराष्ट्र और गुजरात में यही झगड़ा है। लिंग्वेस्टिक का ही झगड़ा है। हम यह बताना चाहते हैं कि दो लिंगविस्टिक स्टेट्स को एक में मिलाना चाहेंगे तो वे एक में कभी मिल नहीं सकेंगे। हां, जहां तक हिन्दुस्तान का सवाल है, हम सब एक हैं। सारे देश का एक बच्चा हिन्दुस्तान के लिए एक

Page No 43

[श्री गोपीलाल यादव]

है इसमें किसी को बताने की आवश्यकता नहीं है। इस मामले में कोई एक दूसरे से झगड़ना नहीं चाहता है। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि हमको इस चीज को ध्यान में रख कर ही चलना है। राजस्थान को कभी यू० पी० या पंजाब के साथ मिलाने का सवाल आवे तो हमको इसके लिये सावधान रहना है। यदि ऐसा सवाल आवे तो हमें नेताओं को सही सलाह देनी है और मजबूती के साथ देनी है। इन शब्दों के साथ मैं मुख्य मन्त्री जी के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

[श्री जगतसिंह झाला, श्री संत आदि एक साथ बोलने के लिये खड़े होना अध्यक्ष महोदय द्वारा श्री गौरीशंकर चार्य को बोलने की आज्ञा प्रदान करना]

श्री गौरीशंकर आचार्य—अध्यक्ष महोदय, राज्य पुनर्गठन बिल के विषय में हमारे हाउस के नेता ने जो प्रस्ताव रखा है मैं उसका हृदय से समर्थन करता हूं। इस अवसर पर माननीय सदस्यों ने काफी कहा है और उनकी तरफ से भिन्न भिन्न सुझाव आ रहे हैं। मैं विश्वास कर रहा हूं कि भारत के इतिहास में नया पन्ना शुरू हो रहा है इसलिये हम इस पर और गम्भीरता से विचार करें तो कहीं अच्छा हो। इससे पहले हमारे माननीय सदस्यों ने कांग्रेस पर कुछ आक्षेप लगाये। कांग्रेस पार्टी अपने स्वार्थ से देश में ऐसी कार्यवाही कर रही है जिससे आपस में झगड़े हो रहे हैं ऐसी बातें भी कही गई। हाउस में विरोधी दल के नेता ने एक दो बातें इसी तरह की कहीं थीं। मैं समझता हूँ वे बातें सच्चाई से कहीं दूर हैं। उन्होंने कहा कि बम्बई को महाराष्ट्र के साथ नहीं देकर महाराष्ट्र के साथ अन्याय किया है। मैं बताना चाहता हूं कि कांग्रेस के अन्दर के सर्कल ने महाराष्ट्र के लिये क्या क्या किया है। विदर्भ जो महाराष्ट्र में नहीं मिलना चाहता था, लेकिन कांग्रेस के नेताओं ने उसे महाराष्ट्र के साथ मिलाने का प्रयत्न किया। मैं समझता हूँ महाराष्ट्र के लिये कांग्रेस ने बहुत कुछ किया है, जहां तक बम्बई का तालुक है यह कहना कि कांग्रेस ने महाराष्ट्र के साथ अन्याय किया है, उचित नहीं है। कांग्रेस ने हमेशा अपनी नीति रखी है कि अल्पसंख्यक जातियों के हितों की रक्षा की जाय। बहुसंख्यक जातियां अल्प संख्यकों पर अत्याचार न कर सकें। थोड़ी संख्यावाली जातियों के हितों की रक्षा करना कांग्रेस ने अपना ध्येय बनाया है। और इसी ध्येय के कारण जब हिन्दुस्तान पाकिस्तान एक था तब लोग कहते थे कि कांग्रेस मुसलमानों के साथ पक्षपात कर रही है। बात दरअसल में यह थी कि अल्प संख्यकों के साथ किसी तरह का अन्याय बहुसंख्यकों की तरफ से नहीं होना चाहिये, और अल्प संख्यकों के हित सुरक्षित रखे जाने चाहिये यह ध्येय कांग्रेस का हमेशा से रहा है। बाम्बे में, गुजराती, मारवाड़ी, महाराष्ट्री और भिन्न भिन्न जातियों के लोग रहते हैं। और हमने देखा है कि महाराष्ट्रियन्स की तरफ से जो कार्यवाही हाल ही में हुई है उसे देखते हुए कांग्रेस का यह निर्णय कि बम्बई को अलग रखा जाय, उचित मालूम पड़ता है। हमें

[श्री गौरीशंकर आचार्य]

विश्वास होता है कि वहां रहने वाली भिन्न भिन्न जातियों के हितों को देखते हुए बम्बई को महाराष्ट्र में मिलाना हितकर नहीं है।

एक बात और कही गई कि कांग्रेस ने बार बार सिक्खों के सामने अपने घुटने टेक दिये। जहां एक तरफ यह कहा गया कि महाराष्ट्र जैसे बहादुर लोगों की मांग को कांग्रेस ने स्वीकार नहीं किया और उनके सामने घुटने नहीं टेके वहां दूसरी तरफ यह कहा जाता है कि कांग्रेस ने सिक्खों के सामने घुटने टेक दिये। कांग्रेस का उसूल यह है कि हिन्दुस्तान में जो भी थोडी संख्यावाली जातियां है उनके साथ उदारता का व्यवहार करना चाहिये। इसलिये सिक्खों के दिल में शंका थी कि हमारी भाषा और धर्म के ऊपर यदि वे बंट जायेंगें तो आघात होगा इसलिये उनके हितों की रक्षा के लिये सिक्खों की मांग बहुत हद तक मंजूर की गई। कांग्रेस की उदारता के कारण छोटी संख्या की जातियों के संरक्षण का ध्यान रखा और बहुसंख्यकों को उनके हितों को कुचलने नहीं दिया। कांग्रेस अपने इन्साफ के तराजू को कभी इधर उधर नहीं होने देगी।

कुछ विद्वान सदस्यों ने यह बात कहने की कोशिश की सारे भारतवर्ष में एक शासन होना चाहिये। उन लोगों को दो हिस्सों में विभक्त किया जा सकता है। कुछ तो वे लोग हैं जिनको प्रान्तीय शासन में कभी अवसर मिलने की आशा नहीं है और दूसरे वे लोग हैं जो सांपदायिक दृष्टिकोण रखते हैं और चाहते हैं कि देश का भविष्य एकात्मक हो जाय, सैनिक शासन हो जाय। मैं उनको इतिहास के पन्ने खोलकर बताना चाहता हूं कि जर्मनी में एकात्मक शासन हुआ था तब हिटलर पैदा हुआ था। क्या आप सारे भारत में काश्मीर से कन्याकुमारी तक और बम्बई से बंगाल तक एक शासन की कल्पना करते हैं? मैं समझता हूं यह मुश्किल है। इतने बड़े देश में विभिन्न तरह की जातियें बसती हैं। विभिन्न तरह के लोगों के हित हैं, वहां एक शासन हो नहीं सकता और यदि बदकिस्मती से या खुश किस्मती से एक शासन हो गया तो आप विश्वास रखिये कि वह एक शासन सैनिक शासन हो जायगा। और हिटलर पैदा होने के लिये गुंजायश हो गई इसलिये प्रजातन्त्र के आदमियोंका हमेशा सिद्धान्त रहना चाहिये कि सत्ता को विकेन्द्रित रखाजाय। सत्ता केन्द्रित हो जाती है तो आदमी में दुर्गुण पैदा हो जाते हैं। प्रजातन्त्र का सबसे बड़ा हामी देश रूस था परन्तु सत्ता के केन्द्रीयकरण के कारण वहां भी व्यक्ति की पूजा और व्यक्तिवाद पैदा हो गये। विधान सभा के सदस्यों को हमेशा इस बात का ध्यान रखना चाहिये कि सत्ता कहीं केन्द्रित तो नहीं हो रही है। केन्द्रित होगी तो शरारतें बढ़ती जायेंगी। सत्ता का विकेन्द्रीकरण जिसके लिये महात्मा गांधी हमेशा कहा करते थे वह हमारा आदर्श होना चाहिये।

राज्य पुनर्गठन आयोग बिल, मैं अब इस समस्या पर थोड़ा कहना चाहता हूं। कल तक हमारा राजस्थान अलग प्रान्त की हैसियत से था और अब हम काश्मीर जैसे प्रान्त को भी एक जोन में शरीक कर रहे हैं। माननीय सदस्यों को यह जान कर खुशी होगी कि काश्मीर की उलझी हुई समस्या सुलझ गई है इस बारे में हमें पण्डित नेहरू को धन्यवाद देना चाहिये पर एक बात

[श्री गौरीशंकर आचार्य]

और स्पष्ट हो जाती तो अच्छा था, जब भारत सरकार ने घोषणा कर दी कि काश्मीर का प्रश्न जनता की राय से हल नहीं हो सकता क्योंकि उसका हल हो चुका है तो हमारे दिलों में एक शंका पैदा होती है और हम अपने आपको बहादुर जाति का उत्तराधिकारी समझते हैं, हमारे दिलों में यह शंका पैदा होती है कि उस काश्मीर के हिस्से का क्या होगा जहां पाकिस्तान ने आक्रमण कर के उस हिस्से का अपने कब्जे में कर रखा है ? भारत सरकार जल्दी से जल्दी घोषणा कर दे कि उसे आजाद करायेगें और उस हालत में राजस्थान को इस जोन में चले जाना चाहिये। मैं आशा करता हूं कि हमारे मुख्य मंत्री इन बयानों का उल्लेख करेगें।

माननीय सदस्य इस चीज को महसूस करें कि जो काश्मीर का हिस्सा पाकिस्तान के कब्जे में है बल्कि वहां आक्रमण करके शरारत करके कब्जे में किया गया इसलिये अगर इतने बड़े जोन में हिस्सेदार बन रहे हैं तो इस ओर हमारा ध्यान जाना चाहिये। यह भी हमें ध्यान रखना चाहिये कि आबू की, काश्मीर की ठंडी हवाएं हमें मिलेंगी और देहली जो भारत की राजधानी है वह भी हमारा हिस्सा हो गया है।

चार पांच साल से कुछ संकुचित मस्तिष्क रहा है जब हम इस जोन को स्वीकृति दे रहे हैं तो दिल और दिमाग को भी बड़ा बनालें और किशनगढ़ तक और छोटी छोटी बातों तक ही समस्याओं को सीमित न रखें। विधान सभा के सदस्य हैं तो हमारे दिमाग में सारे राजस्थान की समस्याएं रहनी चाहिये और इतना बड़ा जोन हो गया है तो काश्मीर, राजस्थान, आबू और अजमेर तथा देहली की समस्याओं को अपने दिमाग में रखना चाहिये। अगर हमने अपने दिल और दिमाग को विशाल न बनाया, विज्ञान बढता जायगा और इन्सान छोटा होता गया तो इसका परिणाम उल्टा होगा। इसलिये मैं यह निवेदन करूंगा कि इस प्रस्ताव पर सहमति देते हुए हमारे दिल और दिमाग को बहुत व्यापक बना लेना चाहिये।

मुझे दो चार बातें और कहनी हैं और उन्हें बहुत जरूरी समझता हूं। मेरे छोटे से दिमाग के अनुसार मैं सुझाव पेश करता हूं कि राजस्थान सरकार और भारत सरकार को एक कमीशन बनाना चाहिये, एक कमेटी बनानी चाहिये, उन उपायों को सोचने के लिये जिनसे देश में राष्ट्रीयता के विचार पैदा हों। जिस प्रकार डाक्टर मक्खी और मच्छरों के खिलाफ आन्दोलन खड़ा कर रहे हैं उसी प्रकार प्रान्तीयता और जातीयता, ये मच्छरों और मक्खियों के बड़े बाप देश के लिये बड़े खतरनाक हो रहे हैं, इनके खिलाफ आन्दोलन खड़ा करना चाहिये और कमीशन या कमेटी मुकर्रर कर के उन हर संभव उपायों की खोज की जानी चाहिये जिनसे जातीयता और प्रान्तीयता की भावनाओं को खत्म करके राष्ट्रीयता की भावना पैदा की जा सके। यदि भारत सरकार हिन्दी को सारे राष्ट्र की व्यापक भाषा बना देती तो आज इतनी समस्याएं पैदा नहीं होतीं।

[श्री गौरीशंकर आचार्य]

तो हमें इस तरह के उपाय खोजने चाहिए एक उपाय तो बहुत आसान है कि विधान सभा के सदस्यों को अपने प्रान्त में घूमने के लिये रेल्वे की छुट्टी, सहूलियत मिलनी चाहिये। मैंढक कूए में रहने से बाहर की बातें नहीं जान सकता····

श्री अध्यक्ष—व्यापक दृष्टिकोण से बात कर रहे हैं।

(हंसी)

श्री हिम्मतसिंह (अटरू)—काश्मीर तक तो पहुंच जायेंगे।

श्री गौरीशंकर आचार्य—(जारी) जब विधान सभा के सदस्य राजस्थान से बाहर नहीं जाते हैं तो उनको वहां की हालत से अनभिज्ञता रहती है तो एक दफा तो सारे राजस्थान का दौरा कर लें और जोन में सम्मिलित हो रहे हैं तो मेरा यह बहुत जरूरी सुझाव है कि जोन का विधान सभा के सदस्यों को वर्ष में तीन बार सारे जोन में घूमने की रेल्वे की सुविधा होनी चाहिये।

(समय समाप्ति सूचक घंटी)

मैं समझता हूं कि समय शायद बहुत कम है, एक सुझाव देना बहुत जरूरी है कि आबू जब हमारे पास नहीं था तो आबू को सम्मिलित करने के लिये जो समिति बनी उसका एक सदस्य होने के नाते मुझे भी आबू जाना पड़ा वहां मीटिंगें करनी पड़ीं। बाम्बे की गवर्नमेंट ने पुलिस के जरिये जो अत्याचार जनता पर किये थे और आम दूकानदारों पर लोगों पर उनके घरों में घुस कर जो कार्यवाही उनके साथ की गई वह हमारे सामने है, अब उन बातों को भुला देना चाहिये पर जिन माननीय सदस्यों ने कहा कि हमें उत्तरी जोन में न दे कर, देसाई साहब का चेला बनाना चाहिये था. उनसे यह निवेदन करना चाहता हूं कि आपने देसाई साहब की कार्यवाहियों को देखा है जो दिल और दिमाग को खो देते हैं। देसाई साहब का इसमें अपराध हो यह मैं नहीं मानता, कुछ कुछ प्रादेशिकता को ले कर लोग छोटे मोटे काम कर देते हैं।

मेरा इतना ही कहना है कि एक तरफ देहली, काश्मीर जम्मू पंजाब और आब मिले, वहां एक बन्दर और मिल गया होता तो बड़ा अच्छा होता। हमारे पास पहाड़ हैं, नदियां हैं अब कुछ कच्छ का हिस्सा मिल जाता तो एक बन्दर भी मिल जाता और इस उत्तरी जोन को सब कुछ वृद्धि के साधन मिल गये होते। फिर भी जो कुछ मिला, वही बहुत है। आबू मिलने पर राजस्थान सरकार और भारत सरकार को बधाई देनी चाहिये।

जो जयपुर के स्थान पर अजमेर को राजधानी बनाने की चर्चा की जाती है, प्रथम तो यह चर्चा ही करना मूर्खतापूर्ण है उस पर दलीलों पर दलीलें दी जाती हैं यह और भी मूर्खतापूर्ण

[श्री गौरीशंकर आचार्य]

है, जयपुर के मुकाबले में अजमेर और अजमेर के मुकाबले में जयपुर को छोटा दिखाना यह लोगों के दिलों में प्रतिक्रिया पैदा कर सकता है। हमें विनोवा भावे की बात को याद रखना चाहिये। मैं महाराष्ट्रियन होते हुए बम्बई को महाराष्ट्र की राजधानी बनाने के लिये स्वीकार करता हूं। तो इससे गुजरातियों के दिल को ठेस पहुँचाता हूँ। हमें इस तरह की उदारता की भावना पैदा करनी चाहिये। अन्त में मैं, मुख्य मंत्री जी ने जो यह प्रस्ताव दिया है, उसका समर्थन करता हूँ।

श्री हिम्मत सिंह (अटरू)—अध्यक्ष महोदय, स्टेट्स रीऑर्गेनाइजेशन बिल, १६५६ का जो ड्राफ्ट हमारे सामने आया है और जिसके बाबत हमारे मुख्य मंत्री जी ने प्रस्ताव रक्खा है कि राजस्थान के सम्बन्ध में जो बातें इसमें आई हैं, उनको स्वीकार किया जावे। इसके विषय में मैं यह अर्ज करना चाहता हूं कि आम तौर से अगर खाली इससे रियासतों को जो मिला है उसके ऊपर हम आधारित रहें तो यह मानना चाहिये और मैं यह कहूँगा कि यह तो एक लोभ की बात करना है कि हमको यह मिल गया और हमको यहफायदा है, आज अगर फायदा नुकसान सोचने का हमारा दृष्टि कोण है तोवह नहीं होना चाहिये। हमारा दृष्टिकोण बहुत विशाल होना चाहिये क्योंकि हिन्दुस्तान को हम एक रूप में देखना चाहते हैं।

अभी हमारे राजस्थान की क्षेत्रीय भावना भी समाप्त नहीं हुई है। जयपुर वाले जयपुर के हित की दृष्टि से देखते हैं, जोधपुर वाले जोधपुर के हित की दृष्टि से देखते हैं ऐसी बात जब हमारे विधान सभा होती हैं तो यह समझ में नहीं आता कि यह जो रिऑर्गेनाइजेशन की स्कीम हैं उससे और भी क्षेत्रीय भावना बढने की संभावना कैसे नहीं होगी? अजमेर वाले चाहते हैं कि हमको ये ये रियायतें होनी चाहिये। इसी तरह महाराष्ट्र, बंगाल, बिहार आदि दूसरी जगह पर भी ईंचातानी हो रही है। तो सबसे पहले जरूरत इस बात की है कि हिन्दुस्तान में पहले एकता हो और उसके बाद यह रिऑर्गेनाइजेशन का प्रश्न पैदा किया जावे तो ज्यादा उचित होगा। जहां तक मेरा ऐसा खयाल है कि यह जो नया सेटअप कायम किया जाता है, वह एडमिनिस्ट्रेशन पॉइन्ट ऑफ व्यू से है। इसके लिये लिंग्विस्टिक बेसिस सबसे अच्छी मानी गई है। क्योंकि गुजराती महाराष्ट्र की भाषा नहीं समझ सकते, पंजाबी राजस्थान की भाषा महीं समझ सकते, काश्मीरी पंजाब की भाषा नहीं समझ सकता। इसतरह भाषा को समझने में दिक्कत होती है और एक दूसरे की भाषा को न समझने के कारण बहुत सी बातें सफर करनी पडती हैं। मै समझता हूँ कि इसी लिये आरंभ में कांग्रेस ने इसी कारण से ही पहले भाषावार प्रान्त के निर्माण की बात कही थी। दूसरी यह बात भी हो सकती है कि वह एक पोलिटिकल स्टन्ट भी हो सकता है। उस समय कांग्रेस ने कहा था कि इसी से एडमिनिस्ट्रेशन इम्प्रूव होगा। लेकिन वह जमाना निकल गया। हिन्दुस्तान में कांग्रेसही की सरकार बनी। मुझे दुःख इस बात का होता है कि हर स्टेट में कांग्रेस की सरकार होते हुए भी उनमें इत्तफाक नहीं होता और गैर इत्तफाक और आपस में ईंचातान होना बहुत दुख की बात है और मैं यह कहूंगा कि इससे किसी प्रकार भी हिन्दुस्तान का हित नहीं हो सकता। पहले कांग्रेस को चाहिये कि वह अपना

[श्री हिम्मतसिंह]

हाउस ऑर्डर में कर ले और बाद में रिओरगेनाइजेशन स्कीम को हाथ में लेवे तो ज्यादा अच्छा होगा।

तो मैं अब यह कहूंगा कि इस बात के लिये हमें ज्यादा हर्ष नहीं करना चाहिये कि हमें आबू मिल गया या अजमेर राजस्थान में मिल गया। इससे कोई मतलब सिद्ध नहीं होता है। हमें राजस्थान का एडमिनिस्ट्रेशन ठीक करना है। हमें यह देखना है कि राजस्थान का एडमिनिस्ट्रेशन अच्छी तरह से चले ताकि लोगों को वक्त पर न्याय मिले। राजस्थान का एडमिनिस्ट्रेशन जिस प्रकार का है वैसे तो हम देख ही रहे हैं। हम चाहते हैं कि राजस्थान का एडमिनिस्ट्रेशन उत्तम से उत्तम हो लेकिन वह उत्तम से उत्तम होने के बजाय निकृष्ट से निष्कृट होता जा रहा है। जो गवर्नमेंट है वह इस छोटे से राजस्थान के इलाके को ठीक तरह से नहीं चला सकती है तो इतने बड़े राजस्थान के इलाके को, अगर हो गया तो वह किस तरह से चलाएगी।

(घंटी)

इस बिल का खास कर तीन बातों पर विरोध हुआ है। एक तो यह कि लोहारू का हिस्सा जो पहले राजस्थान का मंजूर कर लिया गया था उसे वापिस राजस्थान से निकाल कर पंजाब में मिला दिया गया है। मैं यह कहूँगा कि जो पहले चबाया गया था उस चबाई हुई चीज को फिरसे चबाना ठीक नहीं होगा।

दूसरी बात यह है कि केपिटल के बाबत यहां पर जोर दिया गया है। मैं यह कहूंगा कि सब लोग अपनी अपनी तनातनी बताते हैं। जयपुर वाले चाहते हैं कि जयपुर राजधानी हो, जोधपुर वाले चाहते हैं कि जोधपुर हो और दूसरी रियासतों के लोग भी चाहते हैं कि उनके यहां पर राजधानी हो।

श्री सन्तोषसिंह—कोटा में राजधानी हो।

श्री हिम्मतसिंह—यह मामूली सी बात है। हमें अपने द्वेषभाव यहां पर जाहिर नहीं करने चाहिये। जब रिओरगेनाइजेशन हो जावेगा उसके बाद जो उपयुक्त स्थान हो, उस स्थान को केपिटल रख सकेंगे। इस तरह से यहां पर हम केपिटल के लिये खड़े होकर लड़ें और अजमेर से खामोखा विरोध पैदा करे यह ठीक नहीं होगा।

तीसरी बात है जोन्स की। इसके लिये हमारे विरोधीदल के नेता ने काफी प्रकाश डाला है। बिल में जोन्स का प्रोविजन रखा है। लेकिन मैं समझता हूँ कि इसका कोई मतलब नहीं होता। इससे मैं समझता हूँ कि आगे चल कर इसके बारे में सेन्ट्रल गवर्नमेंट का यह विचार हो कि इससे ऐसी प्रणाली खड़ी करनी है जिससे एडमिनिस्ट्रेशन ठीक हो जैसा कि बिल में है रखा है उससे तो मैं समझता हूं कि कोई सुविधा नहीं मिलती है जोन के बनने से पंजाब, काशमीर हिमाचल प्रदेश से संबन्ध बढ़ जावेंगे और भाकरा नांगल से बिजली मिलेगी। इसलिये इस जोन में मिलाने के लिये पंजाब को मिलाना जरूरी है। इसके साथ में मैं यह भी कहूंगा कि मध्य प्रदेश और मध्य भारत के इरिगेशन

[श्री हिम्मतसिंह]

से भी हमें बिजली मिलेगी इसलिये हमारा इससे भी कॉन्टेक्ट होना चाहिये। इसलिये अगर हमारा जोन मध्यभारत और मध्यप्रदेश से बनावे तो क्या एतराज है। मैं नहीं समझता कि हम काश्मीर और हिमाचल प्रदेश से कहां तक कॉन्टेक्ट करेंगे। इसके लिये हमें विचार विमर्श करने की जरूरत है। इसलिये मैं यह कहूँगा कि जोन का प्रोविजन जो रखा गया है वह फिलहाल बेकार है।

हाई कोर्ट के जजों के बारे में अनियमितता रखी गई है। मैं समझता हूँ कि यह सबको अखरती है। सेन्ट्रल गवर्नमेंट की यह अनियमितता रखना और सिद्धान्तः एक ही लाइन पर डील नहीं करना फेअर तो मैं नहीं कह सकता कि यह फेअर है। इसलिये सेन्ट्रल गवर्नमेंट को भी इस बारे में ध्यान दिलाना चाहिये।

इन्हीं बातों को कहते हुए मैं हमारे माननीय मुख्य मंत्री को प्रस्ताव करूंगा कि हाउस की जो मंशा है उसको ठीक तरह से जानकर सेन्टर को लिखें।

श्री जगतसिंह झाला—अध्यक्ष महोदय, चीफ मिनिस्टर ने जो प्रस्ताव रखा है उस पर मैं भी दो शब्द कहना चाहता हूं। राज्य पुनर्गठन आयोग के अन्दर राज्यों के अलग अलग कठिनाइयों का जिक्र सदस्यों ने किया है। मेरा विचार यह है कि अच्छा तो यह होता कि शासन की दृष्टि से एक ही युनिट्री फोर्म ऑफ गवर्नमेंट बनाई जाती क्योंकि इससे जातीयता को प्रोत्साहन नहीं मिल सकता। हमें जातीयता और प्रान्तीयता को नहीं रखना चाहिये। इसलिये मैं यह चाहता हूँ किहमारे यहां एकांकुश शासन हो। हम देखते हैं कि हमारे राज्य में फलां राज्य मिल गया फलां राज्य निकल गया, इस प्रकार की संकीर्णता से हमें नहीं देखना चाहिये। वास्तव में देश की उन्नति का कार्य होना चाहिये। मैं तो यह चाहता हूँ कि हमारे यहां जो एसेम्बली है उसको भी भंग कर दिया जाना चाहिये इसकी भी कोई जरूरत नहीं। हमारा एक शासन होना चाहिये और एक ही पार्लियामेंट होनी चाहिये और उसी के द्वारा हमारा संचालन होना चाहिये। हम यह नहीं चाहते कि दो दो सौ रुपये अलग अलग जगह विधान सभा में बैठ कर लें। जब राष्ट्र एक है तो हिन्दुस्तान में एक ही राष्ट्र की भावना को ध्यान में रखते हुए चलना चाहिये। देश की सभी दूसरी जगह भी एसेम्बलीज हैं उनको भी भंग कर दिया जाना चाहिये।

दूसरी बात जोन की है। हम नहीं चाहते कि जोन कायम किये जावें। क्योंकि जब जोन बनेंगे तो यह ऐसी चीज है जिससे मालूम होता है कि ऑटोमेटिकली प्रोविन्सियलिज्म की भावना पैदा होगी। मैं यह निवेदन करूंगा कि भारतवर्ष में एकांकुश शासन करने के लिये कोई जोन्स की जरूरत नहीं है।

तीसरा प्रश्न है राजधानी का, जो इस सदन में काफी सामने लाया गया। मैं इस संबंध में इतना ही निवेदन करना चाहता हूँ, राजधानी का प्रश्न एडमिनिस्ट्रेटिव प्रश्न है अजमेर हो या जयपुर इस संबंध में यहां बातें करना मैं उचित नहीं समझता। राजधानी अगर बदलनी भी हो तो बाद में

[श्री जगतसिंह झाला]

बदली जा सकती है जिसमें सम्पूर्ण प्रान्त का हित दृष्टिगोचर हो, वही स्थान राजधानी रखा जा सकता है। यह प्रश्न मेरे ख्याल से ज्यादातर अजमेर वालों की तरफ से उठाया गया है। अजमेर के मुख्य मंत्री कांग्रेस के बड़े नेता हैं इसलिये वे इस प्रश्न को उलझाना चाहते हैं। आपने देखा होगा राजस्थान के निर्माण के पश्चात् चार मंत्रिमंडल बदल चुके हैं। इस चीज को कहते हुए दुख का अनुभव होता है कि अजमेर के राजस्थान के साथ मिलने के बाद फिर मंत्रिमंडल बदल सकता है इसलिये मैं निवेदन करना चाहता हूँ राजधानी के विषय को क्षेत्रिय भावना से नहीं बल्कि सारे प्रान्त के लिये कौन सा ज्यादा हित कर है उसी दृष्टि से सोचें। जयपुर के राजस्थान की राजधानी बनने के बाद हमारे जनता की धनराशि जयपुर में काफी व्यय हो चुकी है उसको भी हमें ध्यान में रखना होगा लेकिन इसके साथ साथ अजमेर की जो आज शान और शौकत है उसको भी कायम रखने की ओर ध्यान रखना पड़ेगा। अजमेर की शान और शौकत जो आज है उसमें हम किसी प्रकार भी कमी न आने दे वहां जो कमिश्नरी है वह वहां कायम रहनी चाहिये। और अजमेर के लोगों को जो वेतन स्तर प्राप्त है उसके बारे में माननीय मुख्य मंत्री घोषणा करेंगे, उनका स्तर वही कायम रखा जायगा।

एक विषय जो हमारे यहां पर रखा गया है वह हाईकोर्ट के जजों की तनख्वाह के बारे में इसमें राजस्थान के जजों के लिये कम वेतन रखा गया है, इसके लिये मैं यही निवेदन करना चाहता हूं कि इस प्रकार का डिसक्रिमीनेशन अच्छा नहीं होता। आज जबकि हम सारे देश के अन्दर यूनिट्री फोर्म ऑफ गवर्नमेंट का निर्माण करना चाहते हैं और हम अपने राज्य का संचालन सोशिलिस्टिक पेटर्न ऑफ सोसाइटी के तौर पर करना चाहते हैं वैसी स्थिति में वेतन स्तर में भी एकता होनी चाहिये। या राजस्थान के माफिक अन्य राज्यों का भी वेतन स्तर कर देना चाहिये जैसा कि हमारे यहां एक जज के लिये ढाई हजार रूपया वेतन है वही पे दूसरे राज्यों के हाई कोर्ट के जजेज की कर देनी चाहिये और इसी तरह नीचे के स्तर को बढ़ाना चाहिये और ऊपर जो टोप हेवी पे है उनको नीचे लाना चाहिये। इन्ही सुझावों के साथ मैं इस सम्बन्ध में अपने विचार प्रगट करता हूं।

श्री सन्तोषसिंह कछवाहा—अध्यक्ष महोदय, राज्य पुनर्गठन आयोग के विषय में जो प्रस्ताव सदन के समक्ष पेश हुआ है उसके न पक्ष में न विपक्ष में कुछ विचार प्रकट करना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष—पक्ष में भी नहीं और विपक्ष में भी नहीं।

श्री सन्तोषसिंह कछवाहा—अध्यक्ष महोदय, इसलिए कि यह प्रस्ताव पहले दूसरी प्रकार से आया था जिसमें लोहारू राजस्थान को दिया गया था, यह जो बिल हमारे सामने है उसमें लोहारू राजस्थान को नहीं दिया गया है। इसके लिए इसका विरोध करना जरूरी हो जाता है क्योंकि जब राजस्थान के अन्दर हमको अजमेर और आबू रोड मिलते हैं..........

श्री अध्यक्ष—आप तो कह रहे थे न पक्ष में बोलना है न विपक्ष में, अब तो आप विपक्ष में बोल रहे हैं।

श्री संतोषसिंह (जारी)—अध्यक्ष महोदय, जहां आबू और अजमेर हमको मिले उसके लिए कहा जाता है कि खुशियां मनानी चाहिये। अजमेर और आबू तो राजस्थान के ही भाग थे इसमें खुशी की क्या बात, यह देकर कोई पुनर्गठन आयोग ने हमारे साथ मेहरबानी नहीं की। ये तो हमेशा से हमारे प्रान्त के हिस्से रहे हैं लेकिन जो लोहारू हमें पहले मिल गया था, वह वापिस ले लिया फिर भी सदन के अन्दर यह प्रस्ताव आया है, यह बड़े दुख की बात है। मन्दसौर जो राजस्थान का हिस्सा था उसका कुछ भी जिक्र नहीं किया गया। मैं मुख्य मंत्रीजी से प्रार्थना करूंगा कि वे भारत सरकार को मंदसौर राजस्थान को मिले इस प्रकार लिखते।

यहां पर यह भी जिक्र हुआ कि जब अजमेर राजस्थान में मिल जाय तो राजधानी किस जगह होगी? राजधानी के मुतल्लिक काफी बहस हो चुकी है फिर भी मैं आवश्यक मानता हूँ कि जो एक माननीय सदस्य ने यह कहा कि अगर अजमेर को राजस्थान की राजधानी मुकर्रर किया तो ऐसा कोई कदम निरी मूर्खता होगी। आप देखिये बम्बई मद्रास बंगाल आदि जो प्रांत हैं इनकी राजधानियां है वे सब किनारे वाले शहर हैं, वे ही उस प्रांत की राजधानी है। इसके अलावा मैं माननीय सदस्यों को यह भी बता देना चाहता हूं कि वे सब तो ए क्लास स्टेट्स हैं और हमारा राजस्थान बी क्लास स्टेट है और वहां यातायात के बहुत साधन हैं जब कि हमारे राजस्थान में यातायात के बहुत कम साधन हैं इसी वजह से अजमेर राजधानी बनायी जाय तो राज कार्य में बड़ी सुविधा होगी।

श्री अध्यक्ष—अब तो ए क्लास और बी क्लास का झंझट ही मिट गया।

श्री संतोषसिंह कछवाहा (जारी रखते हुए)-अजमेर को राजधानी मान लिया जाय तो मैं समझता हूँ कोई आपत्ति किसीको नहीं होनी चाहिये। जयपुरके लिये यह कहा जा रहा है कि यहांपर राजस्थान सरकार का काफी रुपया खर्च हो गया है तो अब यही राजधानी रहनी चाहिये। चण्डीगढ में भी तो लाखों करोड़ों रुपया सरकार का खर्च हुआ है क्या बात है। राजस्थान सरकार उतना रुपया नहीं कर सकती बड़ी आसानी से कर सकती है।

इसके अलावा जोनल का भी सवाल आया है इसके लिये हमें पंजाब के साथ मिलाया गया है मेरा विचार है कि पंजाब के साथ इसका मेल नहीं खायेगा। इसके बजाय हमारे प्रांत को गुजरात के साथ मिला देते तो वाजिब होता, या कच्छ से लेकर गंगानगर तक एक जोन बना देते जो फ्रन्टियर प्रोविंस कहलाता, बहुत ही अच्छा रहता। आज देश के सामने काश्मीर का सवाल है पाकिस्तान इसको जबरदस्ती लेना चाहता है, पिछले मार्च महिने में इस फ्रन्टियर से करीब १६ हमले पाकिस्तान के हमारे देश पर हो चुके हैं इसलिये इन सब बातों का मुकाबला करने के लिये हमें इस फ्रन्टियर प्रोविंस को बहुत मजबूत बनाना चाहिये। इसके लिए मेरा सुझाव यह है कि कच्छ से लेकर गंगानगर तक १५०० मील का लम्बा फ्रन्टियर प्रोविन्स बनाना चाहिये। जोनल एरिया इसको बनाया

[श्री संतोषसिंह कछवाहा]

जाय और केंद्र के आधीन इसको रखा जाना चाहिये। आज इस समय राजस्थान के बोर्डर के जरिये ही भारतवर्ष को इस वक्त खतरा है। इसलिये इसको बहुत मजबूत प्रांत बनाना चाहिये इसका एक अलग ही जोनल एरिया बनाया जाय और वह फ्रन्टियर के नाम से बनाया जाय।

इसके अलावा जजों की तनखा के बारे में भी कहा गया दूसरे प्रांतों में ५००० रुपये जजेज की तनखा रखी है यहां राजस्थान में हाई कोर्ट के जजों की तनखा ३५०० रखी है इसके लिए मेरा यह निवेदन है कि इस प्रकार से एक हजार का डिफ्रेन्स अन्य प्रांतों से नहीं रखना चाहिए।

श्री मोहन लाल सुखाड़िया—(मुख्य मंत्री) माननीय अध्यक्ष महोदय, इस राज्य पुनर्गठन बिल पर आशा से अधिक वाद विवाद हुआ। इस बिल पर माननीय सदस्यों द्वारा मैं समझता हूं हम से संबन्धित करीब करीब सभी पहलुओं पर अलग अलग विचार हमारे समक्ष आये। एस. आर. सी. बिल के संबन्ध में विचार करने में जिन माननीय सदस्यों ने हिस्सा लिया उनमें विरोधी दल के भूत-पूर्व नेता ने, मैं समझता हूं सब से ज्यादा समय तक अपनी बात कही। इस संबन्ध में अगर मैं कुछ न कहूं तो मैं समझता हूं, यह उपयुक्त नहीं होगा हालांकि उन सब चीजों का हमारे से सीधा संबन्ध रहने वाला नहीं है, फिर भी उसके संबन्ध में काफी जिक्र किया गया है इसलिये मुझे भी कुछ कहना चाहिये ऐसा मानकर ही मैं निवेदन करना चाहता हूं।

उन्होंने कांग्रेस हाई कमाण्ड और भारत सरकार की कई खामियां और कमजोरियां बताने की चेष्टा की और अध्यक्ष महोदय, आश्चर्य तो हमें और भी तब हुआ जब उन्होंने महाराष्ट्र के प्रश्न पर चर्चा करते हुए यह कहा कि महाराष्ट्रियनों ने जो बम्बई में किया यह ठीक किया। इस संबन्ध में वे अपनी कोई राय जाहिर करते कि बम्बई का क्या होना चाहिये, क्या नहीं तो अलग बात थी। पर जिस बात का समर्थन उन्होंने किया, उसके बारे में मैं समझता हूँ कि आज देश में कोई भी इस प्रकार की बात कहने वाला व्यक्ति नहीं मिला, महाराष्ट्रियनों में भी जो जिम्मेदार व्यक्ति हैं उन्होंने भी कहा कि जो हिंसक और दूसरे प्रकार की कार्यवाहियां की गई वे उचित नहीं हुई। तो ऐसी स्थिति में उनका यह कहना कि जो कुछ हुआ ठीक हुआ, मैं कहता हूं, कतई उचित नहीं है। मतभेद आपस में हो सकते हैं, विभिन्न रायें हो सकती हैं पर उसके अन्दर हिंसा को प्रोत्साहन देने की बात का समावेश होना मैं समझता हूं, जनतन्त्रीय ढंग की सरकार में कभी भी वाजिब नहीं कहा जा सकता और उसका समर्थन करना किसी भी हद तक ठीक नहीं हो सकता।

इसके साथ पंजाब का प्रश्न जिस ढंग से केन्द्रीय सरकार ने सुलझाया, उसको बधाई देने के बजाय उन्होंने यह कहा कि इससे भविष्य में देश पर बहुत बुरा असर पड़ने वाला है अब भविष्य की बात तो कौन निश्चित रूप से कहकर चल सकता है, पर वर्तमान की बात निश्चित है कि जिस प्रश्न पर हमारे लोग, हमारे देश के लोग ही नहीं, बल्कि बाहर के लोग भी ध्यान लगाये थे कि पंजाब के अन्दर इसको लेकर क्या होने वाला है, उस प्रश्न का जिस साहस पूर्ण अच्छे ढंग से निपटारा किया

[श्री मोहनलाल सुखाड़िया]

गया उससे बाहर के उन लोगों को भी, जो कि इस पर देश का कुछ अनिष्ट सोच रहे थे, निराश ही होना पड़ा और बहुत सुन्दर ढंग से इसको हल किया गया।

जोनल कौंसिलों के सम्बन्ध में हमारे सदन के अन्दर काफी चर्चा हुई है। विरोधी दल के नेता ने भी इस सम्बन्ध में अपनी बातें कहीं और दूसरे कई महानुभावों ने भी अपने विचार प्रकट किये है। मैंने शुरु में ही इस पर अधिक कहना पसन्द नहीं किया और मैं अब भी, अध्यक्ष महोदय, इसकी विशेष चर्चा में नहीं पड़ना चाहता। मैं एक पहलू के ऊपर ही कहना चाहता हूं और वह यह है कि अलग अलग जोन्स जो देश में बनाये गये हैं भारत सरकार के द्वारा, उसके पीछे मुख्य भावना यही है कि आपस में बैठकर कोई प्रश्न पर किस तरह से हम चर्चा कर सकते हैं, कैसे उन प्रश्नों पर जो खास तौर से अल्प भाषा वाले लोगों का प्रश्न है, डवलपमेन्ट का प्रश्न है या और कई ऐसे ही प्रश्न हैं उन पर चर्चा की जावे और उनकी एक सलाहकार समिति के रूप में यह कौंसिल काम करे, ऐसी व्यवस्था इसमें हैं। मैं समझता हूं कि सदन में कोई इस बात को नहीं मान सकता कि किसी दिन आने वाले निकट भविष्य में इस प्रकार की कल्पना नहीं कर सकता कि इनका एक एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट बनेगा। अगर ऐसा होना होता तो काश्मीर के अस्तित्व को समाप्त करके एक जोन में तब्दील कर दिया जावे तो यह किसी भी परिस्थिति में देश में बहुत से आदमी नहीं मानेंगे। मैंने काश्मीर का यह उदाहरण इसलिये दिया कि हमारे दिलों पर इस जोन से यह असर हुआ है कि जोन्स इसलिये बनाये गये हैं कि आगे चलकर एक एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट ये बन जावेंगे। तो काश्मीर के दृष्टान्त से यह बात साफ हो जाती है। पर हमारा दृष्टिकोण विशाल हो और अलग अलग पडोसी राज मिलकर एक जगह बैठे और बातचीत करें, महत्व के प्रश्नों पर आपस में बैठकर सलाह मशविरा करें यह बात इसमें रक्खी गई हैं। यह सही है कि जैसे सम्बन्ध हमारे पंजाब के साथ दिखते हैं उतने मैं कहूँ तब भी बहुत हद तक हमारे सम्बन्ध जो एक केन्द्रीय जोन बनाया गया है सेन्ट्रल जोन कि जिसमें यू. पी. और मध्यभारत को शरीक किया गया है उसके साथ भी आते हैं। जब यही सम्बन्ध की बात वेस्टर्न जोन के साथ कही जासकती हैं। तो इस डवलपमेन्ट के पॉइन्ट ऑफ व्यू से हम सोचें तो तीनों पक्षों के अन्दर ये बातें मिल सकती हैं। तो एक तर्क पंजाब के पक्ष में है, दूसरा तर्क मध्यभारत के पक्ष में भी है, और वैसा ही तीसरा तर्क जैसा कि कुछ ने कहा कि हमारा अगर वेस्टर्न जोन के साथ सम्बन्ध हो तो पोर्ट की दृष्टि से, और दृष्टियों से, व्यापारिक दृष्टि से हमारा लाभ हो सकता है, तो तीसरा तर्क उसके पक्ष में भी हो सकता है। तो इस तरह से हरेक के पक्ष में कुछ बातें मिल सकती हैं और कुछ बातें विपरीत भी मिल सकती हैं तो मैं यह कह कर कि इस पक्ष में इतनी बातें ज्यादा हैं और इस पक्ष में ये बातें ज्यादा हैं, यह सब कह कर इस चर्चा में जाना नहीं चाहता। मैं तो चाहता हूँ कि इस वक्त जिस जोन से साथ रहने की बात की व्यवस्था इस बिल में की गई है उसे हम मान लें। इसके सम्बन्ध में एक अमेन्डमेन्ट भी आया है जिसमें कहा गया है कि ये जोन न होकर यूनेट्री सिस्टम होना चाहिये। मैं ऐसा मानता हूं कि यूनिटरी सिस्टम को इन्ट्रोड्यूस करने की बात जो हमारे यहां पर आती है या इसकी चर्चा जो

[श्री मोहनलाल सुखाड़िया]

हमारे यहां पर चलती है उसके सम्बन्ध में मूवर ने यह साफ साफ कहा है कि यह व्यवस्था न रहकर एक यूनिट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेन्ट हो जानी चाहिये, इसके बारे में मैं समझता हूं कि देश में अभी कम से कम उस प्रकार का जनमत नहीं बना है। तो जिस सिस्टम के सम्बन्ध में एक माननीय सदस्य जो दांतारामगढ़ से आये हैं, ने जिक्र किया है उसके सम्बन्ध में मैं ऐसा मानता हूं कि इसको इन्ट्रोड्यूस करने के कुछ लाभ हो सकते हैं, कुछ इसके नुकसान भी हो सकते हैं। लेकिन अभी वह प्रश्न इस बिलमें, जहां तक सवाल है, मैं नहीं समझता कि कहीं यह आया हो। इसमें यह सवाल कहीं नहीं आया। और हम अपने तरीके से यह कहें तो यह अमेन्डमेन्ट के रूप में भी नहीं आई है और वह व्यवहारिक चीज भी नहीं होगी। इसलिये इसके सम्बन्ध में मैं ज्यादा नहीं कहना चाहता।

पर जोनल कान्फ्रेन्स की व्यवस्था डवलपमेन्ट के मामलों के बारे में एक दूसरे के साथ बैठकर बात करने की दृष्टि से ठीक है। देश को और हर प्रान्त को इससे लाभ होने वाला है और भाषा की दृष्टि से या चाहे और किसी भी दृष्टि से जो संकुचित होने की बात है उसमें अन्तर आवेगा।

एक बात और कही गई कि या तो अपर हाउसों को जो कुछ स्टेटों में हैं और हमारे यहां जिसकी व्यवस्था नहीं है वे सब जगह हटा दिये जावें या फिर हमारे यहां पर भी होने चाहिये। कई स्टेटों में, ज्यादातर ज्यादा स्टेटों में पहले से अपर हाउस चले आ रहे हैं। मेरा ख्याल है एकाध स्टेट ऐसी है जिसमें नये सिरे से अपर हाउस लागू किये गये हों। पर अपर हाउस के सम्बन्ध में हम अपनी तरफ से यह कहें कि हमारे यहां होना चाहिये तो जहां तक मैं जान पाया हूँ इस पक्ष में सदन की राय नहीं है, पर दूसरी स्टेटों में जो हैं इस वजह से हमारे और उनके बीच में कोई डिस्क्रिमिनेशन हो जाता है ए. बी. सी. स्टेट की तरह से और इसका आभास मिलता है इस बिल के देखने से तो इस बात को ख्याल में रखकर इस बिल के जरिये दूसरी स्टेटों में भी उन्हें समाप्त कर दिया जाये। इस बातपर भी जोर दियागया यह समुचित नहीं है। अगर एक स्टेट रखना चाहती है और इसके लिये उसे स्वतन्त्रता है तो इसमें कोई बुराई की बात नहीं है। अगर हम चाहें तो इसको रखने के सम्बन्ध में हम कह सकते हैं पर दूसरों के यहां से भी हटा दी जाय यह कहना उचित नहीं होगा। हाउस की राय का जहांतक सवाल है वह अपने यहां अपर हाउस रखने के सम्बन्ध में नहीं है और मेरी निजी राय भी यह है कि हमें अपर हाउस की आवश्यकता नहीं है। हम एक ही सदन से ठीक तरह से अपना काम चला सकते हैं। जनमत को अपने विचार प्रकट करने का अवसर एक सदन के जरिये पूरी तरह से प्राप्त हो जाता है। अपर हाउस यहां बने, इसमें कोई राजस्थान का खास लाभ होनेवाला हो ऐसा मुझे प्रतीत नहीं होता।

अध्यक्ष महोदय, इस सदन के अन्दर हमारी चर्चाओं के दौरान में हाईकोर्ट के जजों की सैलरी के सम्बन्ध में भी काफी विचार सामने आये और बहुत से माननीय सदस्यों ने यह कहा कि भारतवर्ष के अन्दर सिवाय राजस्थान, मैसोर, और केरल इन तीन राज्यों के अलावा सभी जगह

[श्री मोहनलाल सुखाड़िया]

हाईकोर्ट के जजों का वेतन साढ़े तीन हजार होगा जब कि राजस्थान के हाईकोर्ट जजों का और इन दूसरी दो स्टेटों के हाईकोर्टों के जजों का ढाई हजार या दो हजार के आसपास हो गा। वैसे ये इस एस. आर. सी. बिल का पार्ट नहीं हैं। पर चूंकि एक्ट में तरमीम होने वाली है इसलिये इसकी चर्चा भी आई और इसमें कुछ माननीय सदस्यों ने एक अलग ही रास्ता अजीब तरीके का सोचने की बात कही कि दूसरी स्टेटों में भी जो हाईकोर्ट जज हैं उनका वेतन भी ढाई हजार करके हमारे बराबर कर दिया जाय यह उपयुक्त होगा।

मैं समझता हूँ कि जो माननीय सदस्य यह बात कह रहे थे वह भी जानते थे कि अच्छी तरह से कि विधान ने उन हाईकोर्ट्स के जजेज का वेतन ३५०० रु० निश्चित किया हुआ है उसकी हम यहां पर चर्चा कर दें लेकिन उसको कम नहीं कर सकते है, लेकिन इस बात को वे कहते कि हमारे हाईकोर्ट के जजेज का वेतना ३५०० रु० कर दिया जाय तो कई कारणों से आप नहीं चाहते। उस बात को कहें कि निश्चित समानता तो होनी चाहिये लेकिन अच्छा तो यह है कि कम कर दिया जाय। जो बात नहीं कर सकते उसकी चर्चा करके समानता की बात उन्होंने कह दी। दूसरे माननीय सदस्य जरूरत से ज्यादा तेज हो गये, जजेज के वेतन बढ़ाने के सम्बन्ध में। जहां तक हम लोगों का प्रश्न है इस प्रश्न पर हर दृष्टिकोण से विचार किया जा रहा है और सदन में जो चर्चायें हुई हैं वे चर्चायें भी हमारे सामने हैं, और कुछ ही समय के अन्दर इस बारे में जो गवर्नमेंट की राय होगी उससे हम भारत सरकार को परिचित करा देंगे। इतना ही इस समय मैं इस प्रश्न पर कहना चहूंगा। उससे ज्यादा, मैं समझता हूं, जाना इस वक्त आवश्यक नहीं है।

एक माननीय सदस्य जो कि अभी उपस्थित नहीं हैं और धौलपुर से आये हैं उन्होंने बहुत जोर से, मुझे पता नहीं क्यों उनको उस रोज उत्साह आया कि उन्होंने कहा, मुझे इजाजत दी जाय कि मैं इस्तिफा दूं और यू. पी. राजस्थान के बेसिस पर चुनाव लड़ूं और फिर धौलपुर यू. पी. में जाना चाहता है या राजस्थान में रहना चाहता है, इसका फैसला किया जाय। और उन्होंने मुझ से भी कहा कि मैं यह कह दूं कि धौलपुर यू. पी. के अन्दर जाना चाहे तो जा सकता है। मैंने अध्यक्ष महोदय, प्रस्ताव यह रखा है कि जो बिल के अन्दर राजस्थान के हिस्से नहीं बताये गये हैं वे राजस्थान के हिस्से रहें और कोई हिस्सा जाय वह बात मैं कहूं, यह उनको मुझसे आशा नहीं करनी चाहिये। मैं तो उनसे यही निवेदन कर सकता हूँ कि धौलपुर भी हमारे राजस्थान का अंग है, और जैसा राजस्थान के अन्य हिस्सों का विकास होगा वैसा वहां भी होगा। अध्यक्ष महोदय मैं आज से बहुत महीनों पहले एक बार धौलपुर गया था तो मैंने धौलपुर के निवासियों से कहा था कि इसमें लड़ना नहीं चाहिये कि कौन सा हिस्सा किधर रहे और किधर नहीं रहे। अगर आप यू. पी. जाना चाहते हैं तो वहां पर मुबारक हों और राजस्थान में रहते हैं तो आपका स्वागत है। वही बात आज कहना चाहता हूँ। यह कहा गया है कि लारियां भर कर वहां से गवाही दिलवाने के लिए बुलवाये। इस सम्बन्ध में मैं आपसे यह कह दूं कि एक बार जब राजस्थान बना तब शंकरराव देव की अध्यक्षता में एक कमेटी मुकर्रर की गई थी और वह कमेटी भरतपुर और धौलपुर के इलाकों के अन्दर गई

[श्री मोहनलाल सुखाड़िया]

थी। उन्होंने जाकर राय जाहिर की थी। उस राय के आधार पर इस बिल के अन्दर बात आई है और एस. आर. सी. की रिपोर्ट में भी उसका जिक्र किया गया है।

धौलपुर को नेगलेक्ट करने की बात कही गई तब तो मैं दर असल में आश्चर्य चकित रह गया। कभी अकेले धौलपुर में ही नहीं है राजस्थान के इतने अन्य हिस्सों में हैं। लेकिन राजस्थान बनने के बाद पार्वती बान्ध जैसी अगर ७५ लाख की योजना जहां एक सब डिविजन के अन्दर चल रही है। उसको भी हम नेगलेक्ट करके चल रहे हैं। यह बात कहना ज्यादा वाजिब नहीं है।

जो मल्टी परपज स्कूल वहां खोला गया है वह उस दृष्टिकोण से खोला गया है। हमने जब खोला तब इस दृष्टिकोण से खोला कि आज देश के अन्दर ठीक तरह का शिक्षण दिया जा सकता है, उस पर काफी खर्चा होता है। उस प्रकार के स्कूल की व्यवस्था हमने वहां धौलपुर के अन्दर की। उसके अन्दर यह जान कर आश्चर्य हुआ हमें बढ़ई का काम, लुहार का काम सिखाने वाला स्कूल वहां पर रख दिया और हाईस्कूल के बजाय मल्टी परपज स्कूल कर दिया। अगर यह आधार धौल-पुर के निवासियों की नाराजगी का है तो मुझे क्षमा करें, अध्यक्ष महोदय, कि अच्छा करने जायं तो भी बुरा मालूम हो तो क्या किया जा सकता है? मल्टी परपज स्कूल को वे चाहते हैं तो हाई स्कूल कर दें। इससे अगर धौलपुर निवासी प्रसन्न होते हैं तो मैं इस बात को समझता हूं कि जो इन्टर कालेज के अन्दर लोग आगे जाना चाहते हैं तो इस वक्त दिक्कत आ सकती है। जो मल्टी परपज स्कूल में आगे जाकर ११ वीं से १२ वीं में आयेंगे तो युनिवर्सिटी एजुकेशन के अन्दर आव-श्यक परिवर्तन हो जायेंगे। वह उनके राइज को रोकने वाला नहीं है, बल्कि जो शिक्षण आज वे प्राप्त करेंगे यह ज्यादा लाभप्रद साबित होने वाला है। उन्होंने जितनी बातें कहीं उन बातों से मुझे लगता यह था कि अब यह सम्भव नहीं है, स्वयं भी शायद यह समझते हों कि सम्भव नहीं है लेकिन धौलपुर की तरफ कुछ ज्यादा ध्यान आकर्षित किया जा सके सदन का वह मुख्य लक्ष्य उनकी बातचीत के अन्दर मालूम होता था। मैं समझता हूं चाहे धौलपुर, चाहे कोई दूसरा हिस्सा हो उस हिस्से पर जरा ध्यान देकर चलना चाहिये, और ध्यान देना चाहिये इसमें कोई शंका की बात नहीं है। धौलपुर के निवासी यह बात मानकर चलें।

सड़कों का जहां तक सवाल है राजस्थान में रहते हुए जितना सम्भव होगा उतना करेंगे। राजस्थान इतना बड़ा क्षेत्र होते हुए भी धौलपुर की आवाज राजस्थान में ज्यादा है ब मुकाबले यू. पी. में जितनी आवाज है उसके। वह ज्यादा सुनी जाती है इतना उनको मानकर चलना चाहिये।

अध्यक्ष महोदय, एक माननीय सदस्य ने इस बहस के दौरान में एक अजीब तरह की बात की कि जिसकी हम आशा नहीं करके चलते थे और जिसका संबंध भी इस बहस से नहीं था, लेकिन उन्होंने एस. आर. सी. के बिल पर बोलने के साथ साथ बल्कि बोलने से पहले इस सदन की मेज पर सफेद टोपी रखने की बात का एलान किया और उसके साथ साथ अंग्रेजी भाषा में जितनी बुरी बुरी बातें कही जा सकती थीं, वह भी उन्होंने कहीं। मैं समझता हूं कि यहां उन्होंने जो

[श्री मोहनलाल सुखाड़िया]

टोपी रखने की बात की वह शायद सबसे पहले खरीद कर उन्हें लानी पड़ी होगी। मैंने कभी उनको खादी की टोपी पहने हुए देखा नहीं। टोपी पहनी ही नहीं तो जो चीज सिर पर नहीं है, जिसको दिल से स्वीकार की ही नहीं, तो सदन के अन्दर वह बात एक रोज पहले जनता में व दूसरे लोगों में इस प्रकार की बातें यहां कह दें तो मैं समझता हूँ कि कोई खास असर पैदा हुआ हो ऐसा नहीं है, बल्कि जिस चीज की पहले ही आशा कर रहे थे उस चीज का उन्होंने एलान कर दिया उसके सिवाय दूसरी बात नहीं है। लेकिन सदन की परम्परा की दृष्टि से वाजिब बात नहीं है। एक व्यक्ति जब पार्टी को छोड़ता है तो एक पार्टी को छोड़ने का, जब कई उधर बैठने वाले व्यक्ति इधर आये थे तो एलान करके नहीं आये थे, एलान करने की बात नहीं है। हवा के अन्दर जब आप रहें तो कुछ लोगों पर असर करने के लिए मौके पर यह बात कह दी गई। लेकिन उस कहलाने वाली बात का असर तभी हो सकता है जब कि आपको यह खयाल होगा कि टोपी रखने वाली बातें जल्दी में कर दी है। यहां आकर इस प्रकार की कार्यवाही की, लेकिन वह कार्यवाही करना उचित नहीं है, और इस प्रकार की बातें करना सदन की परम्परा में उचित नहीं होगा। यह, अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी सेवा में निवेदन करना चाहता हूँ।

कुछ माननीय सदस्यों ने इस बात का भी जिक्र किया कि राजस्थान और मध्यभारत का जो मालवा का हिस्सा है और गुजरात का जो हिस्सा है वह एक अच्छी इकाई के रूप में बन सकता है। उसके संबंध में मैं एक बात स्पष्ट करना चाहूंगा कि जहां तक अब सोचने का सवाल रहा है और आगे भी सोचने का सवाल हो सकता है वह एक प्रदेश अलग बना गया है उस प्रदेश के एक हिस्से को अलग से करके अपने में जोड़ना। इस बात की आवश्यकता नहीं है। मध्य-भारत का जो हिस्सा मध्य प्रदेश में उस हिस्से के लिए राजस्थान से एक होने की बात दोनों को मिला कर सोचें तब तक वह बात संभव नहीं है जब तक कि मध्य प्रदेश पूरे का पूरा और राजस्थान पूरे का पूरा होने की बात सोचें। यह तभी संभव हो सकता है कि राजस्थान पूरा और गुजरात पूरा एक होने की बात सोचे। तो वे एक हो सकते हैं, लेकिन एक प्रदेश का एक हिस्सा निकाल कर एक तरफ चला जाय और आधा हिस्सा अलग छोड़ दिया जाय। यह बात संभव नहीं है एक युनिट चाहे, एक प्रदेश चाहे, अलग हो, कौन कौन अलग हो, कौन कौन ठीक है, उस विवाद में मैं पड़ना नहीं चाहता। मैंने जैसा पहले कहा, एक प्रदेश हमारे साथ जुड़ जायगा तो उचित होगा और अमुक प्रदेश नहीं जुड़ेगा तो नहीं होगा, आज उस बात पर पड़ना ठीक नहीं है।

दूसरी चर्चा अध्यक्ष महोदय, अजमेर को राजधानी को लेकर हुई। बहुत बहुत से माननीय सदस्य, मुझे क्षमा करेंगे, इस चर्चा में जितनी तेजी लाई गई और इसके पक्ष और विपक्ष के अन्दर जो बातें हमने एक दूसरे के खिलाफ कहीं, उसकी आवश्यकता नहीं थी। अजमेर की खुद की विशेषतायें हैं, जयपुर की खुद की विशेषतायें हैं, और एक माननीय सदस्य तो इस हद तक पहुँच गये कि मैंने और उदयपुर डिविजन से आने वालों के अजमेर नजदीक पड़ता है, इसलिए वहां राजधानी करने की बात करली है, मैं उनकी बात को नहीं समझ पाया। न तो मैंने कहा और न

[श्री मोहनलाल सुखाड़िया]

ही किसी उदयपुर डिविजन से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा कि अजमेर राजधानी होनी चाहिये बल्कि मैंने शुरू से ही कहा कि राजधानी का जहां तक प्रश्न है जयपुर में राजधानी रहे और मैं तो उसे निश्चित प्रश्न सा मानता हूँ जो कुछ बात कही। अजमेर राज्य के साथियों, व्यक्तियों के साथ जब कभी बातचीत करने का मौका आया तो मैंने बताया कि राजधानी के ऊपर फिर से विचार करने की गुंजाइश नहीं है। यह सही है, अध्यक्ष महोदय, कि आज से आठ वर्ष पहले मैं भी इस पक्ष का था कि अजमेर का राजस्थान में विलीनीकरण हो जावे और अजमेर को राजधानी बना दिया जाय। जैसा एक माननीय सदस्य ने कहा कि अजमेर, भरतपुर और अलवर के बराबर है, मैं समझता हूं कि ऐसी बात भी नहीं है। अजमेर का भी काफी महत्व है और एक को छोटा और एक को बड़ा बताने में पड़ जावेंगे तो वह भी ठीक नहीं है। राजधानी के लिए जो यहां पर खर्चा किया गया है, जो व्यवस्था की गई है उन सारी चीजों को हटा कर दूसरी जगह राजधानी करने जाते हैं तो लाखों करोड़ों रुपये का सवाल पैदा होता है और फिर वह खर्चा करना थोड़े से डिस्टेंस के लिये वाजिब है या नहीं है। किसी भी दृष्टि से विचार करें, आज की स्थिति में जबकि सात आठ साल गुजर गये, लाखों-करोड़ों रुपया यहां खर्चा किया, तो जयपुर ही उसके लिए उपयुक्त स्थान हो सकता है और जब अजमेर वाले राजधानी की बात करते हैं तो यह अपने अपने देश का प्रश्न है, यह स्वाभाविक है कि हर एक आदमी यह सोचता है कि अपने यहां राजधानी बने। जब राजस्थान की राजधानी का सवाल था तो सब ही जगहों से रेप्रेजेन्टेशन आये, कोशिश की कि वहां वहां राजधानी बने। आज अजमेर वाले कहते हैं तो जोश देने की बात नहीं आती, मैं यह मानता हूं कि अजमेर वाले भी दिल से यह मानते हैं कि राजधानी तो जयपुर में ही रहेगी लेकिन अगर वे अपनी बात कहते हैं तो सहानुभूति पूर्वक उनकी बात को देख कर करना चाहिये और जो कुछ कर सकते हैं, जो कुछ किया जा सकता है अजमेरका महत्व ज्यादा से ज्यादा हो, उसकी पोजिशन रहे, वह हमें करना चाहिये। अध्यक्ष महोदय, अजमेर का महत्व किसी राजधानी की वजह से नहीं है, रेलवे वर्कशाप है और किसी विशेष पोजीशन से आज है, जो आज अजमेर राज्य है, वहां राजधानी नहीं रहने से इसका असर कम नहीं होने वाला है। जयपुर का भी महत्व है अजमेर के लिये कोई शंका आती नहीं है कि महत्व नहीं रहेगा, अजमेर का महत्व रहेगा। राजस्थान का ज्यों ज्यों विकास होगा तो वह वहां भी होने वाला है। जो जो कठिनाइयां आयी हैं, जो जो तेजी आयी है उनकी आवश्यकता नहीं थी और ज्यादा तो मुझे इस सम्बन्ध में कहने की जरूरत भी नहीं है।

एक माननीय सदस्य ने कहा कि जो आन्ध्र और तेलंगाना नाम एक साथ जोड़ दिया गया है, वह उचित नहीं है और उस नाम को हटा कर एक करना चाहिये। मैं समझता हूं कि दो मिल कर एक नाम रखना चाहते हैं तो उसके लिए हमें क्यों एतराज हो वे रख सकते हैं, यदि वे उसको प्रसन्नता पूर्वक स्वीकार करते हैं तो हमें क्या एतराज होना चाहिये।

आबू के विषय में जहां प्रसन्नता की बात जाहिर की वहां एक दो माननीय सदस्यों ने कहा कि मुरारजी भाई वहां गये तो मुरार जी भाई ने यह कहा कि लोगों को मार कर आबू हमारे पास

[श्री मोहनलाल सुखाड़िया]

रखेंगे। मैं समझता हूं यह बात उन्होंने नहीं कही। जहां तक जानकारी की गई, पता लगाया गया, इसमें कोई भ्रम हुआ। मुरार जी भाई जैसे ऐसी बात कहे यह बिलकुल समझ में नही आती। जब कभी भी उनसे मेरी बात हुई तो उन्होंने कहा कि एस. आर. सी. में कुछ हो जायगा उसको हमें स्वीकार कर लेना चाहिए और आज हमें यह मान लेना चाहिए कि एस. आर. सी में जो कुछ भी आज हैं उनका नहीं हुआ, हमारा हिस्सा हमारे पास आता है, और और बातें हुई, उन चर्चाओं में हम क्यों पड़े।

एक माननीय सदस्य ने यह कहा कि राजस्थान, गुजरात और हमारा राष्ट्र एक हो तो हमें बहुत लाभ होगा। मुरार जी भाई जैसे अनुभवी व्यक्ति का हमको लाभ मिलेगा। और उन्होंने यह भी कहा था कि मराठा और राजपूत दोनों मिलकर देश की बहुत बड़ी सेवा करेंगे। ये सारी बातें उन्होंने कहीं। देश की सेवा तो जहां कही हों, राजपूत हो, सिक्ख हो कोई भी, जहां देश का प्रश्न आता है तो सब एक साथ खड़े होने वाले हैं और देश की सुरक्षा की वजह से कोई अन्तर नहीं आने वाला है। देश का हित सबसे बड़ा हित है। महाराष्ट्री कहां रहते हैं, सिक्ख कहां रहते हैं, सब मिल कर काम करेंगे जैसा लोग आज करते हैं। उनका इन चीजों का महत्व बढ जाता है, कोई मानने का कारण नहीं है, अगर देश मानने लगे तो सिक्ख और राजपूत दो बहादुर कौमें एक साथ, एक बहादुर कौम एक साथ, उधर यह है, इधर यह है, कई लोग मिल सकते हैं, जिनके साथ मिल कर काम कर सकते हैं। मुरार जी भाई के अनुभव का लाभ हो, उनका अनुभव उनकी कार्य करने की कुशलता, ज्यादा है, उनका लाभ हमें प्राप्त हो सकता है और बडे व्यक्तियों का लाभ राजस्थान को प्राप्त हो सकता है, उनके लिये मैं यह कहूं कि गलत बात है उनके मुकाबले में ज्यादा अनुभवी हैं, कहने की बात नहीं होगी, वह चर्चा का विषय नहीं है। जो व्यक्ति बड़े हैं, देश के मान्य हैं, हम यह कहें कि मान्य नहीं हैं, यह गलत है, जिन माननीय सदस्यों ने कहा वे बड़े समझते हैं मान्य समझते हैं, हनसे, एस. आर. सी. में इस चर्चा को लाकर क्यों व्यक्तियों के विषय में पड़े, लेकिन वह बात कही गई इसलिये मैंने जिक्र कर दिया।

अध्यक्ष महोदय, एक बात कही गई थी जो डिलिमिटेशन ऑफ कांस्टिट्यूएंसी के बारे में प्रोसिजर रखा गया है और जिस प्रोसिजर के अनुसार राय मांगने की बात नहीं रखी गई है। उसको रखा जाना आवश्यक समझा गया और उसके लिए मेरा ख्याल है एक अमेण्डमेन्ट आया है। मैं समझता हूं चुनाव जितनी जल्दी हों देश में, वह समस्या एक महत्व पूर्ण समस्या है और उसका असर डिलिमिटेशन का कुछ जगहों पर पड़ेगा। बहुत ज्यादा व्यापक रूप से उसका असर नहीं पड़ने वाला है। इन चीजों को सामने रख कर चलते हैं तो मैं समझता हूँ, चुनाव समय पर हो जांय यह ज्यादा बड़ी बात है बनिस्पत इसके कि कुछ जगह जहां इसका विशेष असर पड़ेगा, पब्लिसिटी दें तो चुनाव बहुत आगे चले जायेंगे। अभी अन्दाज है कि मार्च के आसपास चुनाव हो जायेंगे। यदि इस समय में नहीं हुए तो फिर

[श्री मोहनलाल सुखाड़िया]

गर्मी और वर्षा आ जायगी और काफी आगे बढ़ेंगे। यह बड़ा दृष्टिकोण है। मैं समझता हूं जैसी बिल में व्यवस्था है उसको स्वीकार करना चाहिए क्योंकि ज्यादा लोगों को चुनाव में अपना मत व्यक्त करने का मौका मिलेगा, बनिस्पत इसके कि चुनाव पोस्टपोन करने का मौका देने के।

सिरोंज के गवर्नमेंट सरवेन्ट्स के बारे में किसी माननीय सदस्य ने ध्यान आकर्षित किया था कि उनके सम्बन्ध में गवर्नमेंट को ध्यान देना चाहिये। मैं समझता हूँ कि सिरोंज के प्रश्न पर जो आवश्यक व्यवस्था होनी चाहिये, वही होगी। यह ऐसा नहीं है कि बहुत मुश्किल बात हो।

लोहारू के सम्बन्ध में माननीय अध्यक्ष, कुछ माननीय सदस्य ने यह बात कही कि लोहारू राजस्थान से क्यों जाने दिया जाय जब कि पिछली रिपोर्ट में लोहारू को राजस्थान का अंग बनाया गया था। पिछली रिपोर्ट प्रकाशित हुई उसके बाद देश के कई हिस्सों में परिवर्तन हुए हैं। अब यह समझ कर चलें कि एक रिपोर्ट में एक हिस्सा हमारे यहां रख लिया था तो वह चला क्यों गया, इसके लिये संघर्ष की स्थिति पैदा की जाय, यह गलत बात होगी। फिर भी मैं बताना चाहता हूँ कि जहां तक लोहारू के जाने का सम्बन्ध है, इस सम्बन्ध में मुझसे भी कई व्यक्ति लोहारू के मिले थे और उन्होंने यह बात कही थी कि लोहारू के लोग राजस्थान के बजाय पंजाब में रहना ज्यादा पसंद करते हैं, इसलिये उनके ख्याल से इसे पंजाब में ही रहने दिया जाय। एक बार लोहारू बीकानेर में रहा था यह मेरी और आपकी जानकारी में है लेकिन ज्यादातर यह पंजाब के साथ ही रहा है। वहां की अधिकतर पंचायतों के सरपंचों ने कहा कि लोहारू राजस्थान के बजाय पंजाब में रहना चाहिये। उन्होंने वही बात भारत सरकार को कही है। लोहारू के जिस हिस्से को राजस्थान में दिया था, वहां के कुछ लोग मुझ से मिले हैं उन्होंने कहा कि लोहारू का हिस्सा पंजाब में ही रहना चाहता है। आज जनमत खड़ा करें यह उपयुक्त नहीं होगा क्योंकि वह पंजाब में रहे या हमारे साथ रहे, उसके लिये भारत सरकार आवश्यक जानकारी करें और आवश्यक जानकारी करके वहां के लोगों के हित में और देश के हित में जो आवश्यक हो, वही कार्यवाही करें मैं समझता हूं इस प्रकार के दृष्टिकोण को लेकर देश बड़ी बातों को लेकर देश बड़ी बात को सोच सकता है यह तो केवल एक हिस्से का सवाल है। राजस्थान में आवे तो या पंजाब में रहे तो बहुत बड़ा अन्तर नहीं पड़ने वाला है। कोई ऐसी बात नहीं है कि दो आदमियों ने फैसला कर दिया हो। यह प्रश्न भारत सरकार के निर्णय पर छोड़ा था और उन्होंने जो निर्णय किया, वह हम सब के हित में है। इसके बारे में विरोधी दल के नेता ने कहा उनके शब्द मुझे याद नहीं हैं। उनके अनुसार इसमें बड़ी टेक्टिक्स है। पंजाब में सिक्ख ज्यादा हैं उनके लिये जो प्रदेश बनाया गया है उसमें हिन्दी बोलने वाले नाराज हुए, इसलिये लोहारू का हिस्सा उनको देकर पूर्ति करदी। मैं समझता हूँ कि लोहारू का २० हजार की आबादी का इलाका

[श्री मोहनलाल सुखाड़िया]

देने से बेलेंसिंग पॉवर होगा, यह गलत बात है। दरअसल में वहां के लोगों की यही राय है। मैं यह भी नहीं कहता कि कहां कहां की यह राय है। लोहारू खास के लोग राजस्थान में मिलने की बात सोचते हैं लेकिन गांवों के लोग पंजाब के साथ रहना पसंद करते हैं। मैंने यह बात भी की थी कि लोहारू कस्बा राजस्थान में रहे तो ज्यादा अच्छा हो। लेकिन टुकड़ों में अलग रहना ठीक नहीं था।

अध्यक्ष महोदय, कुछ खास खास बातें मेरे ध्यान में आईं, उन पर प्रकाश डालना मैंने ठीक समझा। जो मुख्य बातें थी मैंने यथा संभव कहने की कोशिश की और मैं आशा रखकर चलता हूं कि जहां तक यह बिल हमारे सम्मुख आया है वह इस प्रकार का है, राजस्थान के अन्दर इस बारे में चर्चायें हमने की हैं लेकिन मतभेद की बात नहीं हो सकती, किसी अमेन्डमेंट को प्रेस करने की बात नहीं हो सकती। जिन्होंने अमेन्डमेंट्स रखे हैं उनसे मैं निवेदन करना चाहूंगा कि काफी सोच विचार के बाद देश में जो चर्चायें हुईं, किसी खास बात पर ही हुई हों, ऐसा नहीं है। काफी चर्चायें हुईं, सोच विचार हुआ, बहुत सी बातें हुईं, उसके बाद निर्णय लिया गया है। इसको जितना जल्दी कार्यान्वित कर सकें और इस सदन में जितना एक मत से इसका समर्थन किया जाय वही ज्यादा अच्छा है। इसलिये मैं माननीय सदस्यों से निवेदन करूंगा कि जो अमेन्डमेंट्स रखे हैं जैसे डीलिमिटेशन के बारे में, दरअसल में यह समय का फेक्टर है और समय की बात करते हैं तो आगे जाकर चुनाव में देरी होगी जिसे ज्यादा लोग पसन्द नहीं करते हैं इसलिये इसे प्रेस करना ठीक नहीं होगा। दूसरा अमेन्डमेन्ट जोनल कौंसिल के बारे में था। मैंने अर्ज किया कि जोनल कौंसिल्स एक दूसरे के दृष्टिकोण को जानने के लिये, आपस में सोच विचार करने के लिये अच्छी हैं इसी दृष्टि से इनकी व्यवस्था रखी है। यह देश के हित में है इसलिये इनको मानना उचित होगा। इससे अधिक, अध्यक्ष महोदय, मुझे निवेदन नहीं करना है। अंत में मैं निवेदन करना चाहूँगा कि जो बिल हमारे सम्मुख विचाराधीन है और उसके लिये मैंने जो प्रस्ताव रखा है उसे सदन सर्व सम्मति से स्वीकार करे।

(करतल-ध्वनि)

श्री भैरूंसिंह (वि. सं. १६)—अध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्य मन्त्री जी ने मेरे संशोधन के विषय में, मैं ऐसा समझता हूँ, मोटे रूप से जिस प्रकार के उत्तर की मैं अपेक्षा करता था उसी प्रकार का उत्तर दिया है। अध्यक्ष महोदय, जहां तक जोनल कौंसिल का प्रश्न है, माननीय मुख्य मन्त्रीजी की राय में इस प्रकार की कौंसिल्स सलाहकार समिति के रूप में कार्य करने वाली सरकारी संस्थाएं हैं। मैं ऐसा समझता हूं कि जिस ओर जैसे वातावरण में जोनल कौंसिल्स की उत्पत्ति हुई यदि उस वातावरण की ओर यदि थोड़ा बहुत भी हम दृष्टिपात करें तो अवश्य

[श्री भैरुं सिंह]

ही हमें यह मालूम होगा कि जिन सलाहकार समितियों की आड़ में हम इन जोनल कौंसिल्स को स्वीकार करने जा रहे हैं वे आगे चल कर इसी प्रकार की सलाहकार समितियां बनी रहेंगी, यह संभव नहीं है। एस. आर. सी. रिपोर्ट के प्रकाशित होने के पश्चात देश में जिस प्रकार का वातावरण बना, लोगों में प्रान्तीयता, क्षेत्रीयता और ऐसी ही अनेक प्रकार की भावनायें जागीं, वातावरण विक्षुब्ध बना और परिस्थितियां ऐसे वातावरण को गंभीर बनाती चली गई उस वक्त देश के प्रधानमंत्री ने, लोगों का ध्यान इस प्रकार की भावनाओं से दूर करने के लिये, जोनल कौंसिल्स का सुझाव रखा। जिस समय एस. आर. सी. की रिपोर्ट प्रकाशित हुई उस समय उसमें यदि इसकी कमी अनुभव की होती और उस कमी को पूर्ण करने के लिये यदि हम इस प्रकार के सुझाव पर विचार करते तो हमें इस बात को मानने के लिये विवश होना पड़ता। शायद स्टेट्स की डेवलपमेंट स्कीम्स को लेकर कोर्डिनेशन की भावना को लेकर इस प्रकार की सलाहकार समितियों की आवश्यकता है और निर्माण होना चाहिये लेकिन जिस क्षुब्ध वातावरण में इस प्रकार की भावना जाग्रत हुई और जो दुर्घटनायें भारतवर्ष में हुई और जो हाल बना और उसमें जिस तरह से अंधेरे में टटोलने की कोई व्यक्ति कोशिश करता है उसी प्रकार हमारे प्रधान मंत्री ने अंधेरे में टटोलकर लोगों का ध्यान जोनल कौंसिल्स की ओर आकर्षित करने की कोशिश की है। यह केवल सलाहकार समितियां हैं, ऐसा मैं नहीं मानता। एस. आर. सी. बिल में जोनल कौंसिल्स के पहले "परमानेन्ट" शब्द का उपयोग किया गया है, डेवलपमेंट स्कीम्स को लेकर कई प्रकार की बाधायें उपस्थित हो रही हैं और इस प्रकार का कोर्डिनेशन नहीं होने के कारण होनेवाली परिस्थिति में जहां एक प्रान्त को लाभ मिला हो या एक दूसरे में लाभ निहित हो, काम पूरा नहीं हो रहा हो, उस लिहाज से इस प्रकार के जोन्स बनाये जाते तो ज्यादा अच्छा रहता, लेकिन इस बात को प्रत्यक्षरूप से मानने के लिये हमारे सामने आज तक कोई कठिनाई नहीं बताई गई।

कठिनाई केवल इस बात की थी कि लोगों में जो इस प्रकार की विषमता फैली हुई है उसको किस तरह रोकें। कुछ दिनों पूर्व लोक सभा में इस बात का संकेत किया गया था कि यदि आवश्यकता हुई तो और रूप से भी लेंगे।

हमारे सामने बंगाल बिहार के विलय का प्रश्न खड़ा है, जिस प्रकार की विलय की आशा की जा रही है, दोनों प्रान्त मिलेंगे, जोन नहीं बनेगा, एक स्टेट बनेगी, जहां बंगाल और बिहार की एक स्टेट बन रही है तो यह आशा कर चल सकते हैं कि एक दिन आयेगा जिस दिन पंजाब, राजस्थान, देहली और जम्मू और काश्मीर का एक स्टेट घोषित कर दिया जायगा।

इसमें किसी को आपत्ति हो सकती है कि बड़े प्रान्त बनेंगे, वह देश के अहित में होंगे पर बुद्धि जीवी वर्ग का और मेरा यह मत है कि बड़े प्रान्त बनते हैं, उनको एटोनोमस पावर मिलते हैं

[श्री भैरुंसिंह]

तो देश में एकता बढ़ेगी, देश एक हो इस प्रकार की भावना लोगों में जागृत होगी, इसलिये आवश्यक है कि ऐसी चीजों का निर्माण करें कि लोगों में इस प्रकार की भावनाएं जागृत हों।

लेजिस्लेटिव कौंसिल्स को खत्म करने के बारे में मेरा सुझाव था, मुझे खुशी है कि मुख्य मन्त्रीजी ने कहा कि राजस्थान में आज हम ऐसा महसूस नहीं कर रहे हैं कि लेजिस्लेटिव कौंसिल का राजस्थान में निर्माण नहीं होगा तो किसी प्रकार की काम में बाधा होगी। यदि लेजिस्लेटिव कौंसिल को खत्म कर दिया जाय तो किसी भी प्रकार की कोई दुविधा जनता के समक्ष आनेवाली हो ऐसी बात नहीं है। मैं तो यह कहूंगा कि इसके लिये कोई भी विशेष प्रकार की दलील जनता के सामने नहीं आई है। यह कहा जाता है कि लेजिस्लेटिव एसेम्बलीज से कोई भूल हो गई हो तो उस भूल को सुधारनेके लिए अपर हाउसकी आवश्यकता है पर आजतक हमारे अनुभवमें ऐसी चीज नहीं आई है कि कभी भी लेजिस्लेटिव असेम्बलीज के कार्य में लेजिस्लेटिव कौंसिल्स ने भूल सुधारने का कार्य किया अदा किया हो। मैं तो यह समझता हूं कि कुछ लोगों को लेजिस्लेटिव कौंसिलके सदस्य बनाने के लिये एक प्रकार से यह सारी चीज है और इसी कारण से विशेष उपयोग इसका हमारे लिये नहीं है, इस प्रकार की संस्था का, इस लिये मैं इसे अनावश्यक संस्था समझता हूं। राजस्थान में लेजिस्लेटिव कौंसिल नहीं, दूसरे प्रान्तों में जो स्टेट कौंसिल्स हैं उनको भंग करने के लिये भी हम राय जाहिर कर सकते हैं, राजस्थान का प्रान्त कोई भी अच्छा सुझाव जनता के समक्ष और जनता के प्रतिनिधियों के समक्ष, जनता की प्रतिनिधि संस्था के समक्ष रखे, तो इसमें कोई अनुचित बात नहीं।

मैं मुख्य मंत्रीजी से निवेदन करूंगा कि जिस प्रकार उनका अनुभव है कि लेजिस्लेटिव कौंसिल्स नहीं होने से कोई काम में बाधा आती हो ऐसी बात नहीं है, वे अपनी इस राय को और इसी प्रकार की सदन की राय भी भारत सरकार को पहुंचायें। राजस्थानकी जनता की मंशा है कि इस प्रकार की अनावश्यक संस्था को न रखा जाय।

तीसरा प्रस्ताव डीलिमिटेशन के बारे में है। मुख्य मंत्री ने कहा कि चुनाव जल्दी कराने हैं और जिन कांस्टीट्यूएन्सीज का डीलिमिटेशन होनेवाला है उसके बारे में अगर जनता की राय ली जाय तो जो चुनाव मार्च में होनेवाले हैं वे मार्च में नहीं हो सकेंगे और ऐसी हालत हो सकती है कि चुनाव आगे बढ़ायें जांय। मार्च में चुनाव हों, चाहे मई में चुनाव हों या जून में हों, कानूनी समस्या है कि निर्वाचन क्षेत्रों का निर्माण करें और पहले जनता की राय जानी जाय। इसके पहले जनता की राय नहीं जानें, यह कुछ लोगों के साथ भयंकर ज्यादती हो सकती है डीलिमिटेशन के बारे में यह व्यवस्था है कि कोई भी हेरफेर करे तो गजट में छापा कराया जाय। अब चूंकि चुनाव जल्दी कराने हैं, इस भय को समक्ष रख कर उससे चुनाव क्षेत्रों के चुनाव कराने की प्रणाली में हेर फेर करते हैं तो वह बिल्कुल अनुचित होगा। इस पर माननीय अध्यक्ष, मैं बताऊं राजस्थान में अजमेर और आबू का विलय होगा लेकिन सीरोंज का हिस्सा निकलेगा वहां आवश्यक रूप से हेर फेर होगा और इसका निर्वाचन

[श्री भैंरूंसिंह]

क्षेत्रों पर असर न पड़े, ऐसा मैं नहीं मानता। बहुत मुमकिन है उदयपुर का हिस्सा इससे बच जायगा.......

(हंसी)

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—दांता रामगढ़ पर भी कोई इसका असर नहीं पड़ेगा।

(हंसी)

श्री अध्यक्ष—यह इससे मिटने वाला भी नहीं है।

श्री भैरूंसिंह—यदि राजस्थान विधान सभा, भारत सरकार के सामने इस प्रकार का सुझाव रखती है और प्रजातंत्रीय प्रणाली पर जो चुनाव कराती है उनमें स्वस्थ प्रणाली अपनाई जाय तो अच्छा रहेगा।

इन तीनों बातों को रख कर मैं मुख्य मंत्रीजी से निवेदन करूंगा कि वे इन बातों पर ध्यान देंगे। मैं सदन के माननीय सदस्यों से निवेदन करूंगा कि मेरी राय में राय मिला कर आवाज बुलंद करें और मेरे प्रस्ताव के पक्ष में मत देकर इसे पास करें।

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि जो संशोधन श्री भैंरूसिंहजी ने रखा है उसे स्वीकार किया जाय।

(अस्वीकृत)

संशोधन गिर गया।

(विराम)

प्रश्न यह है कि जो प्रस्ताव रखा गया है कि "यह सदन भारत सरकार द्वारा प्रस्तुत किये गये राज्य पुनर्गठन विधेयक; १९५६ में वर्णित राजस्थान राज्य के पुनर्गठन सम्बन्धी प्रावधानों का समर्थन करता है।" इसे स्वीकार किया जाय।

(सर्व सम्मत्ति से स्वीकृत)

प्रस्ताव सर्व सम्मत्ति से स्वीकृत हुआ।

श्री अध्यक्ष—Hon'ble Members should not shout like school boys.

Page No 65

राजस्थान मोटर वेहिकल्स टेक्सेशन(संशोधन) विधेयक, १६५६

श्री रामनिवास मिर्धा (परिवहन मंत्री)—माननीय अध्यक्ष, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि राजस्थान मोटर वेहिकिल्स टेक्सेशन एक्ट १६५१ का और संशोधन करने के लिए विधेयक विचारार्थ लिया जावे।

अध्यक्ष महोदय, यह एक छोटा सा विधेयक है और मूल एक्ट जो १६५१ का है उसमें कुछ संशोधन करेगा उसके बारे में दो चार शब्द सदन के समक्ष कहना चाहता हूँ।

सबसे पहली बात जो इस विधेयक में है वह इसकी धारा ३ के बारे में है। अभी जो धारा ३ मूल एक्ट में है उसके अनुसार कृषि के काम के लिए जितनी गाड़ियां काम में आती हैं वे इस एक्ट से बिल्कुल मुक्त हैं। इसका मतलब यह होता है कि जो रूल्स बने हैं वह भी लागू नहीं होते। इसलिए यह संशोधन इसलिये लाया गया है कि उनको इस एक्ट के नीचे जरूर लाया जावे और दूसरे विहिकल्स को एग्जेम्पशन देने चाहिये जो संशोधित धारा के अतिरिक्त नोटिफिकेशन निकाला जावेगा और उसके माफिक उनको एग्जेम्पशन मिलेगा। इसके अलावा एक नया प्रोविजन कायम किया है कि जो नोटिफिकेशन निकलेगा उसको सदन के समक्ष पेश करना होगा और सदन उसमें चाहे तो हेर फेर भी कर सकेगा।

इसके बाद एक संशोधन है वह यह है कि अभी जो टैक्स लिया जाता है मोटर गाड़ियों का वह समय पर जमा नहीं कराया जाता है। अगर कोई समय पर जमा नहीं कराता है तो मौजूदा कानून के अनुसार कोई पेनल्टी नहीं ली जा सकती है। इसलिए इसमें कुछ परिवर्तन किया गया है क्योंकि ऐसा संशोधन नहीं होता है तो एक बड़ी लम्बी तवालत हो जाती है इसलिए इसमें यह रखा गया है कि अगर टैक्स समय की समाप्ति के बाद एक सप्ताह में पेश करें तो दो रुपये पेनल्टी के और बाद में पेश करें तो पहले सप्ताह के ५ रु० पेनल्टी और उसके बाद भी प्रति सप्ताह के हिसाब से पेनल्टी लगेगी। इसके बाद एक छोटा सा संशोधन है वह है पुराने एक्ट के अन्तर्गत शब्द ट्रांसपोर्ट कमिश्नर ऑफ राजस्थान के स्थान पर डाइरेक्टर ऑफ ट्रांसपोर्ट फॉर राजस्थान प्रतिस्थापित किये जायेंगे। इसके बारे में संशोधन किया जाएगा। इसके साथ ही साथ अभी जो एक्ट है उसमें ट्रांसपोर्ट कमिश्नर का निर्णय होता है उसकी रिवीजन होती है सरकार के पास अब ये पॉवर सरकार के पास नहीं रख कर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू को यह अधिकार दिया जा रहा है।

इसके बाद प्रश्न आता है कि मोटर कारें जो हैं उन पर १० रुपये टैक्स लिया जाता है उसको बढा कर १२) रुपये का प्रस्ताव किया गया है। क्योंकि मोटर गाड़ियां ऐसे लोगों द्वारा काम में ली जाती है जो टैक्स दे सकते हैं। इसलिये १० रु० से बढा कर १२ रु० किया गया है।

इसके साथ ही साथ पिक अप की गाड़ियां होती हैं उसके बारे में कोई निश्चित तौर से उल्लेख नहीं किया गया है। इसलिये इसमें एक नया क्लाज और बढा दिया इसमें उन पर ८४ रु० सालाना का टैक्स प्रसारित किया गया है।

[श्री रामनिवास मिर्धा]

इसी तरह से जो मोटर बसें होती है जो किराये पर चलती हैं उसके लिए २० रु० प्रति सीट के हिसाब से पहले लिया जाता था उसको २० रु० के बजाय २५ रु० करने का प्रस्ताव किया गया है। इसके सेड्यूल में एक्सप्लेनेशन बढ़ा दिया गया है उसका मतलब है कि अभी ट्रेक्टर पर एक टैक्स लगता है। जो पब्लिक केरियर हैं उन पर टैक्स लगाने का इरादा है उसके द्वारा डबल टैक्स हो जाता है। इसलिये यह वृद्धि है कि इस पर एक ही टैक्स लगे, यह किया गया है।

(श्री उपाध्यक्ष पदासीन)

इसके अलावा जो प्राइवेट केरियर होते हैं उनके टैक्स में वृद्धि की गई है क्योंकि ऐसा पाया गया है कि जो लोग प्राइवेट केरियर के नाम से पर्मिट लेते हैं, अपनी गाड़ियों का दुरुपयोग करते हैं। क्योंकि इसके टैक्स में काफी अन्तर पड़ता है। इसको थोड़ा सा बढ़ाया गया है।

अध्यक्ष महोदय, यही दो चार बातें थी जो मुझे कहनी थीं जो इसके द्वारा की जा रही हैं। मैं आशा करता हूं, सदन इसको पास करेगा।

श्री शंभूसिंह—उपाध्यक्ष महोदय, मेरा संशोधन इस प्रकार है—

"I move that the Rajasthan Motor Vehicles (Amendment) Bill, 1956, be referred to a Select Committee consisting of the members (names to be announced later on) to submit a report within two months to this House."

उपाध्यक्ष महोदय, मोटर वेहिकल्स एक्ट में एमेंडमेंट आया है....

श्री नाथूराम मिर्धा—(अश्रव्य)

श्री शंभूसिंह—मैंने हाउस में दे दिया है। माननीय उपाध्यक्ष जी, मैं इस संशोधन के जरिये कुछ निवेदन करना चाहता हूं। यह जो बिल है यह सरसरी तौर पर निर्दोष मालूम होता है। लेकिन इसमें टैक्सेशन बढ़ाने का प्रश्न है और टैक्सेशन बढ़ाने का प्रश्न पब्लिक से सम्बन्ध रखने वाला है और हमें कोई कानून इस प्रकार जल्दबाजी में पास नहीं करने चाहिये कि जिससे कि पास होने से टैक्सों का भार जनता पर पड़े। इसलिये मैं यह कहूंगा कि जल्दबाजी में कोई कानून पास नहीं किया जावे और हममें से बहुत से सदस्य भी इसमें दिलचस्पी रखते हों और उनके दिल में कोई बात हो जिसको वे समझते हों तो इसके लिये सदन को एक सिलेक्ट कमेटी जरूर बनानी चाहिये ताकि वे लोग इस पर गंभीरता पूर्वक विचार कर सकें कि इसका प्रारंभिक रूप क्या होना चाहिये ? किस माने में यह होना चाहिये वह सिलेक्ट कमेटी स्वीकार कर ले और उसके बाद यह सदन जिस रूप में इसे पास करना चाहे उसी रूप में पास करे। उस समय सिलेक्ट कमेटी की राय

[श्री शंभूसिंह]

भी सदन के सामने होगी और विचार करने का सदस्यों को अवसर भी प्राप्त हो सकेगा। माननीय उपाध्यक्ष, मैं यह निवेदन करूंगा कि इसको सिलेक्ट कमेटी के सुपर्द कर दिया जाना चाहिये।

श्री मानसिंह महार—माननीय उपाध्यक्ष, राजस्थान मोटर वेहिकल्स टैक्सेशन अमेन्डमेन्ट बिल, १६५६ में मेरा यह प्रस्ताव है कि इसको सिलेक्ट कमेटी के सुपुर्द कर दिया जाय।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह मानकर चलता हूं कि जो मोटर विहिकल्स एक्ट है वह एक बहुत ही विचित्र सा एक्ट है। इस एक्ट के अन्दर कई एक खामियां हैं जिनको सरकार को रिओपन करना चाहिये। मेरा खयाल ऐसा है उपाध्यक्ष महोदय, इस एक्ट में जो खामियां है अगर उसे ऐसे ही पास कर दिया गया तो मेरा खयाल है यह उचित नहीं होगा। इसलिये जो इसमें खामियां हैं उनको दूर करने के लिये ध्यान देना जरूरी हो जाता है। इसके लिये यह कहा जा सकता है कि ऐसी जो खामियां है उसके लिये आप प्राइवेट बिल या रेजोल्यूशन ला सकते हैं। उपाध्यक्ष महोदय, मेरा यह निवेदन है कि अब तो इस सदन की जिन्दगी केवल छः महिना और साल भर की बाकी है। पहले भी जो प्राइवेट बिल्स रखे गये उनकी हालत यह हुई, या तो वे बिल सदन के सदस्यों के अलग होने से या और कोई कारण से उनमें से एक भी पास नहीं, हो सका या लेप्स हो चुके हैं। ऐसी सूरत के अन्दर यह जो टैक्सों का अहम मसला है इसको रिओपन कर इसे सिलेक्ट कमेटी के सुपुर्द किया जाना मैं उचित समझता हूं। इस अमेन्डमेन्ट बिल द्वारा हमारे मित्र कुछ बातें चाहते हैं वे भी कुछ खतरनाक सी मालूम पड़ती है आज अगर कोई व्यक्ति किसी वजह से टैक्स देने में कुछ देरी कर देता है पहले ऐसी बात थी कि पांच सात दिन की भी देर हो जाती तो या इससे भी कुछ ज्यादा समय लग जाता था तो भी उसका टैक्स जमा कर लिया जाता था जो यह सुविधा पहले थी अब उस सुविधा को हटाकर मानों सरकार ने यह प्रण कर लिया हो कि जनता को जितनी भी सुविधा हो उसको जल्दी से जल्दी खत्म किया जाना चाहिये। यह जो छोटी सी ड्राइवरों और मोटर मालिकों को सुविधा थी टैक्स यदि समय पर नहीं दिया गया हो, थोड़े दिन ठहरकर दे देते वह सुविधा भी इस बिल द्वारा छीन ली गई। आप के पास जब कि प्रोवीजन्स है अगर कोई टैक्स समय पर नहीं देता है या देर से दे तो आखिर टैक्स वसूल हो जाता है ऐसी कोई चीज नहीं कि टैक्स की वसूली नहीं होती हो। लेकिन अब सरकार ने एक शिड्यूल इसमें जोड़ा है उसके अन्दर यह है कि जितने दिन टैक्स देने में देरी होगी उतने ही दिन पैनेल्टी देनी होगी एक रूपया प्रतिदिन के हिसाब से। यह एक पैसा कमाने की नयी प्रवृत्ति शुरू हुई है सरकार का पेट तो कभी भरता ही नहीं कितना ही पैसा चारों तरफ से लिया जाता है न मालूम किस समुद्र में जाकर पड़ता है उसका पता ही नहीं लगता। अब तो सरकार के पास सिवाय जनता से पैसा एंठने का तरीका निकालने और कोई सरकार के पास तरीका नहीं। यहां एक धारा में अमेन्डमेन्ट रखकर सरकार यह चाहती है उपाध्यक्ष महोदय, कि जनता पर पैनेल्टी इम्पोज की जाय मैं इस चीज को खतरनाक और अनुचित मानता हूं। मैं यह समझता हूं कि इस प्रकार आज के युग में आप पुराने दंड और जुर्माने की प्रणाली अपनाना चाहते हैं यह कोई वाजिब बात नहीं है। इसलिये ये चीजें ऐसी हैं जो सिलेक्ट कमेटी में ही भेजने से सुधर सकती हैं।

[श्री मानसिंह महार]

दूसरी बात इस बिल में विचारणीय यह है कि इसकी अपीलें वगैरह सुनने का अधिकार हमारे मंत्री महोदय रेवेन्यू बोर्ड को देना चाहते हैं, मेरा ऐसा खयाल है अपील सुनने का अधिकार हाई कोर्ट को होना चाहिये। मगर जब रेवेन्यू बोर्ड को अपील सुनने का अधिकार देने से हमें सरकार की नीयत में कुछ शक होता है। हम यह जानना चाहते हैं कि हाईकोर्ट को न भेजकर रेवेन्यू बोर्ड को अपीलें भेजने का सरकार ने क्यों इरादा किया ? इससे कई बातें सामने आती हैं या तो रेवेन्यू बोर्ड पर हमारे माननीय मंत्री महोदय बहुत मेहरबान मालूम पड़ते हैं या सरकार वहां भेजकर इन मामलों में गोलमाल करवाना चाहती है। इसके लिये भी यह वाजिब हो जाता है कि इस बिल को सिलेक्ट कमेटी के सुपुर्द किया जाय अगर हाई कोर्ट में अपीलें जातीं तो किसी हद तक हम यह मान सकते थे। यह एक अच्छी बात है कि सरकार ने इस बात को तो महसूस किया। वर्तमान में लोकल बोडीज को जो अधिकार हैं उसकी जगह रेवेन्यू बोर्ड को तो यह अधिकार दिये हैं अगर उस जगह हाई कोर्ट कर दिया जाता तो अधिक उचित होता।

तीसरी बात प्राइवेट कार्स को टैक्स करने की बात है। प्राइवेट कार्स को टैक्स करने के बास्ते में यह निवेदन करूंगा कि इसका सरकार को पूरा हक है कि प्राइवेट कार्स को टैक्स करे। दस से पन्द्रह रूपया कर दे तो कोई बड़ी बात नहीं। हमको यह देखना है कि जहां हम प्राइवेट कार्स पर अधिक टैक्स लेना चाहते हैं वहां हम इनके लिये क्या सुविधायें प्रदान करते हैं। टैक्सेशन का जो उसूल है वह इस नीयत से लिया जाता है कि हम अमुक अमुक सुविधायें देंगे। सरकार की तरफ से यह जवाब मिलता है कि हम इसके लिये बढ़िया बढ़िया सडकें बना रहे हैं। आपकी बढ़िया सड़क का नमूना मैं यहीं का बताऊंगा। आपके जौहरी बाजार के अन्दर एक सप्ताह पहले नई सड़क बनी है उसका यदि आप मुआयना करेंगे तो आपको पता चलेगा कि पहले जितने गड्ढे थे उससे अधिक गड्ढे आज आपको मिलेंगे। इसके अलावा आपके यहां ट्राफिक कन्ट्रोल का यह हाल है बेचारे कार ओनर्स को दुर्घटना ग्रस्त होना पड़ता है। मैं यह समझता हूं कि ट्राफिक कन्ट्रोल की जो अव्यवस्था आज राजस्थान में है, उतनी भारत के किसी भी हिस्से में नहीं होगी। यहां की साइकिलों को देखिये कोई साइकिल पर लाइट लगाता नहीं। ऐसी सूरत में सरकार द्वारा यह कहना कि हम सारी सुविधायें प्रदान करते हैं दस रूपया प्रति सीट से बढाकर बारह रूपया कर दिया मैं इसको बहुत अनुचित बात मानकर चलता हूं। पहले आप अपने घर को सुधारिये, जब घर सुधर जाता है उसके बाद टैक्स बढ़ाने की बात है तो उसको हम सहर्ष स्वीकार करने के लिये तैयार हैं।

एक बात इसके अन्दर पिकअप्स के बारे में भी कही गई उसके बारे में मैं यह निवेदन करूंगा कि इस बात पर बहुत विचार की आवश्यकता है। क्योंकि जिस प्रकार की पक्षपातपूर्ण नीति हमारी वर्तमान सरकार आजतक अपनाये हुए है, जिस प्रकार की पक्षपात की भावनाओं से परमिट देने के अन्दर सरकार नेक ार्यवाही की है····

घंटी

[श्री मानसिंह महार]

उपाध्यक्ष महोदय, मैं खत्म ही कर रहा हूं और मैं इसी बिल पर ही बोल रहा हूं।

श्री उपाध्यक्ष—आप इसके स्कोप से बाहर जा रहे हैं।

श्री मानसिंह महार—(जारी रखते हुए) उपाध्यक्ष महोदय, इस बिल में है, मैं आप कहें तो पढ़कर सुनाता हूं।

पिकअप्स के बारे में मैं यह निवेदन करूंगा कि सरकार की जो आज तक पक्षपातपूर्ण नीति रही, मोटर गाड़ियों के परमिट देने के अन्दर खुले आम जिस प्रकार परमिट मेगनेट्स ने हजार दो हजार रूपये एक एक परमिट पर लिये और एक एक आदमी ने सौ सौ गाड़ियों का परमिट ले रखा है यदि यही पिकअप्स के बारे में रहेगा तो यही समस्या रहेगी। या तो कुछ हमारे मंत्री जी या सत्ताधारियों के निकटस्थ लोगों को इससे सहूलियतें मिल सकती हैं या परमिट मेगनेट्स को या जो एक्जेम्शन मेगनेट्स बन जायेंगे कुछ उनसे ले देकर उनको एक्जेम्ट कर सकते हैं। ऐसी सूरत में अवशिष्ट आदमी होगें जिनको सही जरूरत होगी उनको एक्जेम्शन वगैरह नहीं मिलेगा।

ऐसी सूरत में उपाध्यक्ष महोदय, मैं सरकार से निवेदन करूंगा कि यह बिल जितना छोटा है उतना ही खोटा है। इसको सिलेक्ट कमेटी में भेज दिया जावेगा तो इस पर विचार होकर सदन के समक्ष आवेगा, तो यह अच्छी बात होगी। और हम आशा करेंगे कि ऐसे भी कई क्लाजेज इसमें हम डालेंगे जिससे मन्त्रीजी को कई तरह का लाभ पहुँचेगा।

इसके अलावा एक बात जरूर कहूंगा कि हमारे ट्रान्सपोर्ट मिनिस्टर महोदय ने एक बहुत अच्छी प्रणाली अपनाई है। उन्होंने इस अमेन्डमेन्ट बिल को मूव करते हुए कम से कम सदन का इतना ध्यान रक्खा कि इसमें जो खास २ बातें हैं उनको समझाने की कोशिश की है। यह तो राजस्थान विधान सभा है जिसमें ९९ परसेन्ट तो कानून ऐसे पास होते हैं कि जिनके बारे में १६० सदस्यों में से कम से कम १०० तो जानते भी नहीं कि क्या हुआ और क्या नही हुआ ? तो ऐसी स्थिति में उनको भी जानकारी देने के लिए यह जो खास बातों को समझाने की कोशिश इन्होंने करके एक नई परम्परा डाली है, इसके लिए वे बधाई के पात्र हैं। पर साथ ही यह भी आशा करूंगा कि इस अच्छी परम्परा को डालने के साथ साथ वे इस अच्छे सुझाव को भी मंजूर करेंगे और सदन को बतायेंगे कि उनका हृदय बहुत विशाल है। वे ऐसी संकुचित विचारधारा के नहीं हैं जैसे हम दूसरों पर आरोप लगाते हैं, जाटवाद का। पर ये इससे ऊंचे हैं यह हम महसूस करेंगे अगर वे हमारे वाजिब सुझाव को मानेंगे। उनको यह संकुचित विचारधारा छोड़ देनी चाहिये कि क्योंकि यह संशोधन किसी राजपूत की तरफ से आया है इसलिए नामन्जूर कर दें। इस बात को ध्यान में रख कर भी इस छोटी सी बात को भी वे अगर नहीं मानेंगे तो हम समझेंगे कि यह संकुचित विचारधारा अभी चल रही है, और वह जाटवाद अभी बढ़ रहा है।

[श्री मानसिंह महार]

तो ये चन्द बातें कह कर मैं माननीय मन्त्रीजी से और सदन के सदस्यों से निवेदन करते हुए यह आशा करूंगा कि वे इसे मन्जूर कर लेंगे। सदन के सदस्य तो ज्यादातर इसके फेवर में ही हैं, पर उनके सिर पर तो व्हिप का कोड़ा है जिसकी वजह से सरकार जो चाहती है उनसे करा लेती है इस लिये माननीय मन्त्री महोदय से ही खास तौर से यह निवेदन करूंगा कि वे इस छोटी सी वाजिब मांग को मन्जूर करके सिलेक्ट कमेटी को इसे सौंप देंगे जो कि थोड़े दिनों में इसे अच्छे रूप में सदन के अन्दर प्रस्तुत करेगी, यह मेरी प्रार्थना है।

श्री भैरूसिंह (१६) (यातायात मन्त्री को सम्बोधित करते हुए)—सिलेक्ट कमेटी के पास भेजने की इच्छा हो तो नहीं कहूं। (कोई "हां", "ना" में उत्तर न मिलने पर) माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस संशोधन विधेयक के सम्बन्ध में यह प्रस्ताव करता हूँ कि इस विधेयक को जनमत जानने के हेतु प्रसारित किया जावे। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अभी इस सदन में........

श्री उपाध्यक्ष—कोई ऐसा अमेन्डमेंट तो आपका है नहीं।

श्री भैरूसिंह—ये (एक सदस्य को बताते हुए) ला रहे हैं। मूव तो मैंने कर दिया। टैक्नीकली आपके पास आ रहा है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अभी माननीय........

श्री उपाध्यक्ष—उनके सपोर्ट में बोल सकते हैं।

श्री भैरूसिंह—मेरा मत है जनता की राय जानने के हेतु प्रसारित करने का और उनका संशोधन है प्रवर समिति को सुपुर्द करने का, इसलिए उसको सपोर्ट करने का तो प्रश्न ही नहीं पैदा होता। यह अलग से विचारधारा है इसलिये इसको प्रस्तुत करना चाहता हूँ।

माननीय उपाध्यक्ष, जहां तक इस बिल को प्रवर समिति के सुपुर्द करने का प्रश्न है, मैं समझता हूं कि यदि इस टैक्स लगाये जाने वाली व्यवस्था में किसी खास प्रकार के मामलों पर कर लगाना उचित समझा गया होता तो यह ती चीज उचित होती कि हम इसे प्रवर समिति के सुपुर्द करके इसकी राय भी इस सम्बन्ध में प्राप्त कर लेते। लेकिन इस विधेयक के द्वारा हम जनता के ऊपर जो आज तक इस एक्ट के मातहत एक प्रकार के टैक्स थे उनमें हम वृद्धि कर रहे हैं। जहां तक टैक्स जो अभी तक देते आ रहे थे और देने में जो असुविधा थी, लोगों को टैक्स देने के सम्बन्ध में यदि हम इस प्रकार की ऐसी व्यवस्था नहीं करें कि वे लोग समय पर टैक्स लेकर जमा करा दें और वह उस समय तक न हो जब तक हम पैनल्टी की व्यवस्था न करें। मैं समझता हूँ कि मेरी ऐसी राय है टैक्स इम्पोज करने के बाद यदि टैक्स की वसूली में गड़बड़ी होती हो और उसको दूर करने के सम्बन्ध में हम कोई व्यवस्था करें तो ऐसी व्यवस्था उचित होगी। लेकिन यहां यह प्रश्न आता है कि यह टैक्स मोटर मालिकों पर पड़ेगा या उनमें बैठने वालों पर पड़ेगा यह सोचना पड़ेगा। जहां तक स्टेज कैरीजेज का प्रश्न आता है, इसमें यह व्यवस्था की जा रही है कि हम २०) फी सीट के

[श्री भैरूंसिंह]

हिसाब से टैक्स देते आ रहे हैं वह बढ़ाकर २५) कर दिया जावे। माननीय उपाध्यक्ष, यह कहने को बड़ा सीधा है और सरल है कि पांच रुपये का टैक्स बढ़ाया है। एक छोटा सा फैक्ट हमारे सामने आता है पर इसको विश्लेषण करके देखें तो पता लगेगा कि यह पांच रुपयों का टैक्स एक गाडी पर पर नहीं गाडी की एक सीट पर पड़ रहा है। जहां एक सीट का टैक्स बढ़ता है वहां एक गाडी पर टैक्स बढ़ा हुआ सौ रुपये से भी ज्यादा हो सकता है। कम भी हो सकता है पर अधिकांश गाडियों में यह टैक्स सौ से कम नहीं होगा। तो जहां हम सौ से अधिक के टैक्स इम्पोज करें तो आज यह बात मानने लायक नहीं कि वह टैक्स मोटर के मालिक को देना पड़ेगा। यह हो सकता है कि जो टैक्स जमा होगा वह उस मालिक के मार्फत होगा पर वह लिया किससे जायगा ? देने वाली जनता ही होगी जिस पर आज तक इस प्रकार के टैक्स लगते आ रहे हैं। मैं समझता हूं माननीय मन्त्री महोदय उत्तर के रूप में जो कहेंगे वह सीधा यही होगा कि हमने किराये के सम्बन्ध में रेट्स निर्धारित कर रक्खी हैं पर आज तक की जो प्रैक्टिस रही है वह व्यवस्था ऐसी है कि जहां हम लोगों से टैक्स वसूल करते हैं तो वह इन्डाइरेक्ट टैक्स वसूल करते हैं। वहां एक बात की दलील अक्सर दिया करते हैं कि हम लोगों से किसी प्रकार का टैक्स नहीं लेते हैं और डाइरेक्ट वह नहीं लेते हैं यह बात सही भी है पर बाद में जाकर रूल्स में अमेन्डमेन्ट होते हैं, रेट्स में अमेन्डमेंट्स आते हैं और उनके द्वारा जनता से जो किराया लिया जाता है उसमें वृद्धि करते हैं। तो यह किराये में वृद्धि इस तरह से की जाती है। जनता से किराये के रूप में बढ़े हुए किराये के रूप में रुपया लेते हैं वह रुपया चाहे मोटर के मालिक अपने पास से उस सारे किराये को जमा करावें या सरकार सीधा न ले पर वास्तव में चीज यही होगी कि इस तरह से जनता से पैसा लिया गया और इस रूप में यह किराया उनका बढ़ेगा और अन्त में जाकर बोझा उन्हीं पर पड़ेगा।

अब ऐसी स्थिति है या नहीं कि ये टैक्स जनता दे सकती है या नहीं, यह सोचना पड़ेगा। जो उद्देश्य और कारण इस संशोधन विधेयक के दिये गये हैं उसमें कहा गया है कि मोटर वैहिकल टैक्सेशन कमीशन की सिफारिश भी ऐसी है। उसकी सिफारिश ऐसी हो सकती है। भारत में एक प्रकार के कानून टैक्सेशन के हों, एक प्रकार की व्यवस्था हो, एक प्रकार की किराये की दरें हों और सारी बातें एक ही प्रकार की हों इस प्रकार की व्यवस्था के लिये यह टैक्सेशन इम्प्रूवमेंट कमीशन सुझाव प्रस्तुत कर सकता है पर हमें उनको अपने प्रान्त की स्थिति को देखते हुए किस तरह से मान्यता देनी है यह बात हमें देखनी है। यह काम हमारे अपने देखने का है, न कि टैक्सेशन कमीशन का। इस पर अलग से विचार करना होगा। अगर हम दूसरे प्रान्तों की और अपने प्रान्त की लोगों की आर्थिक स्थिति के सम्बन्ध में थोड़ा बहुत भी ज्ञान रखते हैं और इसके साथ मोटर वैहिकल का ज्ञान रखते हैं और जिस प्रकार की सड़कों की यहां दुर्दशा है उसका भी ज्ञान रखते हैं तो इन तीन सूरतों में यह कभी भी वान्छनीय नहीं होगा कि इस प्रकार का २० से २५ तक टैक्स की वृद्धि कर दें।

[श्री भैरूं सिंह]

इसलिये मैं उपाध्यक्ष महोदय, यह निवेदन करूंगा कि वह इन्डाइरेक्ट टैक्सेशन है जरूर पर, इस से जनता डाइरेक्ट हिट होगी इसलिये इस बिल को जनमत के लिये प्रसारित किया जावे कि............

श्री जवान सिंह:—Mr. Deputy Speaker, the House is not in quorum.

श्री भैरूं सिंह;—अब कल पर कर दिया जावे साहब। समय भी हो चुका है।

(गण-पूरक घंटी के पश्चात)

श्री उपाध्यक्ष:—अभी नहीं हुआ है समय। Yes, continue.

श्री भैंरूं सिंह:—(वि० सं० १६)माननीय उपाध्यक्ष, दूसरा पहलू जो इस संशोधन विधेयक का है वह पहलू है डाइरेक्टर ऑफ ट्रान्सपोर्ट के नये नाम दिये जाने का। आज तक हमने अपने इन कानूनों में व्यवस्था कर रखी थी ट्रान्सपोर्ट कमिश्नर के पद की, उसको अब हम इस कानून के द्वारा डाइरेक्टर आफ ट्रान्सपोर्ट कर रहे हैं। माननीय मंत्रीजी ने हमको जो इस विधेयक के संबंध में थोड़ा बहुत भी परिचय दिया उस परिचय में सिवाय शब्दों का जिस तरह का ट्रान्सलेशन होता है, उस प्रकार की बात इस संशोधन के विषय में बताई। मैं समझता हूँ कि मूल में यह बात नहीं है। कमिश्नर ऑफ ट्रान्सपोर्टके स्थान पर डाइरेक्टर ऑफ ट्रान्सपोर्ट हम यदि करते हैं तो देखना यह है कि दूसरी जगह इस प्रकार की व्यवस्था है या नहीं, या हम यहीं इस प्रकार की व्यवस्था करना चाहते हैं और कमिश्नरका नाम हम डाइरेक्टर रखना चाहते हैं। मैं माननीय उपाध्यक्ष, यह कहना चाहता हूं कि केवल मात्र यह नाम के बदलने की भावना इसमें बिल्कुल नहीं है, बल्कि भावना है इस पद पर एक विशेष व्यक्ति को बनाये रखने की। हमने इस सदन में कई दफे चर्चाऐं सुनी हैं। इस सदन में इस बात की चर्चा हुई है कि कई आफिसर्स के, कई हैड्स ऑफ दी डिपार्टमेंट के केवल इस लिए ट्रान्सफर नहीं किये जाते हैं कि उनसे कुछ लोगों को कई प्रकार के स्वार्थ सिद्ध होते हैं। उस व्यक्ति को उस काम पर किसी प्रकार से बनाये रखते हैं। इस प्रकार की व्यवस्था को भी कई कानूनों के रूप में मूर्त रूप दिया जाता है। इसी प्रकार की व्यवस्था के लिए आज यह संशोधन हमारे समक्ष है। माननीय उपाध्यक्ष, यदि मैं कहूं कि वर्तमान ट्रान्सपोर्ट कमिश्नर या उनको यह कहे डाइरेक्टर आफ ट्रान्सपोर्ट, वह आज जिस के ऊपर कार्य कर रहे हैं वह कई वर्षों से कर रहे हैं। मैं यह नहीं कहता कि उनका काम अच्छा है या बुरा, लेकिन यह व्यवस्था, मैं कहूँगा, उनको उस पद पर बनाये रखने की चेष्टा की जा रही है। इस नाम को बदल कर वह रखना उचित नहीं है। माननीय उपाध्यक्ष, वे आर. ए. एस. की श्रेणी के व्यक्ति हैं और कमिश्नर के पद पर का काम करने के लिए जो व्यक्ति हो वह आई. ए. एस. को ग्रेड का होना चाहिये जो हम नहीं कह सकते हैं कि नहीं मिल सकता है। उस सूरत में हम आर. ए. एस. ऑफिसर को कैसे उसी स्थान पर बनाये रखें

[श्री भैरूंसिंह]

इसके लिए यह व्यवस्था कर रहे हैं कि कमिश्नर का नाम बदल दिया जाय डाइरेक्टर का नाम रख दिया जाय ताकि डाइरेक्टर आर. ए. एस. की ग्रेड का आदमी मिलता है वह उस पद पर बना रहे। इसको हम डाइरेक्टर और कमिश्नर शब्दों की हेर फेर की बात है इस तरह की बात न कह कर स्पष्ट कहें कि एक व्यक्ति को इस ओहदे पर लागू करने के लिये हम यह व्यवस्था करने जा रहे हैं। मैं समझता हूं कि सरविसेज के संबंध में इस प्रकार की व्यवस्था एक रुप से किसी व्यक्ति को लाभ पहुँचाने के लिए जो होता है वह सरविसेज में डिस्सेटिस्फेक्शन बनाने वाली बात होगी।

लेकिन केवलमात्र यह कहना कि प्राइवेट केरियर्स के बारे में जो डेसपरिटी है उसको दूर करने के बारे में व्यवस्था की गई है। टेलर्स के बारे में व्यवस्था की गई है। एग्रीक्लचर परपजेज के लिए जो गाड़ियों को टैक्स से एक्जेम्प्ट करने की बात कही गई है। मैं समझता हूं कि जो व्यवस्था इस संशोधन के द्वारा की गई है। जो गाडियां एग्रिकलचर परपजेज के लिए काम में आती हैं उनके लिए इस बात को कहकर कि टैक्सेज से एक्जम्प्ट करने की यह जो व्यवस्था अभी इसमें है वह व्यवस्था उचित नहीं है क्योंकि कई बातें ऐसी अनुभव में आई हैं कि एग्रिकलचर के नाम से गाड़ियों का इस्तेमाल दूसरे काम के लिए किया जाता है। यह बात करना उचित लगता है। वह केवल एग्रिकलचर परपजेज के लिए ही काम में आती हों ऐसी बात नहीं है। वह अन्य काम में भी ऐसी गाड़ियां आती हैं। ऐसा अनुभव में आया है। इस क्लाज से सब को इत्तिफाक होगा। लेकिन मैं चाहता हूं कि आयन्दा जिन गाडियों को एग्रिकलचर के नाम से टैक्स से विमुक्त किया जायगा उन गाडियों के बारे में इस सदन को जानकारी दी जायगी। मैं समझता हूं कि यह चीज उचित है। लेकिन दूसरा पहलू जो संशोधन हमारे समक्ष में आया है उसमें पिक अप्स और कार्स की डेस्पेरिटी के बारे में है। वह ऐसा कुछ संशोधन है कि जिस संशोधन को मैं टैक्स बढ़ाने वाला संशोधन समझता हूं व टैक्स लागू करने का मैं समझता हूँ। पिक अप्स पर आप लागू करना चाहते हैं और कार्स पर टैक्स बढ़ाते हैं। टैक्स बढ़ाने में और टैक्स लागू करने की इन सारी सूरतों के अन्दर जिससे टैक्स वसूल किया जाता हैं उनकी क्या ग्रीवेन्सेज हो सकती हैं टैक्स के देने में, उनकी क्या ग्रीवेन्सेज होजाती है टैक्स वसूल करने के कार्य में तो जनता की ग्रीवेन्सेज को सुनकर कल इस बिल को लायें। उनकी तकलीफों को सुनकर यदि कोई संशोधन लाकर मूल कानूनों में परिवर्तन करें तो ज्यादा उचित होगा। इसलिए मैं निवेदन करूंगा कि मैने जो संशोधन अपना प्रस्तुत किया है कि इस बिल को जनता की राय जानने के लिए प्रसारित किया जाय यह सदन उस संशोधन को स्वीकार करे, और स्वयं मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि उसे किसी प्रकार के कानून को, जिसमें टैक्स लगाने की व्यवस्था कर रहे हैं, टैक्स बढ़ाने की व्यवस्था कर रहे हैं, ऐसे कानूनों में हम जनता की राय अवश्य जानें और जनता की जैसी राय हो उसी प्रकार से हम टैक्स लगाने की व्यवस्था करें तो वह उचित होगा।

श्री रामनिवास मिर्धा (यातायात मंत्री)—माननीय उपाध्यक्ष, सदन के सामने दो प्रस्ताव हैं एक तो यह है कि इस विधेयक को सिलेक्ट कमेटी के सामने भेजा जाय और दूसरा यह है कि इस

[श्री रामनिवास मिर्धा]

बिल को पब्लिश किया जावे पब्लिक ओपीनियन को जानने के लिए। दोनों प्रस्तावों का मैं विरोध करता हूं, और जो कुछ बातें कहीं गई हैं माननीय सदस्यों के द्वारा, उनका संक्षेप में उत्तर देने की कोशिश करूंगा।

जो सबसे पहली बात कही गई है कि इस बिल को सिलेक्ट कमेटी में इसलिए भेजना चाहिए कि सिलेक्ट कमेटी द्वारा और भी जो खामियाँ हैं इस बिल में व मोटर वेहीकल्स एक्ट, दूसरे मोटर वेहीकल्स के कानून हैं, उन पर विचार किया जायगा और सिलेक्ट कमेटी सब खामियों को दूर करके वापिस विधेयक को भेजेगी तो कुछ उसमें अच्छे सुझाव होंगे। इसके लिए, माननीय उपाध्यक्ष, मैं यह कहना चाहता हूँ कि सिलेक्ट कमेटी इस तरह से यह विधेयक भेजेगी तो सिलेक्ट कमेटी के स्कोप के बाहर होगा कि तमाम जो एक्ट्स हैं, जो मूल एक्ट्स हैं और दूसरे संबंधित कानून हैं उन सबके बारे में कोई बिल्कुल हर बात को, हर पहलू को, सब कानूनों के जो प्रोवीजन्स हैं उनको, एक्जामिन करके, कोई ऐसा नया विधेयक लायें कि जिसमें सब बातों का जिक्र हो। वह सिलेक्ट कमेटी के स्कोप के कतई बाहर है। वह मकसद माननीय सदस्यों का सिलेक्ट कमेटी में भेजने से पूरा नहीं हो सकता है।

दूसरी बात जिस पर आपत्ति उठाई गई वह यह है कि जो टैक्स मोटर वाले देर से अदा करते हैं उन पर इस विधेयक के द्वारा एक पेनाल्टी डाली गई है। मुझे ताज्जुब है कि माननीय सदस्य मैं इस बात को कहा कि पेनाल्टी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जो टैक्स किसी पर डयू है तो सरकार आशा करती है, और, मैं समझता हूँ, सदन भी उस बात को मन्जूर करेगा कि जो टैक्स जिसके ऊपर डयू है उसकी समय पर भुगतान की जाय और जमा कराया जावे, ऐसा पाया गया है कि वे समय पर टैक्स जमा नहीं कराते हैं और सरकार के पास में दफा ११ के अन्दर प्रोसीक्यूशन उसका किया जाय जो कि एक बड़ा लम्बा प्रोसेस है और इससे मोटर मालिकों और सरकार दोनों को ही परेशानी होती है, और कोई चारा नहीं है। इस परेशानी को दूर करने के लिए व टैक्स की समय पर वसूली करने के लिए यह संशोधन रखा गया है कि पहले सप्ताह में कोई टैक्स नहीं जमा कराये तो दो रुपये और उसके बाद में ५ रु. प्रति सप्ताह के हिसाब से पेनाल्टी रखी जाय। तो मैं समझता हूं कि वह एक बहुत वाजिब चीज है जो इस विधेयक द्वारा की जा रही है।

दूसरी बात कही गई कि जो अपील्स रखी गई हैं वे बोर्ड आफ रेवेन्यू के बजाय हाईकोर्ट के पास रखनी चाहिए। उसके लिये मैं यह कहूंगा कि यह तो महज एक टैक्सेशन का मामला है। इसमें कोई ज्यूडिशियल के विषय में सैद्धान्तिक निर्णय नहीं होने जा रहा है और हाईकोर्ट को क्यों सुपर्द किये जाय कि वे उनको सुनें ? ये तो मामूली टैक्सेशन के मामले हैं। इस विषय में सरकार के पास अधिकार थे। और अर्से से सोच रहे थे कि इनको किसी एक ज्युडिशियल बोडी के पास भेज दिया जाय और इसीलिए सरकार ये अधिकार अपने पास से हटा कर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू को दे दिये। हाईकोर्ट के बजाय रेवेन्यू बोर्ड को ये अधिकार देने में अधिक सुविधा रह सकती है और मैं समझता हूं कि इसमें कोई आनाकानी नहीं होनी चाहिए।

[श्री रामनिवास मिर्धा]

एक बात यह बताई गई कि प्राइवेट कारों पर जो टैक्स लिया जाता है, १०) से १२) जो बढ़ाया गया और ज्यादा बढ़ाया जाय लेकिन यह भी कहा गया कि वह रुपया लिया जाय तो मोटर मालिकों को क्या सुविधा दी जाती है। अगर यह हम हर एक टैक्स के बारे में सोचें कि उन व्यक्तियों को क्या सुविधा दी गई जिनसे हम टैक्स वसूल करते हैं, तो यह एक विचित्र बात हो जायगी। मैं निवेदन करूं कि टैक्स वसूल किये हैं, सुविधायें अलग अलग महकमों से दी जाती हैं, सड़कों द्वारा और और साधनों द्वारा दी ही जाती हैं। मोटर मालिकों से जो टैक्स वसूल किया जाता है वह सब दूसरे के टैक्सेज भी जनरल रेवेन्यू में जाते हैं और यह प्रश्न किया जाय कि चूंकि मोटर मालिकों से टैक्स वसूल करते हैं इसलिए उनको फायदे का प्रबन्ध करें तो यह बात उचित नहीं होगी।

पिक अप की बात उठायी गई। परमिट की बात उठायी गई। मैं समझता हूं कि उनके दिमाग में कोई गलतफहमी पैदा हो गई है। परमिट का तो इस डिबेट से कोई सम्बन्ध ही नहीं है। महज पिक अप, चूंकि पिक अप विशेष प्रकार की होती है, उसका कहीं मोटर व्हिकल्स एक्ट में जिक्र नहीं था इसलिए नई रेट्स निर्धारित की हैं।

एक माननीय सदस्य ने यह प्रस्ताव किया कि इस विधेयक को जनता की राय जानने के लिए प्रसारित किया जाय। उन्होंने दो चार बातें उठाई। उनके बारे में भी मैं जवाब देना चाहूंगा। उन्होंने यह बात कही कि २०) के २५) दिखते तो थोड़े हैं सीट के हिसाब से पर मोटर बस और आंका जाय तो १००) विहिकल पर आवेगा। माननीय उपाध्यक्ष १००) भी अगर एक विहिल पर सीट आये तो कोई मोटर मालिक देने को तैयार नहीं होगा। ज्यों २ देश की हालत में सुधार होता जाता है, तरक्की होती जाती है, यह उद्योग भी पनप रहा है। १००) साल का किया है वह ठीक है और विरोध नहीं होना चाहिए। यह भी कहा गया कि टेक्सों का भार डाला जायगा, वह जनता पर पड़ेगा न कि मोटर मालिकों पर। मैं यह साफ कर दूं कि सरकार की यह इच्छा नहीं है कि इस टैक्स से जो मोटर मालिकों पर भार पड़े वह जनता से वसूल किया जाय। जो व्यक्ति सफर करते हैं मोटरों से उनके लिए टिकटों की दरें निर्धारित की हुई हैं और वह बिल्कुल इससे जुदा चीज है और इस एक्ट से जो संशोधन किया जा रहा है उससे उसका कोई सम्बन्ध नहीं है। यह जो भय है माननीय सदस्य को वह बिल्कुल निराधार है कि इसका भार पड़ेगा। वह मोटर मालिकों पर न पड़ कर आम जनता पर पड़ेगा। यह केवल एक भ्रम है। १००) के साथ साथ एक बात और बता दूं उपाध्यक्ष महोदय, कि टैक्सेशन इन्क्वायरी कमेटी ने जो रेट निर्धारित की है वह है ७६) पर सीट, कितना ही विचार करें, देश की पिछड़ी हुई हालत से, टैक्सेशन कमीशन ने जो रेट्स बताई हैं उनके बनिस्बत तो हम २० से २५ ही कर रहे हैं। मोटर टैक्सेशन इन्क्वायरी कमीशन ने बताया कि कई रियासतों में वसूल कर रहे हैं, ट्रावन्कोर कोचीन और मद्रास में १२५) प्रति सीट वसूल किये जाते हैं। यदि इस पर विचार करें कि कौन कौन स्टेट्स वैसा करती हैं और टैक्सेशन इन्क्वायरी कमीशन ने जो राय दी है तो वह उचित मालूम पड़ताहै जो रेटस बढ़ाई गई हैं वह मोटर मालिक न दें। ट्रांसपोर्ट कमिश्नर का डेजिग्नेशन बढ़ता जा रहा है उसके बारे में भी कहा गया। मैं यह निवेदन करूंगा कि यह हेरफेर जो

[श्री रामनिवास मिर्धा]

किये जा रहे हैं, जो भारतवर्ष की दूसरी रियासतें हैं उनमें भी किये जा रहे हैं, और सब में एक युनिफार्मिटी होनी चाहिए इसी दृष्टि से यहां भी किये गये हैं। कमिश्नर के नाम से आई. ए. एस. को लाना चाहते है, यह स्थिति नहीं है। हमारे राज्य में कई ऐसी पोस्ट्स हैं जहां कि कमिश्नर्स काम करते हैं और आर. ए. एस ओफिसर्स हैं। किसी अमुक व्यक्ति के लिए आई. ए. एस और आर. ए. एस की पोस्टों को बीच में लाने की बात नहीं पड़ती है। मैं आशा करता हूँ कि इतना कहने के बाद माननीय सदस्य जिन्होंने प्रस्ताव रखा है इसको सिलेक्ट कमेटी में भेजने का और आम जनता की राय जानने के लिए इसको प्रसारित करने के सम्बन्ध में वे उनको वापिस ले लेंगे और इस विधेयक को पारित करेंगे।

श्री उपाध्यक्ष—श्री शम्भूसिंह।

श्री शम्भूसिंह—आशा तो यह रखता था कि इस सामान्य प्रस्ताव को मन्त्री महोदय स्वीकार कर लेंगे और इसी इच्छा से यह प्रस्ताव किया था कि इसको प्रवर समिति के सुपुर्द किया जाय। जिस कानून द्वारा टैक्सेशन का भार जनता पर पड़ता हो और उनको रिवाइज करने की आवश्यकता पड़े तो उसके लिए आनाकानी नहीं करनी चाहिए और संभव था कि एक प्रवर समिति बनाई जाती और वह ठीक तरह से इस पर विचार करती। सिलेक्ट कमेटी में विचार हो सकता है उस पर, आपस में बैठ करके और इस प्रकार का विचार सदन में नहीं हो सकता है। यदि यह मेरा प्रस्ताव स्वीकार नहीं कर लिया जाता तो मैं यह अर्ज करूंगा कि सदन के सदस्य को मौका नहीं दिया जा रहा है कि वे आपसी विचार विमर्श से इस कानून को उस रूप में सदन में लाने का प्रयत्न करते, जिस सुन्दर रूप में इसकी आवश्यकता थी। तो, मैं तो यह निवेदन करूंगा कि मन्त्रीमहोदय मेरे प्रस्ताव को स्वीकार कर लें, परन्तु उन्होंने अब इस निस्बत अनिच्छा प्रकट की है तो मैं यह चाहूँगा कि सदन की सम्मति जानने के वास्ते उपाध्यक्ष महोदय, इसको सदन के सामने प्रस्तुत करें और इस पर सदन की सम्मति ले ली जावे।

श्री मानसिंह महार—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरा जो प्रस्ताव है कि इस बिल को सिलेक्ट कमेटी के सिपुर्द किया जाय इसको माननीय मंत्रीजी ने अस्वीकार करके और जनतंत्र पर बड़ा भारी आघात पहुँचाया है। मैं उनसे यह आशा करता था कि मेरी मार्मिक अपील के बाद उनकी अक्ल फिर दुरुस्त हो जावेगी। लेकिन यह हमारा दुर्भाग्य है कि जैसा हमारा अब तक तजुर्बा चला आया है कि उन कुर्सियों पर बैठने के बाद हमारे मंत्री महोदय का जिद्द का माद्दा कुछ अधिक हो गया है वो लगे शायद। उपाध्यक्षजी, मैं यह समझता हूँ कि इस जिद्द के अन्दर बुद्धिमानी से कुछ परे से हो गये हैं। ऐसा महसूस होने लगता है कि जा बेजा वे अपनी मेजोरिटी के बल पर करना चाहते हैं। उनके समक्ष किसी प्रकार का तर्क प्रस्तुत करना बेकार सा हो जाता है। यह अब तक हमारा तजुर्बा रहा—उपाध्यक्ष महोदय, तर्क जो प्रस्तुत करते हैं वे इस प्रकार होते हैं

[श्री मानसिंह महार]

हैं कि जिस प्रकार उनका दीवारों से सामना कर रहे हैं। इसलिए ऐसी सूरत में उनके सामने और तर्क प्रस्तुत करूंगा आशा नहीं कर सकता । तो उनसे आशा नहीं । इसलिये मैं सदन का अधिक समय लेकर उनके दिमाग में इस बात को जमाने के लिये फिर कहूँ वही बात जो उन्होंने जवाब दिया उससे मुझे असंतोष है, इसको उनके दिमाग में डालने की कोशिश करूं, इसको नहीं कहता हुआ मैं यह समझता हूँ कि मेरा प्रस्ताव वापिस नहीं लेकर यह आशा करूं कि सदन मेरे प्रस्ताव को पास करके मंत्रीजी को यह बतावे कि सदन के सदस्य शायद अंधेरे में उतने नहीं हैं जितना अंधेरा मंत्रीजी के दिमाग में है। इसलिये मैं सदन के सदस्यों से प्रार्थना करूंगा कि मेरा जो प्रस्ताव इसे सिलेक्ट कमेटी को सौंपने का है, उसको मंजूर करेंगे ।

श्री भैरुसिंह—(१६) माननीय उपाध्यक्ष, मेरे संशोधन के विषय में मैंने जिस प्रकार की शंका जाहिर की थी, मैं समझता हूं, माननीय मंत्रीजी ने एक शंका का पूर्णरूप से तो नहीं लेकिन आंशिक रूप से निवारण किया है उन्होंने यह बताया कि जो हम स्टेट गेरेज के ऊपर टैक्स, बढ़ा रहे हैं वह टैक्स हालांकि प्रश्न अलग है अलग कहा गया और उन्होंने साइड टेक करने की कोशिश की लेकिन यह जरुर कहा किजो कुछ रेट्स के रूप में टैक्स की पूर्ति की जा सकती है उसमें कोई वृद्धि नहीं होगी, मैं केवल इतना इस आश्वासन पर कि मोटर गाडियों पर इस प्रकार का टैक्स बढ रहा है उसका जनता परबिल्कुल असर नहीं पड़ेगा यह उनकी इच्छा हैं उसको इस रूप में मानकर मैं चाहूंगा कि सदन का समय ज्यादा न लेकर इसको वापिस लेलूं मैं आशा करता हूं सदन मुझे मेरा अमेन्डमेन्ट वापस लेने की आज्ञा प्रदान करेगा।

श्री उपाध्यक्ष—क्या सदन की अनुमति है कि इन्हें संशोधन वापिस लेने दिया जाय ?

(स्वीकृत)

संशोधन वापिस लेने की अनुमति दी गई ।

श्री भैरुसिंह—उपाध्यक्ष महोदय, मैं अपना संशोधन वापिस लेता हूं ।

श्री उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है कि जो संशोधन श्री शंभू सिंह ने प्रस्तुत किया है वह स्वीकार किया जाय ?

(अस्वीकृत)

संशोधन गिर गया ।

(विराम)

[श्री अध्यक्ष]

प्रश्न यह है कि जो संशोधन श्री मानसिंह महार ने प्रस्तुत किया है वह स्वीकार किया जाय।

(अस्वीकृत)

संशोधन अस्वीकार किया गया।

[विराम]

प्रश्न यह है कि राजस्थान मोटर विहिकल्स टैक्सेशन (अमेन्डमेन्ट) बिल विचारार्थ लिया जाय।

(स्वीकृत)

बिल विचारार्थ लिया जाय।

श्री **रामनिवास मिर्धा**—उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि यह विधेयक पारित किया जाय।

श्री **जवान सिंह**—जब तक उपाध्यक्ष महोदय सदन में आसन ग्रहण नहीं करें तब तक पारित करने का प्रस्ताव हो नहीं सकता।

श्री **उपाध्यक्ष**—इसके खंड २ पर श्री हरिकृष्ण व्यास का संशोधन है। खंड २ को क्लाज बाई क्लाज डिस्कस करने के लिये है, किन्तु वे गैर हाजिर हैं।

प्रश्न यह है कि खंड २ विधेयक का अंग बने।

[स्वीकृत]

खडं २ विधेयक में अंग रूप से जोड़ा जाय।

(विराम)

प्रश्न यह है कि खंड ३, ४, ५, और ६ विधेयक के अंग बने।

श्री **मानसिंह महार**—खण्ड ३ बहुत खतरनाक है, इसका हम विरोध करेंगे। ऐसे पोवर्स सरकार को कभी देंगे नहीं कि लोगों पर जुर्माना टिकाते जावें।

श्री **उपाध्यक्ष**—क्लाज ३ पर कुछ कहना चाहते हैं क्या ?

श्री **कस्तूरचंद जैन**—इस पर इनका कोई अमेन्डमेन्ट नहीं है, फिर कैसे बोल सकते हैं ?

श्री मानसिंह महार—माननीय उपाध्यक्षजी, इस बिल के खंड ३ का मैं विरोध करने के लिये खड़ा हुआहूं। जैसा कि मैंने पहले निवेदन किया है कि सरकारकी जो यह नीतिहै उपाध्यक्षजी, कि टैक्सी ओनर्स से जुर्माना एक्स्ट्रेक्ट किया जाय, यह कोई डेमोक्रेटिक प्रिन्सिपल नहीं है। आजके युगमें भी हम जुर्माना, तफावत वगैरा की बात करते हैं तो वह कोई शोभनीय बात नहीं है। सरकार के पास मूल एक्ट के आधार पर टैक्स वसूल करने की समुचित व्यवस्था मौजूद है। यह हम मान नहीं सकते कि मंत्रियों के बदलने से इस व्यवस्था में भी कुछ हेर फेर होती है। होसकता है कि नये मंत्रीजी के आने से कुछ सूझबूझ कुछ और तरह की हो गई हो, तो उस तरह की बात कही जाय, यह मान सकते हैं, लेकिन फिर भी सदनको तो यह देखना है कि क्या वाजिब है। और क्या गैर वाजिब है? सरकार ने इसमें प्रोविजन रखा है कि पहले इतने दिनों तक इतने रूपये जुर्माने के देने पडेंगे और इस के बाद इतने रूपये देने पड़ेंगे। यह प्रोग्रेसिव टैक्सेशन लगाया गया है उसको मैं कतई वाजिब नहीं समझता हूं। ओरिजनल एक्टकी धारा है उसके अनुसार यदि कोई टैक्स ऐसा देते हैं तो वैसा ही टैक्स दिया जाय यह बात यदि मानी जाय तो बहुत उचित है। राजस्थान में एग्रीकल्चरल इन्कम टैक्स लगा है उसमें भी जुर्माने की व्यवस्था थी! उसमें ठाकुर मदन सिंहजी दांता सरकार के खिलाफ है इसलिये उनके ऊपर जुर्माना इतना किया गया है कि राजस्थान में किसी भी जागीरदार पर उतना नहीं किया है। ऐसी सरकार से हम आशा करें कि नया अमेन्डमेन्ट लाकर सरकार हमारे साथ न्याय करेगी, यह आशा कतई नहीं करनी चाहिये। यह बात हमारी सरकार से बहुत दूर है। हम यह समझते हैं कि सरकार इस प्रकारका अमेन्डमेन्ट लाकर कुछ व्यक्ति विशेष पर ज्यादती कर सकती है या करने के लिये अमेन्डमेन्ट लाती है, इस प्रकार का जुर्माना मुझ जैसे आदमियों पर किया जायगा जो सरकार के विरोध में बोलते है और जो सरकार को सही रास्ते पर लाने कोशिश करते हैं,। मैं यह मानता हूं कि सरकार की हां में हां मिलाने वालों पर जुर्माना नहीं किया जायगा। इस सरकार ने कानूनी उलझन पैदा करना अपना कर्त्तव्य समझ रखा है ऐसा सूरत में हम इसे खतरनाक समझते हैं और वह खतरनाक ही होगा।

मैं सदन के उस तरफ बैठने वाले माननीय सदस्यों से भी अपील करूंगा कि यह हमारी न्यायोचित मांग है इस पर ध्यान दें, मन्त्रियों से भी आशा करूंगा कि वे अपने आपको सरकार में नत्थी हुआ न समझ लें, यह पद तो आज है, कल नहीं और मुमकिन है पांच वर्ष बाद वे इस तरफ बैठे हुये होंगे। पहले वे जयपुर स्टेट कौंसिल के काले कानूनों का विरोध किया करते थे और आज वे उसी प्रकार के काले कानून पास करवाते हैं, यह शर्म की बात है, जो व्यक्ति पहले और राय रखते थे और मन्त्री होने के साथ साथ उनकी राय भी बदल जाती है ऐसे मन्त्रियों पर कैसे विश्वास किया जा सकता है।....

एक माननीय सदस्य—अब उनको एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपीरियेंस हुआ है।

श्री मानसिंह महार—कहा गया कि एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपीरियेंस हुआ है। मैं कहता हूं कि राजस्थान में एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपीरियेंस जैसी कोई बात नहीं है। यह वही राजस्थान है जहां ३००० आदमी एक दिन में गिरफ्तार होते हैं, हिन्दुस्तान में ऐसा कहीं नहीं हुआ होगा। ऐसे

[श्री मानसिंह महार]

योग्य राजस्थान में इस प्रकार से छूट देते हैं, तो यह जिस तरह जानवरों को खेतों में चरने की छूट देते हैं उसी तरह से राजस्थान की जनता की छाती पर इनको चरने की छुट देना होगा।

इसलिये मैं इस सदन के माननीय सदस्यों से प्रार्थना करूंगा कि वे इसका विरोध करके, इसे गिराने की कोशिश करेंगे।

श्री चांदमल मेहता—माननीय उपाध्यक्ष, समय हो गया है।

श्री रामनिवास मिर्धा (यातायात मन्त्री)—अभी ८ नहीं बजे हैं, छोटा सा विधेयक है हम इसे पास करके ही उठेंगे।

राज श्री हिम्मत सिंह (अटरू)—वैसे ४ घंटे तक बैठ चुके, ट्रेन से आये हैं और थके हुए हैं। कल फ्रेश होकर आयेंगे तो ठीक तरह से बहस करेंगे।

श्री रामनिवास मिर्धा—कोई अमेंडमेंट नहीं है, खामोख्वाह देर करने की कोशिश की जा रही है।

श्री उपाध्यक्ष—समय होगया। सदनकी कार्यवाही कल सुबह ८ बजे तकके लिये स्थगित की जाती है।

(सदन की कार्यवाही सायं ७ बज कर ७ मिनिट पर दूसरे दिन दिनांक १० अप्रैल, ५६ मंगलवार के प्रातः ८ बजे तक के लिये स्थगित हुई।)

विधान सभा भवन,
जयपुर,
दिनांक ९ अप्रैल, ५६

मनसाराम पुरोहित
सचिव,
राजस्थान विधान सभा

परिशिष्ट १

(कृपया प्रश्न संख्या ३५८ का उत्तर देखिये)

LIST OF THE HEAD MASTER OF HIGH-SCHOOLS TRANSFERRED AS DY. I. O. S. FROM 1-1-1955.

S. No.	Name with place of posting.		Qualifications.	Length of Service.	Remarks.
1.	Shri Nand Lal Joshi,	D. I. O. S. Pali.	M. A., L. T. R.	19 Yrs	
2.	„ B. D. Khatri.	„ Barmer	M. A.	26 „	Now transferred as H. M., H. S. Bhadra in Sept' 55.
3.	„ P. J. Hathi.	„ Barmer.	M. A., B. T.	18 „	
4.	„ Bhagwati Prashad.	„ Jalore.	M. A., STT, I. Trd.	29 „	
5.	„ P. N. Hukoo.	„ Sirohi.	M. A. B., T.,	29 „	Now transferred as H. M., Multi-purpos High School, Barmer in Sept'55.
6.	„ K. N. Bhargava.	„ Sirohi.	M. A., STT. I. Trd.	24 „	
7.	„ Devi Singh.	„ Jaisalmer.	B. A. C. T.	21 „	
8.	„ H. K. Roy.	„ Churu.	B. A. B. T.	27 „	Now transferred as H. M., H. S. Gangashah or in Sept' 55.
9.	„ Visheshwar Dayal	„ Churu.	B. Sc., B. T.	22 „	
10.	„ Hem Shanker Nagar	„ Udaipur.	M. A., B. T.	27 „	

S. No.		Name with place of Posting.			Qualifictions	Length of Service.	Remarks.
11.	„	V. D. Brijbashi.	„	Chittor.	M. Sc, B. T.	20 1/2 Yrs	
12.	„	Girdharilal.	„	Banswara.	B. A., B. T.	27 1/2 „	
13.	„	Ambashankar Dave.	„	Dungarpur.	B. A., B. T.	18 „	
14.	„	Harihar Lal Gupta	„	Bundi.	M A., B. T.	19 3/4,,	
15.	„	Dineshchandra	„	Jhalawar.	M. A., B. Sc. BT	1/2 „	Now transferred as H. M.
16.	„	Om Prakash.	„	Jhalawer.	B. A., LL., B. BT.	12 1/2 „	Now transferred to Jaipur.
17.	„	Raghunandanswaroop	„	-do-	B. A , B. T.	21 „	
18.	„	Rameshwar Khunteta	„	Jaipur.	B. A., B. T.	15 „	
19.	„	Hari Kishan Vyas.	„	Jaipur.	B. A., B. Ed.	23 „	
20.	„	Ahmed Ali.	„	Karauli.	B. A., B. T.	16 „	
21.	„	B. D. Nagar.	„	Tonk.	M. A., B. T.	27 „	
22.	„	Gopal Lal Sharma	„	Sikar	B. A., B. T.	16 „	

परिशिष्ट २

(कृपया प्रश्न संख्या ३६१ का उत्तर देखिये)

जिला चित्तौड़गढ़ में अब तक खोली गई प्राथमिक पाठशालाओं की तहसीलवार तालिका :

१. चित्तौड़गढ़	१७
२. गंगराश	१८
३. भूदेसर	१६
४. छोटी सादड़ी	१६
५. डूंगला	१०
६. बड़ी सादड़ी	९
७. निम्बाहेड़ा	१४
८. कपासन	२४
९. राश्मी	२१
१०. प्रतापगढ़	३६
११. अचनेरा	१६
१२. बेंगू	१६
१३. मैसरोडगढ़	१६
१४. कनेरा	८

परिशिष्ट ३

(कृपया प्रश्न संख्या ३६२ का उत्तर देखिये)

नकशा तकावी एडवान्स जो जयपुर जिले में सन् ५५-५६ में तहसीलात में एलाट किये गये।

क्रमसं०	नाम तहसील	अलाटमेंट रेवन्यू तकावी	अलाटमेंट जी०एम० एफ० तकावी	विवरण
१	जयपुर	५०००	६५००	
२	चाकसू	५०००	६५००	
३	सांगानेर	—	२५०००] प्रोजेक्ट	इन दो तहसीलों में इस रकम के अलावा एक लाख रुपया और अधिक दिये गये हैं ।
४	बस्सी	—	५००००] एरिया	
५	आमेर	५०००	६५००	
६	जमुआ रामगढ़	४०००	६५००	
७	दौसा	५०००	६५००	
८	बसवा	४०००	६५००	
९	लालसोट	५०००	६५००	
१०	सिकराय	३०००	६५००	
११	फुलेरा	२०००	५०००	
१२	फागी	५०००	६५००	
१३	दूदू	४०००	६५००	
१४	किशनगढ़	४०००	६०००	
१५	सरवाड़	४०००	६०००	
१६	रूपनगर	३०००	६०००	
१७	अराई	२०००	६०००	
१८	कोटपुतली	५०००	६५००	
१९	बैराठ	५०००	६५००	
२०	जोबनेर ब्लॉक	—	१००००० प्रोजेक्ट ऐरिया	
		७००००	३३००००	

नकशा तकाबी लोन तहसील किशनगढ़ रैवन्यू तकाबी लोन
जो तारीख १-१-५५ के बाद दी गई।

सरकार द्वारा रकम मंजूरी की तारीख व रकम	प्रार्थी का नाम मय वल्दियत	पता	प्रार्थनापत्र पर मंजूरी की तारीख	रकम दी जाने की तारीख	रकम जो दी गई	विवरण
१२०० रु० दिनांक १६-९-५४	१-श्री लक्ष्मीनारायण वल्द रामपाल नाई	किशनगढ़	१२-१-५५	३१-३-५५	१०० रु०	बैल खरीदने
४००० रु० दिनांक २७ ५-५५	२-श्री मोहनसिंह वल्द बचनसिंह राजपूत नलू	मौजा नलू	११-३-५५	३१-३-५५	२५० रु०	बैल जोड़ी खरीदने
५२०० रुपये -						
	३-श्री दानसिंह वल्द बचनसिंह राजपूत	"	"	"	५०० रु०	बैरा खुदाने मरम्मत कराने
	४-श्री छोटू वल्द बद्रीदास साधू	लुहारू	२५-२-५५	३१-३-५	२५० रु०	बैल खरीदने
	५-श्री धौकलसिंह वल्द सुजानसिंह राजपूत	डीड़वाना	"	"	१०० रु०	बैल खरीदने
	६-श्री हमीरा वल्द धीरा रावत	ढ़ानी प्रोहितान	१३-६-५५	३०-८-५५	३०० रु०	पुराने कुए को खुदाने
	७-श्री सुखदेव वल्द मिश्रीलाल साधू	मौरियांवास	३-६-५५	२०-८-५५	४०० रु०	बैरा खुदाने व मरम्मत कराने
	८-श्री ब्रजमोहनलाल वल्द परमानन्द कल्ला	किशनगढ़	१०-६-५५	१३-८-५५	५०० रु०	बैरा खुदाने
	९-श्री मांगीलाल वल्द श्रीकिशन माली	"	१३-६-५५	१६-८-५५	४०० रु०	बैरा खुदाने व मरम्मत कराने

Page No 86

१०–श्री सैंडू वल्द बिसना माली	,,	१३-६-५५	१३-८-५५.	४५० रु०	बैरा की मरम्मत व खुदाने
११–श्री ब्रजमोहन वल्द रामदास बैरागी	उदयपुर कलां	१३-६-५५	१३-८-५५	२५० रु०	बैल खरीदने
१२–श्री सूबालाल वल्द हजारीमल ओसवाल	किशनगढ़	१३-६-५५	१०-६-५५	४५० रु०	बैरा खुदाने व मरम्मत
१३–श्री मंगू वल्द काना गूजर	नयागांव	१३-६-५५	५-६-५५	४०० रु०	बैरा खुदाने
१४–श्री घीसा वल्द शिवदयाल ब्राह्मण	गौरियाना	१३-६-५५	१३-८-५५	५०० रु०	बैरा खुदाने
१५–श्री हरीराम वल्द जगन्नाथ माली	किशनगढ़	१३-६-५५	१३-८-५५	४०० रु०	बैरा खुदाने
				५२०० रुपये	

नाई	राजपूत	साधू	रावत	ब्राह्मण	माली	ओसवाल	गूजर	मीजान
१	३	३	१	२	३	१	१	१५

नकशा तकावी लोन श्रो मोर फूड तकावी जो तारीख १।१।५५ के बाद में दी गई तहसील किशनगढ़

सरकार द्वारा रकम मंजूरी की तादाद व तारीख	प्रार्थी का नाम वल्दीयत व कोमियत	पता	रकम मंजूरी की तारीख	रकम दी जाने की तारीख	रकम जो दी गई	किस लिये रकम चाही
८०००) ता. १८।५।५४	श्री नारायण सिंह वल्द गणपत सिंह	रलावता	३।१२।५४	३१।१।५४	५००	बेरा खुदाने व पुराने कुवे की मरम्मत कराने
२०००) ता. १४।६।५४	,, बालकिशन वल्द सुन्दरलाल धावाई	किशनगढ़	११।११।५४		५००	
	,, अगरचंद मिश्रीलाल ओसवाल		११।११।५४		१०००	
६०००) ता. १६।६।५५	,, नारायण वल्द गंगाराम जाट	चीवाखेड़ा	३१।३।५४	३१।३।५५	५५०	
१६०००	,, बंशीधर वल्द माधोलाल ब्राह्मण	किशनगढ़	२५।१।५५	३१।३।५५	५००	
यह रकम जनवरी बाद	,, मागरून वल्द अपना माली	किशनगढ़			५००	
	,, अमरसिंह वल्द बुधसिंह राजपूत	नरवर	६।१।५५	३१।३।५५	५००	
	,, रघुनाथसिंह वल्द बुधसिंह		१०।१।५५		५००	
	,, रामकिशन वल्द मांगीलाल	खंडाच	२५।१।५५		५००	
	,, गणपतसिंह वल्द खेतसिंह	किशनगढ़	२५।२।५५	३१।३।५५	४००	
	,, कल्याणसिंह वल्द भारतसिंह	नरवर	६।१।५५		५००	
	,, तुलसीदास वल्द कानदास	किशनगढ़	२५।१।५५		४००	
	,, मदनसिंह वल्द भूरसिंह	नरवर	२०।१।५५		५००	
	,, सरवणनाथ शंकरनाथ जो	सरगांव	२५।२।५५		६००	
	,, लांईनाथ वल्द सावतनाथ जोगी	सरगांव	२५।१।५५		२००	

,,	दशरथसिंह वल्द मोदसिंह राजपूत	नल	२५।२।५५		४००
,,	छोगालाल वल्द प्रतापासर	नयागांव			४००
,,	गंगाराम वल्द वन्ना जाट	टिवावड़ा			३००
,,	दानसिंह वल्द नारायणसिंह	किशनगढ़	२५।१।५५		५००
,,	गणेशीलाल वल्द शकरलाल महाजन	बांदरसीदी	५।३।५५	३१।३।५५	३००
,,	भँवरलाल वल्द बीजामाती	किशनगढ़	२५।२।५५	३१।३।५५	४००
,,	हजारी वल्द पोत ममेमी	खेड़ा रि०			३५०
,,	गणपतसिंह वल्द रूपचन्द महाजन	गोरिमाणा	६।६।५५	२२।८।५५	२०००
,,	मुला वल्द सुला चमार	खेड़ा	१८।७।५५	२।६।५५	५००
,,	सबकरण वल्द श्योनाथ गूजर	नमोगांव			२५०
,,	लागा वल्द नाथ माली	कचील			५००
,,	धीसा वल्द हीरा कुमार	टिवावड़ा			३००
,,	बीजा वल्द वाई कुमार	खेड़ा			५००
,,	जेई वल्द बाह कुमार	खेड़ा			३००
,,	रामसिंह वल्द खेतसिंह राजपूत	ब्रह्म			३००
,,	रामचन्दर देवीदीन बारेठ	रारी			२५०
,,	देवा वल्द अर्जुन गूजर	नयागांव			५००
,,	हनुमान वल्द छोटू दरोगा	रनावता			२५०
,,	रामवतार वल्द रामलाल महाजन	नलर			३००
,,	रामचन्द वल्द प्रागनाथ माली	किशनगढ़			३००

,,	सुन्दरलाल वल्द गोरधन	उदयपुर			५००	
,,	रामता वल्द हात गूजर	नयागांव			२५०	
,,	नाथूलाल वल्द देवीलाल गवेध	किशनगढ़			२००	
,,	मांगीलाल वल्द लच्छीराम खाती	खोरिया			३००	
,,	रघुनाथसिंह वल्द भैमसिंह	नल	१८।७।५५	२।६।५५	४००	राजपूत १०, गूजर ५, ओसवाल ४, जाट २, ब्राह्मण ३, माली ४, साधू १, जोगी २, मांसी १, कुमार ४, बारेठ १, दरोगा १, भांड १, खाती १, चमार १, बावरी २
,,	चन्दा वल्द लीवज चमार	पारण		७।६।५५	३५०	
,,	ओस वल्द श्योलाल बावरी	खातौनी		१३।६।५५	२५०	
,,	डूंगा वल्द गोपाल बावरी	खातोली लेने नहीं आने से वापिस जमा कराये			३००	
					१६०००	

परिशिष्ट ४

(कृपया प्रश्न संख्या ३७० का उत्तर देखिये)

विवरण पत्र जहां पर पटवार कर वसूल होता है।

क्रम सं०	नाम जिला	वसूली की दर	जिससे वसूल किया जाय	रकम जितनी वसूल होती है
१.	बून्दी	लगान पर १ पैसा फी रुपया	काश्तकारों से	१३५५७ रुपया
२.	भरतपुर	३ रु० १० आना ५ पाई प्रति सै	माफीदागन से	८८५६ ,,
३.	बीकानेर	(१) पुराना खालसा के ग्रामों में ६ पाई प्रति रुपया । (२) जदीद खालसा जागीर के गांवों में अब सैटिलमेंट हुआ उन पर १२ पाई प्रति रुपया ।	काश्तकारों से	२३७६६ रुपया
४.	चूरू	(१) पुराना खालसा के ग्रामों में ६ पाई प्रति रुपया । (२) जदीद खालसा जागीर के ग्रामों में अब सैटिलमेन्ट हुआ उन पर १२ पाई प्रति रुपया ।	काश्तकारों से	८२३७० रु० १५ आना
५.	गंगानगर	मालगुजारी व आबयाना रेट पर १ आना फी रुपया	काश्तकारों से	औसतन ४००००० रुपया
६.	डूंगरपुर	६ पाई प्रति रुपया रैवन्यू मतालबे में दर्ज है ।	काश्तकारों से	२२४६८ रुपया

नोट—जोधपुर में खालसा के गांवों में ४ रुपया ११ आना प्रतिशत माल हासिल पर सिवाय लाग वसूल होती है । इसमें से पटवारी को ८ पाई प्रति रुपया कुल वसूलशुदा रकम पर मिलती है ।

परिशिष्ट ५

(कृपया प्रश्न संख्या ३७२ का उत्तर देखिये)

क्रम संख्या	नाम तहसील	न्यू तकावी	ग्रो मोर फूड
	स्वीकृत रकम	४००००	८००००
१.	चित्तौडगढ	४७००	२५००
२.	गंगरार	२५००	५०००
३.	कपासन	३०००	७५००
४.	राश्मी	२५००	११५००
५.	बैंगू	—	६५००
६.	भैंसरोडगढ	२०००	२०००
७.	प्रतापगढ	५०००	५५००
८.	अचनेरा	—	५५००
९.	निम्बाहेड़ा	३०००	५५००
१०.	बड़ी सादड़ी	३०००	५५००
११.	छोटी सादड़ी	—	६५००
१२	डूंगला	२५००	२०००
१३,	भदेसर	२५००	५५००
१४.	कनेरा	—	२५००
	मीजान	३०७००	८००००

परिशिष्ट ६

(तारांकित प्रश्नोत्तर जो सम्बधित प्रश्न कर्त्ताओं की अनुपस्थिति के कारण सदन की मेज पर रखे गये तथा जिन्हें प्रकाशित कराने की सम्बन्धित मंत्री महोदयों की अनुमति है)

३६५-(११६।सी.एम.) श्री श्रीदास गोयल, एम. एल. ए., डिविजन नम्बर १४२:—क्या शिक्षा मंत्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे:—

(क) सन् १९५६-५७ में कहां कहां नये इन्टर कॉलेज खोले जावेंगे ?
(ख) इनके खोले जाने का क्या आधार है ?

उत्तर

(क) कहीं नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

३७४. (१२८।सी.एम.) श्री मोहम्मद अब्दुल हादी, एम.एल.ए. डिविजन नम्बर ७६: —

क्या शिक्षा मंत्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे:—

(अ) क्या यह सही है कि बाड़मेर जिला के लगभग सब अध्यापकों को पशु गणना में लगाया गया था ?

(ब) क्या यह भी सही है कि अध्यापकों को फिर से इलेक्टोरल रोल्स रिवाइज़ करने के लिए और डेढ महिने के लिए लगा दिया है ? अगर हां, तो सरकार इस मामले का क्या बन्दोबस्त करना चाहती है जिससे बच्चों की पढ़ाई में हानि न होने पावे ?

उत्तर

(क) जी नहीं।

(ख) जी नहीं। प्रश्न नहीं उठता।

३७५. (८३।आर.एम) श्री श्रीदास गोयल, एम.एल.ए. डिविजन नम्बर १४२:—क्या राजस्व मंत्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे:—

(क) जयपुर डिविजन की कौन कौन सी तहसीलों में गत दो वर्षों से पर्चे चकबन्दी की दरों से लगान कम किया गया है और इसका आधार क्या है ?

(ख) क्या सरकार अन्य तहसीलों में भी इस आधार को अपनाकर तत्काल लगान में कमी करेगी ?

उत्तर

क. सिवाय ठिकाना शाहपुरा, तहसील बैराठ के और किसी तहसील के लगान की दरों में कमी नहीं की गई।

ख. यह दरों में कमी राजस्थान रेन्ट के रिव्यू वेलिडेशन एक्ट के तहत की गई। और अन्य कुछ तहसीलों में कमी करने के प्रार्थनापत्र पेश हुए हैं, लेकिन जिन क्षेत्रों में बन्दोबस्त का काम सम्पूर्ण घोषित हो चुका है उस एक्ट के तहत कार्यवाही नहीं की जा सकती।

३७६ (३०।सी.आई.एम) श्री सज्जनसिंह, एम एल ए. डिविजन नम्बर १३२:—क्या वाणिज्य मंत्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे:—

(क) क्या सेठ इन्डस्ट्रीज बूंदी, ने कुटीर उद्योगके ढांचे पर स्लेट पेन्सिल, चाक, बर्तें तथा रंगीन चांक पैंसिलें बनाने के व्यवसाय के लिए सरकार से सहायता के लिए प्रार्थना की है ?

(ख) क्या यह सही है कि उक्त इन्डस्ट्रीज को धन की सहायता दी जाने की सिफारिश की जा चुकी है और उसे काफी अरसा होगया है परन्तु अभी वह रकम नहीं मिली है ?

(ग) यदि हां, तो देरी का क्या कारण है ?

उत्तर

(क) हां।

(ख) हां।

(ग) सेठ इन्डस्ट्रीज ने अपना प्रार्थना पत्र आदि सहायता सबसीडी के लिये दिया है न कि ऋण के लिये। ऐसे उद्योगों के लिये सहायता सबसीड़ी अभी तक नहीं दी गई क्योंकि सहायता दिये जाने के नियम अभी सरकार के विचाराधीन हैं।

३७८.(६०।आर.एम) श्री मोटाराम, एम,एल.ए. डिविजन नम्बर १०४:—क्या राजस्व मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे:—

१. तहसील सिवाणा के मेली बन्ध के पास गांव मांगला की सीव में २२०० बीघा जमीन किस व्यक्ति को दी गई है ?

२. क्या यह व्यक्ति खुद काश्त करता है और इसे अकेले को ही सारी जमीन देने का क्या कारण है ?

३. इस जमीन पर अभी किन किन नम्बरों पर कौन कौन काश्तकार कितना कित लगान देकर काश्त करता है ?

४. उपरोक्त जमीन पर काश्त करने के लिए उपरोक्त व्यक्ति ने किस जाति के कितने घर बसाये हैं ?

५. क्या उपरोक्त जमीन पर काश्त करने वालों ने १।४ की लटाई देने पर कमिश्नर जोधपुर को दरख्वास्त दी थी? उस पर सरकार ने क्या कार्यवाही की है ? अगर नहीं, तो क्यों नहीं ?

उत्तर

१. तहसील सिवाना के गांव मांगूल में २२०० बीघा जमीन श्री सेवा राम को सन् १६२२ में दी गई है।

२. यह व्यक्ति नौकर रख कर काश्त करता है। जब इस जमीन को उठाने के लिए इश्तहार जारी किया गया तो गांव मांगला वालों ने इसे लेने से इन्कार कर दिया।

३. इस जमीन से १२०० बीघा सेवाराम के कास्त में है बाकी रकबा पड़त है।

४. सेवा राम ने इस जमीन पर ७।८ भीलों के घर बसा रखे हैं जो उनके यहां नौकरी करते हैं।

५. इस शिकायत के मुतलिक तहकीकात हो रही है।

३८०. (१३२। सी. एम.) श्री कुम्भाराम आर्य, एम. एल. ए. डिविजन नम्बर ८०:— क्या शिक्षा मंत्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे:—

(क) क्या सरकार को मालूम है कि करणपुर कन्या पाठ शाला के भवन के हॉल की छत्त कई वर्षों से गिरी हुई है ?

(ख) सरकार ने इस छत की मरम्मत करवाने के लिये अब तक क्या कार्यवाही की है ?

(ग) इस मरम्मत का कार्य कब तक पूरा हो जावेगा ?

उत्तर

(क) जी हां।

(ख) इस छत की मरम्मत के सम्बन्ध में अध्यक्ष, नगर पालिका, करनपुर से निवेदन किया था। अब इस की मरम्मत कराने के लिये स्थानीय जनता द्वारा प्रबन्ध किया गया है।

(ग) कार्य प्रारम्भ हो चुका है अतः शीघ्र पूरा हो जावेगा।

३८२. (४४। सी. आई. एम.) श्री श्रीदास गोयल. एम.एल.ए., डिविजन नम्बर १४२:- क्या समाज कल्याण मंत्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे:—

१. सवाई माधोपुर नगर में सरकार ने हरिजनों में सुधार तथा उनकी उन्नति करने के लिये किनको नियुक्त कर रखा है ?

२. क्या उन्हें गत कितने ही महीनों से वेतन नहीं मिला है ? यदि हां, तो क्यों ?

उत्तर

(१) श्री कृष्ण कान्त, कल्याण कार्यकर्ता को नियुक्त कर रक्खा है।

(२) उन्हें इस विभाग में आने के पश्चात लगातार वेतन मिल रहा है।

३८३. (४५।सी. आई.एम.) श्री मोटाराम, एम. एल. ए., डिविजन नम्बर १०४:- क्या उद्योग मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे:—

(अ) तहसील सिवाना और जिला बाड़मेर में राजस्थान बनने के पश्चात् कितनी चादरें लोहे की मकानों के लिये किन किन व्यक्तियों को दी गई हैं और यदि नहीं, तो क्यों नहीं ?

(ब) क्या सरकार को चादरें नहीं मिलने की शिकायतें की गई थीं ? यदि हां, तो उन पर क्या कार्यवाहियां की गईं ? यदि नहीं, तो क्यों नहीं ?

(स) क्या सरकार को मालूम है कि बाड़मेर का लोहे का कोटा तोड़कर जोधपुर के व्यापारियों को दे दिया गया है ? यदि हां, तो कोटा देने के पश्चात् बाड़मेर और तहसील सिवाना के किन किन व्यक्तियों को चादरें दी गई हैं ? यदि नहीं, तो क्यों नहीं ?

(द) क्या सरकार को बाड़मेर जिले का कोटा अलग देने की अर्जियां पेश की गई थीं ? यदि हां, तो उनके प्रति सरकार का क्या विचार है ?

उत्तर

(अ) राजस्थान बनाने के पश्चात् तहसील सिवाना और जिला बाड़मेर में क्रमशः १२४ हंडरवेट व १२८३।। हंडरवेट: जी. सी. सीट्स: लोहे की चादरों का वितरण किया जा चुका है।

उपरोक्त चादरों में से बाड़मेर जिले में ५३२ व्यक्तियों को और ५१ व्यक्तियों को तहसील सिवाना में दी गई हैं। इनमें हर प्रकार के व्यक्ति शामिल हैं।

(ब) नालीदार चादर तथा अन्य इस्पात का सामान भारत सरकार द्वारा उत्पादन को दृष्टिकोण में रखते हुये प्रत्येक राज्य को एलॉट होता है। भारत सरकार प्रत्येक राज्य को लोहा व इस्पात एलॉट करने के निर्णय के पूर्व राज्यों के प्रतिनिधियों की एक मीटिंग का आयोजन करती है जिसमें राजस्थान का प्रतिनिधि भी अपनी समस्त मांगों को प्रस्तुत करता है एवं आवश्यकतानुसार इस्पात प्राप्त करने का भरसक प्रयत्न करता है, किन्तु उत्पादन को दृष्टिकोण में रख कर भारत सरकार प्रत्येक राज्य को इस्पात एलॉट करती है जो मांग के अनुसार पूरा नहीं होता है।

(स) चूंकि बाड़मेर में लोहे व इस्पात का कोई रजिस्टर्ड स्टॉकिस्ट नहीं है, इस कारण वहां का लोहा व इस्पात जोधपुर ही आता है। बाड़मेर कस्बे में इस जिले के लिये लोहे व इस्पात का डिपो खोले जाने का इन्तजाम हो रहा है।

(द) बाड़मेर जिले के इस्पात के वितरण के लिये अलग डिपो खोला जा रहा है।

३८५. (६६। आर. एम) श्री बृजेन्द्र पाल, एम०एल०ए०, डिविजन नम्बर २३ :—क्या राजस्व मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :—

(क) हजारीपुरा, करोली सब-डिविजन से कान कुटैया चौबों को कितनी तकावी दी गई है ?

(ख) क्या यह सही है कि दी हुई तकावी करार से पहले ही वसूल की जा रही है,

(ग) यदि हां तो क्यों ?

उत्तर

(क) श्री काना कुटैया चौबों को १,०००) रुपये तकावी दी गई।

(ख) जी हां।

(ग) जिस भूमि पर श्री काना कुटैया इस तकावी की रकम से कुआ बनाना चाहते हैं, उस पर इनका कोई अधिकार नहीं है, अतः उस पर कुआ ये बना सकेंगे नहीं, और जिस काम के लिए तकावी ली गई वह नहीं होता, तो वापस वसूल करने के सिवाय कोई चारा नहीं है।

३८७. (१०८। आर. एम.) श्री मोहम्मद अब्दुल हादी, एम. एल. ए., डिविजन नम्बर ७६ :— क्या मंत्री अकाल सहायता विभाग निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :—

क्या यह सही है कि चौहटन तहसील के कई गांवों में अकाल है ? अगर हां, तो वे कौन कौन से गांव हैं ? और वहां पर सरकार द्वारा फैमिन वर्क्स शुरू न करवाने के क्या कारण हैं ?

उत्तर

(अ) तहसील चौहटन के निम्नांकित २४ गावों में अकाल स्थिति है, और इनमें फैमिन वर्क्स शुरु करवायें जाने की कार्यवाही की जा रही है।

तहसील चौहटन के ग्रामों के नाम

१. पड़रिया २. दूदवाखुर्द ३. आकोड़ा. ४. तारातरा ५. गोलीमार ६. सवाउ ७. लखवारिया ८. आंटिया ६. अब्दुर्रहीम का तला १०. सैयद मोजअली का तला ११. बुरान का तला १२. पूंजीसर १३. तालसर १४. ईसान का तला १५. देम्बा १६. सलारिया १७. सेड़वा १८. चीचड़ासर १६ सोनड़ी २०. रोहीला २१. सोवाला २२. कुन्दनपुरा २३. साऊ २४. चौहट।

३६१. (११४।आर.एम.) श्री विशम्भरनाथ जोशी, एम.एल.ए., डिविजन नम्बर २१:— क्या राजस्व मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे:—

(अ) बांदीकुई-बसवा राजगढ़ सड़क के निर्माण के संबंध में तहसील बसवे के किस किस किसान की कितनी कितनी जमीन सरकार द्वारा ली गई है ?

(ख) क्या संबंधित किसानों को उनकी जमीनों का मुआवजा सरकार द्वारा दिया जा चुका है?

(स) क्या इन जमीनों की सड़क निर्माण के लिये एक्वायर करने के संबंध में आवश्यक विज्ञप्तियां राजस्थान राज-पत्र में प्रकाशित की जा चुकी हैं ? यदि हां, तो किस तारीख को प्रकाशित की गई हैं ?

(द) सरकार किसानों को उनकी जमीनों का मुआवजा अदा करने के संबंध में क्या कार्यवाही कर रही है तथा कब तक किसानों को उन की इन जमीनों का मुआवजा दे दिया जावेगा

उत्तर

राजगढ़ से कालेड़ तक तो सड़क की तैयारी का काम करीबन मुक्कमिल हो चुका है। लेकिन कालेड़ के आगे कस्बा बसवा में किस तरफ हो कर यह सड़क जावे उसकी बाबत कुछ आपत्तियां उठ रही हैं। पहले जो निर्माण विभाग ने कस्बा बसवा से पूर्व की तरफ सड़क तजवीज की थी उसमें लोगों के चाही रकबे बहुत आते थे इसलिये इस तजवीज को नामन्जूर किया गया। नतीजा यह हुआ कि यह सड़क कभी तहसील बसवे के किसी गांव में निर्माण नहीं हुई है। अब जो

सड़क निर्माण विभाग ने दुबारा तजवीज की है उसके अनुसार बसवा तहसील के ६ गांवों की जमीन सड़क में आती है। उसकी तफ़सील निम्न प्रकार है:—

कालेड	१०	१०
बसवा	३६	५
अगावली	१५	४
करनावर	५	१६
रामसिंहपुरा	१८	६
चीमापुरा	७	२
कोलाना	२७	३
बाडबिशनपुरा	२	४
कस्बा बान्दीकुई	८	१६
	——	——
	१२१	८००

इसमे से केवल ३ बीघा चाही रकबा है।

यह कुल जमीन १४७ काश्तकारों की है, जिनकी सूची सदन की मेज पर रख दी गई है। मगर इस जमीन को प्राप्त करने की कार्यवाही अभी तक नहीं हुई है। चूंकि यह एलाइनमेन्ट कस्बा बसवा से करीब मील पौन मील हो कर निकलता है इसलिये इसकी बाबत भी कुछ लोगों को एतराज है। इसलिये इन एतराजात को भी हल करने की कोशिश की जा रही है।

(ब) चूंकि अभी जमीन बाकायदा प्राप्त नहीं की गई है, इसलिये जमीन के मुआवजे देने का सवाल ही नहीं उत्पन्न होता।

(स) जी नहीं।

(द) इस सड़क का एलाइनमेन्ट जब स्वीकार होकर जमीन वाकायदा प्राप्त कर ली जावेगी तब जिनकी जमीन आई है उनको कायदे के अनुसार मुआवजा दे दिया जावेगा।

(सूची अनुपलब्ध)

परिशिष्ट ७

(कृपया प्रश्न संख्या ३७७ का उत्तर देखिये)

नाथद्वारा तहसील में प्रथम पंच वर्षीय योजना के कार्य की सूची मय खर्चे के।

१. सार्वजनिक विभाग — इस्वाल हल्दीघाटी सड़क एक मील, व्यय २१,६५४रु.

२. कृषि विभाग — एक पशु चिकित्सालय नाथद्वारा में सन् १६५४।५५ में ८००० रु० सालाना की लागत पर खोला गया है।

३. सिंचाई विभाग — चार कार्य हुए:

१.	नमानो कम मादरी योजना,	६,२०,५००.
२.	सलोदा तालाब की नहर	२०,२००
३.	गांव गुढ़ा तालाब की नहर	१३,४५०
४.	घोड़च तालाब	१०,७८३

४. **कलेक्टर उदयपुर**

स्थानीय विकास योजना के अन्तर्गत १५,१२६ रु० व जल कष्ट निवारण योजना अन्तर्गत १८,१६६ जुमला ३३२६५ रु० खर्च हुए :

क्रम संख्या	नाम कार्य	खर्चा
१.	बिंजनौर तालाब	३३०
२.	खमनोर माध्यमिक शाला	६७४
३.	सागटवाड़ी रोड	१०००
४.	सीशोदा स्कूल	१०००
५.	कोठरिया स्कूल	२०००
६.	गांव गुढ़ा स्कूल	१८२५
७.	कोसीवाड़ा स्कूल	१५००
८.	नाथद्वारा से गांव गुढ़ा रोड	६५००
	योग	१५१२६

जल कष्ट निवारण योजना में :

१.	उधनोल	२६६६
२.	नेगडा भील कालोनी	१५००
३.	डांगल भील कालोनी	२०००
४.	पावटी	२०००
५.	जोशियों की बावड़ी	२०००
६.	कूटवा	२०००
७.	धायला	८००
८.	लोसिंग	१०००
९.	निगड़िया	१२००
१०.	कूटवा	५००
११.	धारला	५००
	योग	१८१६६

कुल योग १०,२८,३८२ रु०

परिशिष्ट ८

(अतारांकित प्रश्नोत्तर जो कि सदन की मेज पर रखे गये)

१. (४४। सी. एम.) श्री केसरीसिंह, एम. एल. ए. (७५)—क्या मुख्य मंत्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे:—

क. अब तक कितनी जागीरें पुनर्गहीत हो चुकी हैं ?

ख. कितने जागीरदारों की तरफ से खुदकाश्त के लिए दरख्वास्तें पेश हुई हैं? जिलावार बताया जावे ?

ग. कितने जागीरदारों को खुदकाश्त के लिए भूमि दी जा चुकी है और वह कहां और कितनी कितनी ? जिलावार ब्यौरा दिया जावे ?

घ. जिन जागीरदारों को अभी तक खुदकाश्त भूमि नहीं दी गई है उनके लिए सरकार क्या व्यवस्था कर रही है ?

२. (७५।आर. एम.) श्री भैरूंसिंह एम. एल. ए. (१६)—क्या राजस्व मंत्री निम्न लिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे:—

क. अप्रेल सन् ५४ से अब तक किस किस जिले में किस २ काश्तकार को किस किस तत्कालीन कानून के द्वारा खुदकाश्त के लिए बेदखल किया जाकर किस किस जागीरदार को कितनी २ भूमि काश्त के लिए दी गई ?

ख. जिन जागीरदारों को ऐसी भूमि प्राप्त हुई है उन्होंने किस २ तारीख को अपना आवेदन प्रत्र प्रस्तुत किया था और कब २ उन्हें कब्जा प्राप्त हुआ है ?

ग. क्या यह सही है कि अब तक किसी भी जिले में जागीरदार रिजम्पशन एक्ट में तथा राजस्थान टिनेन्सी एक्ट में खुदकाश्त प्राप्त कर सकने संबंधी धाराओं के अन्तर्गत किसी भी काश्तकार को बेदखल करके किसी जागीरदार को खुदकाश्त के लिए भूमि प्राप्त नहीं हुई है ?

घ. यदि नहीं, तो किन २ जागीरदारों को कब २ और कितनी २ ?

३. [२ यू.एस.] श्री भोलानाथ, एम. एल.ए. (१६)–क्या योजना मंत्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे—

क. प्रत्येक जिले में प्रथम पंचवर्षीय योजना में निम्न लिखित शीर्षकों पर कितना २ रुपया खर्च हुआ—

परिशिष्ट

जिले का नाम	खर्च की मद	आबादी	आबादी में खर्च का अनुपात	प्रतिशत आबादी के अनुपात से कम या ज्यादा
	१. शिक्षा			
	२. सिंचाई			
	३. इमारत			
	४. उद्योगों के प्रोत्साहन के लिए कर्ज			
	क. विभागीय			
	ख. फाइनेनशियल कॉरपोरेशन द्वारा			
	५. चम्बल, भाखरा नागल व हरीके का खर्च साधारण खर्च के अतिरिक्त			
	क. सिंचाई			
	ख. बिजली			
	ग. सड़क			
	घ. मंडी			
	६. तकावी कर्ज			
	क. कृषि विभाग द्वारा			
	१. बैल			
	२. बीज			
	३. पम्प			
	४. ट्रैक्टर			
	५. कुए			
	ख. रेवेन्यू विभाग द्वारा			
	१. बैल			
	२. बीज			
	३. कुए			
	७. अकाल सहायता कार्य			
	८. बिजली			
	९. लोकल डेवलपमेंट बोर्ड			

१०. एन. इ. एस. ब्लॉक्स

११. काम्युनिटी प्रोजेक्ट ब्लॉक

१२. जल बोर्ड

१३. अरबन वाटर सप्लाई

१४. बीज का वितरण

ख. क्या बीज बांटने में खेती योग्य चालू भूमि के अनुपात से प्रतिशत बीज कम ज्यादा दिया गया? कमी या बेसी का कारण क्या है?

४. (३। यू. एस.) श्री नारायण चतुर्वेदी एम. एल. ए. (१०६)—क्या शिक्षा मंत्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे:—

राजस्थान में कुल कितने हाई स्कूल, मिडिल स्कूल तथा प्राईमरी स्कूल हैं और वे किस २ जिले में हैं? उन स्कूलों की फहरिस्त बताने की कृपा करें?

तारांकित प्रश्न संख्या १ का उत्तर

(१) (क) २६-२-१६५६ तक ५४४३ जागीरें पुनर्ग्रहित की जा चुकी हैं।

(ख) राजस्थान के कुल जागीरदारों की तरफ से खुद काश्त के लिए फरवरी १६५६ तक ७२७३ आवेदन पत्र प्राप्त हुए हैं, उनका जिले वार ब्योरे का विवरण पत्र संलग्न है।

(ग) जागीरदारों को फरवरी, १६५६ तक ४०,४२६ बीघा भूमि दी जा चुकी है, उसका जिलेवार ब्योरे का विवरण पत्र संलग्न है।

(घ) खुदकाश्त के लिए भाखरा, चम्बल व जवाई परियोजना क्षेत्र में अधिक भूमि निर्धारित करवाई जा रही है, उसके, अलावा जयपुर तहसील में जयपुर नगर के समीप के कुछ वन विभाग के बीड़ों को खुदकाश्त हेतु वन विभाग से मुक्त करवाया जा रहा है व अन्य जिलों में सिवाय चक व पड़त काबिल काश्त भूमि को जहां जहां उपलब्ध हो सकती है खुद का काश्त में देने की कार्यवाही की जा रही है।

फरवरी, सन् १९५६ के अन्त तक जागीरदारों को खुद काश्त हेतु दी गई भूमि का जिलेवार विवरण—पत्र

जिले का नाम	खुदकाश्त हेतु दी गई भूमि का क्षेत्रफल बीघों में	विशेष विवरण
बीकानेर	—	
गंगा नगर	२३८९७	भाखरा परियोजना में २३७६५ तथा अन्य स्थानों में १३२ हैं।
चुरू	१६७१	
अलवर	—	
भरतपुर	—	
जयपुर	७१४७	
झुंझुनू	१०७	
सीकर	१४२६	
सवाई माधोपुर	—	
टोंक	५४४	
बाड़मेर	—	
जैसलमेर	—	
जालोर	—	
जोधपुर	—	
नागोर	७६०	
पाली	—	
सिरोही	—	
बून्दी	५७	
झालावाड़	१७२	
कोटा	२७५	
बांसवाडा	४६०	
भीलवाड़ा	४२४	
चित्तौड़गढ	७०३	
डूंगरपुर	—	
उदयपुर	२७८०	

योग—४०,४२६

Page No 105

सन् ५६ के अन्त तक प्राप्त खुद काश्त प्राप्ति के प्रार्थना पत्र फार्म नं० ३ और फैसला किये गये प्रार्थनापत्रों की जिलेवार संख्या दर्शाने वाला विवरण-पत्र

नाम जिला	प्राप्त प्रार्थनापत्रों की संख्या: कार्यालय कमिश्नर खुद काश्त	जिलाधीशों के कार्यालयों में	योग	प्रार्थना पत्रों की संख्या जिनका अन्तिम निर्णय हो चुका है: प्रार्थनापत्र जो अस्वीकृत किये गये	प्रार्थनापत्र जो स्वीकृत किये गये	योग	प्रार्थनापत्र जो शेष रहे विचाराधीन हैं
१	२	३	४	५	६	७	८
बीकानेर	१६	१३	२६	१	४	५	२४
गंगानगर	६२	१८	८०	१०	१३	२३	५७
चूरू	३२	१५१	१८३	३१	५८	८६	६४
अलवर	८६	२८४	३७३	१०१	१	१०२	२७१
भरतपुर	२	—	२	—	—	—	२
जयपुर	५६१	६३	६५४	१२०	१७८	२६८	३५६
झुंझुनू	१०७६	१२१३	२२६२	२६६	७५०	१०१६	१२७३
सीकर	३७१	१८४१	२२१२	७२३	१२६	८५२	१३६०
सवाई माधोपुर	३६	२८	६४	—	१	१	६३
टोंक	३१	२५	५६	—	४	४	५२
बाड़मेर	३	६०	६३	—	—	—	६३
जैसलमेर	—	१	१	—	—	—	१
जालोर	४	—	४	—	—	—	४
जोधपुर	२१	७५	६६	१	—	१	६५
नागोर	५३	७६१	८१४	२८१	२०	३०१	५१३
पाली	७	७	१४	—	—	—	१४
सिरोही	—	१२	१२	—	—	—	१२
बून्दी	६	१३	१६	१	१	२	१७
झालावाड़	१३	—	१३	—	१	१	१२
कोटा	२६	३	२६	५	३	८	२१
बांसवाड़ा	१८	४२	६०	३	८	११	४६
भीलवाड़ा	११	१६	३०	२	८	१०	२०
चित्तौड़गढ़	२७	३५	६२	—	७	७	५५
डूंगरपुर	१	४	५	—	—	—	५
उदयपुर	६५	११	७६	६	१३	२२	५४
योगः—	२५६४	४७०६	७२७३	१५५७	११६६	२७५६	४५१७

अतारांकित प्रश्न संख्या २ का उत्तर

(क) राजस्थान भूमि सुधार तथा जागीर पुनर्ग्रहण एक्ट के अनुसार किसी काश्तकार को बेदखल करने की आज्ञा नहीं दी जा सकती। अतः इस कार्यालय से किसी काश्तकार को बेदखल कर किसी जागीरदार को खुदकाश्त भूमि नहीं दी गई है।

(ख) ऐसा कोई जागीरदार नहीं है जिसको काश्तकारों को बेदखल कर खुदकाश्त हेतु भूमि देने की आज्ञा जागीर या खुदकाश्त विभाग से दी गई हो।

(ग) (घ) इसका उत्तर प्रश्न (क) में दिया जा चुका है पूरक प्रश्न हो तो उत्तर दिया जा सकता है कि बेदखली की कार्यवाही टेनेन्सी एक्ट की धारा १८० (डी) के अनुसार कराई जा सकती है, न कि जागीर पुनर्ग्रहण एक्ट के अनुसार।

अतारांकित प्रश्न संख्या ३ का उत्तर

प्रथम योजना में जो रुपये खर्च हुए हैं उसकी जिलेवार सूची शीर्षकों के अनुसार संलग्न है।

LIST SHOWING DISTRICT WISE EXPENDITURE DURING FIRST FIVE YEAR PLAN

District.	Expenditure during Plan period. Planing works	'Scarcity' area works.	Minor works.	Total	Population.	Expenditure per capita	Expendi[illegible]e ab[illegible]e [illegible]ot below the estimated one or 100 persons.
1. Udaipur.	19.21	35.77	24.75	79.73	11,91,232	6	Satisfactory
2. Chittor.	4.05	23.89	9.18	37.10	587724	6	„
3. Bhilwara.	48.71	33.64	7.57	89.92	727356	11.9	„
4. Dungarpur.	1.86	3.96	5.61	11.43	308243	3.6	„
5. Banswara	8.14	1.80	4.27	14.21	356559	3.8	„
6. Pali	127.87	-	1.04	128.91	660856	19.5	„
7. Sirohi	3.85	8.68	3.38	15.91	237362	7.0	„
8. Jodhpur	2.77	-	-	2.77	691786	0.4	„
9. Jalore	0.14	-	-	0.14	45.9467	-	„
10. Jaipur	35.10	-	5.29	40.39	1656097	2 3	„
11. Tonk	3.45	11.47	9.11	24.03	400947	5.5	„
12. Sawai Madhopur.	46.55	-	4.58	51.13	765772	6.6	„
13. Kotah	2.84	11.62	6.79	21.25	766198	2.9	„
14. Bundi.	40.10	12.28	7.19	59.57	280518	20.4	„
15. Jhalawar.	0.46	6.78	0.87	8.11	373810	2.1	„
16. Alwar	2.17	-	13.42	15.95	861993	1.5	„
17. Bhartpur.	57.49	-	10.36	67.85	907399	7.4	„
18. Nagour	-	-	1.06	1.06	763829	0.14	„
19. Barmer	-	-	0.21	0.21	441368	0.03	„
Total	404.76	149.87	114.68	669.31			

SATTEMENT OF EXPENDITURE FOR CENTRAL SECTOR WORKS DURING IST PLAN PERIOD

Name of District.	Name of work	Expenditure (Lacs)	Population.	Expenditure per capita.	Expenditure above or-below the estimated one for 100 person.
1. Ganganagar.	Bhakra.	353.00	6,30,136	56	Satisfactory.
2. Kotah Bundi	Chambal	222.75	66,198 2,80,518	21.4	"

अतारांकित प्रश्न संख्या ४ का उत्तर

(क) २३१ हाई स्कूल, २५६ मिडिल स्कूल, व ७१६६ प्राइमरी स्कूलों की।

(ख) इन स्कूलों की जिलेवार सूचियों की प्रतिलिपि सदस्य महोदय की जानकारी के लिये संलग्न है।

NUMBER OF INSTITUTIONS IN RAJASTHAN (DISTRICT WISE).

District.	High Schools Boys Institutions. Govt.	Private	Girls Institutions. Govt.	Private	Total Boys & Girls Govt.	Private	Grand Total
1. Bikaner.	8	2	-	-	8	2	10
2. Ganganagar.	6	4	1	-	7	4	11
3. Churu.	9	3	-	-	9	3	12
4. Jodhpur.	7	11	1	-	8	11	19
5. Pali.	7	1	-	-	7	1	8
6. Nagaur.	10	1	-	-	7	1	11
7. Sirohi.	1	1	-	-	1	-	1
8. Jalore.	3	-	-	-	3	-	3
9. Barmer.	3	-	-	-	3	-	3
10 Jaisalmer.	1	-	-	-	1	-	1
11. Jaipur.	11	8	2	-	13	8	21
12. Kishangarh.	8	-	-	-	8	-	8
13 Sikar.	8	3	-	-	8	4	11
14. Jhunjhunu.	4	11	-	-	4	11	15
15. Bharatpur.	9	-	2	-	11	-	11
16. Alwar.	15	-	1	-	16	-	16
17. Sawai Madhopur.	7	-	-	-	7	-	7
18. Tonk.	4	-	1	-	5	-	5
19. Udaipur.	12	3	1	1	13	4	17
20. Bhilwara.	8	1	-	-	5	1	8
21. Chittor.	6	1	-	-	6	1	7
22. Dungarpur.	3	-	1	-	4	-	4
23. Banswara.	2	-	1	-	3	-	3
24. Kotah.	11	-	-	-	11	-	11
25. Bundi.	4	-	1	-	5	-	5
26. Jhalawar.	4	-	1	-	3	-	5
Total.	188	49	13	1			231

NUMBER OF INSTITUTIONS IN RAJASTHAN (DISTRICT WISE).

District.	MIDDLE SCHOOLS Boys Institutions. Govt.	Boys Institutions. Private	Girls Institutions. Govt.	Girls Institutions. Private	Total Boys & Girls Govt.	Total Boys & Girls Private	Grand Total
1. Bikaner.	14	2	8	2	22	4	26
2. Ganganagar.	40	13	5	1	45	14	59
3. Churu.	13	–	7	1	20	1	21
4. Jodhpur.	20	2	4	1	24	3	27
5. Pali.	28	2	2	–	30	2	32
6. Nagaur.	21	1	4	1	25	1	26
7. Sirohi.	7	1	1	–	8	1	9
8. Jalore.	11	–	1	–	12	–	12
9. Barmer.	11	–	1	–	12	–	12
10. Jaisalmer.	3	–	–	–	3	–	3
11. Jaipur.	41	10	10	8	51	18	60
12 Kishangarh.	33	1	1	–	34	1	35
13. Sikar.	38	18	3	3	41	18	99
14. Jhunjhunu.	26	11	1	–	27	11	38
15. Bharatpur.	47	1	5	2	52	3	55
16. Alwar.	75	5	10	1	85	6	91
17. Sawai Madhopur.	33	–	4	–	37	–	37
18. Tonk.	16	–	1	–	17	–	17
19. Udaipur.	29	2	4	2	43	4	47
20. Bhilwara.	27	2	5	1	32	3	35
21. Chittor.	17	–	5	–	22	–	22
22. Dungarpur.	17	–	1	–	18	–	18
23. Banswara.	14	–	2	–	16	–	16
24. Kotah.	38	3	12	–	50	3	53
25. Bundi.	16	1	–	–	16	1	17
26. Jhalawar.	16	–	7	–	23	–	23
Total.	661	72	804	22			859

NUMBER OF INSTITUTIONS IN RAJASTHAN (DISTRICT WISE).

District.	Primary Schools: Boys Institutions. Govt.	Boys Institutions. Private	Girls Institutions. Govt.	Girls Institutions. Private	Total Boys & Girls Govt.	Total Boys & Girls Private	Grand Total
1. Bikaner.	98	30	13	-	106	30	138
2. Ganganagar.	243	125	9	1	252	126	378
3. Churu.	173	-	6	-	179	-	179
4. Jodhpur.	266	17	10	12	276	29	305
5. Pali.	252	4	23	-	275	4	279
6. Nagaur.	305	5	15	-	320	5	325
7. Sirohi.	121	-	3	-	124	-	124
8. Jalore.	136	-	14	-	150	-	150
9. Barmer.	126	-	3	-	129	-	129
10. Jaisalmer.	42	-	1	-	43	-	43
11. Jaipur.	383	16	58	3	441	19	460
12. Kishangarh.	330	13	-	1	330	14	344
13. Sikar.	300	26	13	2	313	28	341
14. Jhunjhunu.	263	27	-	28	263	35	318
15. Bharatpur.	391	16	23	1	414	17	431
16. Alwar.	433	7	16	-	449	7	436
17. Sawai Madhopur.	371	-	17	-	388	-	388
18. Tonk.	207	-	9	-	216	-	216
19. Udaipur.	427	-	68	2	492	2	494
20. Bhilwara.	289	9	29	1	318	10	326
21. Chittor	235	3	20	-	255	3	258
22. Dungarpur.	160	-	12	-	172	-	172
23. Banswara.	178	3	20	-	198	3	201
24. Kotah.	308	3	26	1	334	4	338
25. Bundi.	181	4	8	-	189	4	193
26. Jhalawar.	204	-	7	-	211	-	211
Total.	6419	308	420	32			7199